

अध्याय-2

2.1 राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (अब दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में समाविष्ट) पर निष्पादन लेखापरीक्षा

प्रस्तावना

पृष्ठभूमि

2.1.1 ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार (जीओआई) ने दसवीं पंचवर्षीय योजना (10 वीं पंचवर्षीय योजना 2002-07) के अन्तर्गत सभी गाँवों का विद्युतीकरण¹ करने तथा सभी ग्रामीण परिवारों तक विद्युत की उपलब्धता एवं निर्धनता रेखा से नीचे के (बीपीएल) परिवारों को निःशुल्क विद्युत संयोजन के उद्देश्य से राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) का शुभारंभ (मार्च 2005) किया।

जीओआई ने आरजीजीवीवाई योजना का कार्यक्षेत्र ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (11वीं पंचवर्षीय योजना 2007-12) एवं बारहवीं पंचवर्षीय योजना (12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17) के अन्तर्गत क्रमशः 300 एवं 100 से अधिक जनसंख्या वाले मजदूरों तक आच्छादन बढ़ाने के लिए दो बार विस्तारित (फरवरी 2008/सितंबर 2013) किया।

जीओआई ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) का आरम्भ (दिसम्बर 2014) पूर्व की आरजीजीवीवाई के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों को एक पृथक ग्रामीण विद्युतीकरण उप-अवयव के रूप में समाहित करते हुये आरजीजीवीवाई के लिए अनुमोदित परिव्यय को डीडीयूजीजेवाई तक आगे ले जाते हुए, दो अतिरिक्त उद्देश्यों जैसे, कृषि एवं गैर-कृषि फीडरों का पृथक्करण एवं वितरण परिवर्तकों, फीडरों तथा उपभोक्ता के छोर पर मीटरिंग को सम्मिलित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना के सुदृढीकरण एवं वृद्धि के साथ किया। निष्पादन लेखापरीक्षा, उत्तर प्रदेश राज्य (जीओयूपी) में 2012-13 से 2016-17 की अवधि में, आरजीजीवीवाई (योजना) के 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना के निरूपण, अनुमोदन और कार्यान्वयन को आच्छादित करती है। इस प्रकार, इस प्रतिवेदन में सर्वत्र "योजना" शब्द आरजीजीवीवाई 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना को संदर्भित करता है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में कुल 3,29,24,216 परिवारों के सापेक्ष 1,21,20,231 परिवारों (36.81 प्रतिशत) तक विद्युत की उपलब्धता थी। इसके सापेक्ष, विद्युत की उपलब्धता बढ़कर 2,33,43,305 परिवारों तक (मार्च 2017) हो गयी है।

निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि में, 19 जिलों² (कुल 75 जिलों का 25 प्रतिशत) की नमूना जाँच की गयी थी। 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इन 19 जिलों के पास ₹ 3,026.74 करोड़ (कुल स्वीकृत लागत ₹ 11,697.83 करोड़ का 25.87 प्रतिशत) की स्वीकृत लागत थी।

परियोजना नियोजन, परियोजना प्रबंधन, निधि प्रबंधन एवं अनुश्रवण के साथ-साथ नियंत्रण तंत्र के दोषों को प्रतिबिंबित करते कुल 32 लेखापरीक्षा प्रेक्षण हैं। ये दोष अन्य जिलों में भी हो सकते हैं, जिन्हें नमूना लेखापरीक्षा में आच्छादित नहीं किया गया था। अतः संबंधित डिस्कॉमों के प्रबंधन, योजना में आच्छादित अन्य सभी जिलों के कार्यों का आंतरिक परीक्षण यह सुनिश्चित किये जाने की दृष्टि से करा सकते हैं कि ये योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्यान्वित किये जा रहे हैं।

¹ कोई गाँव विद्युतीकृत माना जाता है यदि उसे बसे हुये स्थानों में आधारभूत अवसंरचना जैसे परिवर्तक एवं लाइन उपलब्ध कराई गयी हो, सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूलों, पंचायत कार्यालयों, सामुदायिक सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों/औषधालयों इत्यादि में विद्युत प्रदान की गयी हो एवं गाँव के कम से कम 10 प्रतिशत परिवार विद्युतीकृत हों

² लखनऊ, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, गाजीपुर, मऊ, बलिया, रौबर्टसगंज, बस्ती, मेरठ, शामली, बुलंदशहर, सहारनपुर, आगरा, मथुरा, हाथरस, इटावा और अलीगढ़

संशोधित एवं पुर्ननामित योजना डीडीयूजीजेवाई को वर्तमान लेखापरीक्षा में आच्छादित नहीं किया गया है क्योंकि दिसम्बर 2014 में डीडीयूजीजेवाई के आरम्भ के बाद से मार्च 2017 तक, वाराणसी के लिए अवमुक्त ₹ 18.74 करोड़ के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा कोई धनराशि, अवमुक्त नहीं की गई। इस कार्य की लेखापरीक्षा नहीं की गयी है।


वित्तपोषण पद्धति

2.1.2 इस योजना के अन्तर्गत, भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) के माध्यम से लागत का 90 प्रतिशत अंशदान, पूँजीगत अनुदान के रूप में किया, साथ ही आरईसी से 11 से 13 प्रतिशत ब्याज पर ऋणों के माध्यम से 10 प्रतिशत अंशदान राज्य द्वारा किया जाना था। भारत सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) के उपभोक्ताओं को मुफ्त संयोजन निर्गत करने के लिए आरईसी के माध्यम से डिस्कॉम्स को पूँजीगत अनुदान भी प्रदान किया।

विभिन्न संस्थाओं की भूमिका

2.1.3 योजना निरूपण, अनुमोदन और कार्यान्वयन में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका को चार्ट 2.1.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.1.1: योजना में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका



* एमसी में सचिव, ऊर्जा मंत्रालय अध्यक्ष के रूप में, व्यय विभाग, योजना आयोग, पंचायतीराज, ग्राम्य विकास एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, भारत सरकार के प्रतिनिधि सम्मिलित है।

** एसएलएससी की अध्यक्षता मुख्य सचिव करते हैं एवं यह ऊर्जा, ग्राम्य विकास, वित्त, पंचायतीराज, वन, राजस्व विभाग के सचिवों एवं आरईसी के एक प्रतिनिधि तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मनोनीत किसी भी अन्य सदस्य को सम्मिलित करती हैं।

योजना कार्यान्वयन

2.1.4 योजना में, ब्लॉकों में पर्याप्त क्षमता के कम से कम एक 33/11 केवी सब-स्टेशन की स्थापना द्वारा, जहां ये नहीं थे, ग्रामीण विद्युत वितरण मेरूदण्ड (आरईडीबी) के विकास का प्रावधान था। इसी प्रकार, राज्य के 822 ब्लॉकों के 1,72,682 गाँवों/मजरों में उपयुक्त क्षमता के वितरण परिवर्तक के साथ ग्रामीण विद्युतीकरण अवसंरचना (वीईआई) स्थापित की जानी थी।

योजना के कार्यान्वयन के लिए आरईसी (भारत सरकार की तरफ से), उत्तर प्रदेश सरकार और डिस्कॉमों के मध्य एक त्रिपक्षीय अनुबन्ध (जुलाई 2005) हुआ। उत्तर प्रदेश में, योजना चार डिस्कॉमों अर्थात्, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (म.वि.वि.नि. लि.), लखनऊ, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पू.वि.वि.नि.लि.), वाराणसी, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (प.वि.वि.नि.लि.), मेरठ और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (द.वि.वि.नि.लि.) आगरा जो उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) की सहायक हैं, द्वारा कार्यान्वित की गयी।

कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण के तीन स्तरों (स्तर) को परिभाषित किया गया था। परियोजनाओं के गुणवत्ता नियंत्रण (क्यूसी) का प्रथम स्तर डिस्कॉम्स द्वारा सुनिश्चित किया जाना था जिन्हें गुणवत्ता नियंत्रण जांच के लिए तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी (टीपीआईए) को नियुक्त करना था। आरईसी और एमओपी, भारत सरकार क्रमशः गुणवत्ता नियंत्रण के दूसरे और तीसरे स्तर के लिए उत्तरदायी थे।

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, परियोजनाएं टर्नकी आधार पर कार्यान्वित की जानी थी। तथापि, अपवाद के प्रकरणों में, पर्याप्त औचित्य के साथ, मॉनिटरिंग कमेटी (एमसी), के अनुमोदन से, एजेंसियों को परियोजनाओं का विभागीय आधार पर निष्पादन करने की अनुमति थी। डिस्कॉमों ने सामग्री की आपूर्ति और टर्नकी आधार पर कार्यों का निष्पादन करने के लिए खुली निविदाओं के माध्यम से चयनित ठेकेदारों को कार्य आवंटित किया। योजना के प्रावधानों के अनुसार योजना के कार्यान्वयन के लिए डिस्कॉमों के मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता (सीई/एसई, आरजीजीवीवाई विंग) समग्र रूप से उत्तरदायी थे। डिस्कॉमों के वितरण मण्डलों के अधीक्षण अभियंताओं (एसई), को उनके अधिकार क्षेत्र में, अनुबन्ध के प्रावधानों के अनुरूप कार्य निष्पादित करवाने के लिए उत्तरदायी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में नामित किया गया था।

संगठनात्मक ढांचा

2.1.5 डिस्कॉमों का प्रबंधन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त एक निदेशक मण्डल जिसमें एक अध्यक्ष, एक प्रबंध निदेशक एवं चार अन्य निदेशक हैं, में निहित है। दैनिक क्रिया कलापों को प्रबंध निदेशकों (एमडी), जो कि डिस्कॉमों के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होते हैं, द्वारा डिस्कॉम मुख्यालय में और क्षेत्र में तैनात मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं और अधिशासी अभियंताओं की सहायता से किया जाता है।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

2.1.6 निष्पादन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए की गयी थी कि क्या डिस्कॉमों/उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना कार्यान्वयन के सभी चरणों जैसे नियोजन,

निष्पादन, वित्तीय नियंत्रण, अनुश्रवण और पर्यवेक्षण इत्यादि में योजना को मितव्ययी, कुशल और प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया था।

लेखापरीक्षा की कसौटियाँ

2.1.7 लेखापरीक्षा कसौटियाँ निम्न स्रोतों से ग्रहण की गयीं थीं:

- आरजीजीवीवाई/डीडीयूजीजेवाई कार्यालय ज्ञापन और भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशानिर्देश;
- राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण और राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण नीतियां;
- विद्युत अधिनियम, 2003;
- सामान्य वित्तीय नियम 2005/वित्तीय हस्त पुस्तिका और सीवीसी दिशानिर्देश;
- भारत सरकार/ आरईसी/उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत निर्देश तथा आरईसी, उत्तर प्रदेश सरकार, एवं डिस्कॉमों के मध्य निष्पादित त्रिपक्षीय अनुबन्ध;
- डीपीआर तैयार करने हेतु आरईसी की निर्धारित प्रक्रियायें एवं नीतियाँ
- डिस्कॉमों के निदेशक मण्डल (बीओडी) की बैठकों के कार्यक्रम एवं कार्यवृत्त; तथा
- ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के संबंध में समन्वय समिति³ की बैठकों के अभिलेख।

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और कार्यविधि

2.1.8 लेखापरीक्षा कार्यविधि में उपलब्ध आंकड़ों का संग्रहण एवं डेटा विश्लेषणात्मक उपकरण (एमएस एक्सेल एवं आइडिया) की सहायता से, उनका विश्लेषण, डिस्कॉमों के अभिलेखों की जाँच, लेखापरीक्षा प्रेक्षणों/प्रश्नों को निर्गत करना, कार्यस्थल पर निरीक्षण, लाभार्थी सर्वेक्षण तथा प्रवेश एवं समापन बैठक सम्मिलित थे।

निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, डिस्कॉमों एवं राज्य सरकार को उनकी टिप्पणियों के लिए अगस्त 2017 में निर्गत किया गया था। डिस्कॉमों के उत्तर सितंबर 2017/मार्च 2018 में प्राप्त हुए थे, जिन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अंतिम रूप देते समय उचित रूप से विचार किया गया है। राज्य सरकार के किसी भी प्रतिनिधि ने प्रवेश एवं समापन बैठक में भाग नहीं लिया था। इसके अतिरिक्त, नवंबर 2017 और मार्च 2018 में अनुस्मारकों को निर्गत करने पर भी सरकार का उत्तर प्रतीक्षित (सितम्बर 2018) था।

योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

2.1.9 आरईसी ने 2012-17 की अवधि में 75 जिलों में 86 परियोजनाओं के लिए ₹ 11,697.84 करोड़ की स्वीकृति दी थी। 75 जिलों में से 11 जिलों को 11वीं पंचवर्षीय योजना में, 53 जिलों को बारहवीं पंचवर्षीय योजना में एवं 11 जिलों को दोनो योजनाओं के अन्तर्गत आच्छादित किया गया था। 31 मार्च 2017 को 11वीं एवं 12वीं दोनो पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति (डिस्कॉम-वार) तालिका 2.1.1 में वर्णित है।

³ जिला स्तर समन्वय समिति में जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य विकास अधिकारी, जीएम, उद्योग, संबंधित जिले के जिला कृषि अधिकारी, डिस्कॉमों के अधीक्षण अभियंता/अधिशाषी अभियंता एवं व्यापार, उद्योग व किसान समूह के सदस्य सम्मिलित हैं।

तालिका 2.1.1: 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति

(₹ करोड़ में)										
पंचवर्षीय योजना	डिस्कॉम	परियोजनाओं/जिलों की संख्या	भौतिक प्रगति			वित्तीय प्रगति				
			डीपीआर में गाँवों/मजदूरों की संख्या	कार्य पूर्ण गाँवों/मजदूरों की संख्या	कार्य पूर्ण गाँवों/मजदूरों का प्रतिशत	स्वीकृत लागत	छावा की गयी धनराशि	आरईसी से प्राप्त दावा धनराशि	प्राप्ति हेतु बकाया धनराशि	व्यय
11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12)	द.वि.वि. नि.लि.	03	1,808	1,618	89.49	242.96	177.04	111.61	65.43	112.16
	पू.वि.वि. नि.लि.	07	8,825	9,398	106.49	1,341.21	736.82	654.38	82.44	537.45
	प.वि.वि. नि.लि.	03	1,055	745	70.62	452.02	260.85	184.58	76.27	126.42
	म.वि.वि. नि.लि.	09	20,343	13,576	66.74	2,378.83	1,824.82	1,236.66	588.16	1,219.80
उप-योग		22	32,031	25,337	79.10	4,415.02	2,999.53	2,187.23	812.30	1,195.83
12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17)	द.वि.वि. नि.लि.	21	32,477	13,089	40.30	2,466.14	1,044.15	845.94	198.21	714.57
	पू.वि.वि. नि.लि.	17	60,642	34,161	56.33	2,247.39	1,292.02	1,031.78	260.24	824.73
	प.वि.वि. नि.लि.	12	10,101	5,774	57.16	983.39	505.84	356.39	149.45	272.32
	म.वि.वि. नि.लि.	14	37,431	9,528	25.45	1,585.90	804.45	609.53	194.92	414.27
उप-योग		64	1,40,651	62,552	44.47	7,282.82	3,646.46	2,843.64	802.82	2,225.89
कुलयोग		86	1,72,682	87,889	50.90	11,697.84	6,645.99	5,030.87	1,615.12	4,221.72

स्रोत : डिस्कॉमों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनायें

आरईसी ने (31 मार्च 2017) तक डिस्कॉमों द्वारा मजरावार ऑनलाइन डेटा अपलोड करने, साइन बोर्ड स्थापित करने में उपेक्षा, गाँव/मजरावार निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत न करने एवं गुणवत्ता नियंत्रकों की निरीक्षण रिपोर्ट का अनुपालन न करने के कारण ₹ 1,197.22 करोड़ की प्रतिपूर्ति रोक दी है।

संस्तुति:

रोकी गई धनराशि को अवमुक्त कराना सुनिश्चित करने के लिए विभाग और डिस्कॉमों को आरईसी की चिन्ताओं पर सक्रिय रूप से ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

अभिस्वीकृति

2.1.10 निष्पादन लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान डिस्कॉमों एवं उनके अधिकारियों द्वारा विस्तारित सहयोग एवं सहायता के लिए लेखापरीक्षा आभार व्यक्त करती है।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.1.11 लेखापरीक्षा परिणामों पर आगामी प्रस्तारों में चर्चा की गई है:

परियोजना नियोजन

2.1.12 डिस्कॉमों ने डीपीआर तैयार करने के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकारों⁴ (पीएमसी) को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में ₹ 40.17⁵ करोड़ एवं बारहवीं पंचवर्षीय

⁴ परियोजना प्रबंधन सलाहकार, डीपीआर की तैयारी, परियोजनाओं के अनुश्रवण एवं प्रबंधन के लिए डिस्कॉमों द्वारा नियुक्त एक बाहरी एजेंसी है

⁵ द.वि.वि.नि.लि.- ₹ 2.27 करोड़, पु.वि.वि.नि.लि.- ₹ 11.07 करोड़, प.वि.वि.नि.लि.- ₹ 1.32 करोड़ एवं म.वि.वि.नि.लि.- ₹ 25.51 करोड़

योजना में ₹ 157.60 करोड़⁶ की कुल लागत पर नियुक्त किया। 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना के डीपीआर की तैयारी में अनियमितताओं की चर्चा आगामी प्रस्तारों में की गई है:

स्थलीय सर्वेक्षण बिना डीपीआर तैयार किया जाना

2.1.13 राज्य स्तरीय स्थायी समिति (एसएलएससी) के साथ-साथ अनुश्रवण समिति (एमसी) को अनुमोदन के लिए अग्रेषित डीपीआर में, डिस्कॉम का यह वचन सम्मिलित था कि डीपीआर स्थलीय सर्वेक्षणों एवं अद्यतन एसओआर पर आधारित थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि डिस्कॉमों ने विद्युतीकृत एवं अविद्युतीकृत गाँवों/मजरों के लिए किसी केंद्रीकृत डेटा को नहीं बनाए रखा एवं पीएमसी द्वारा किए गए स्थलीय सर्वेक्षण पर विश्वास किया। परिणामस्वरूप, जब टर्नकी ठेकेदार (टीकेसी) द्वारा कार्य का निष्पादन प्रारम्भ करने से पूर्व स्थल सर्वेक्षण किया गया, तो 13 जिलों/परियोजनाओं में विद्युतीकरण के लिए डिस्कॉमों द्वारा प्रस्तावित 28,342 गाँवों/मजरों (पीएमसी द्वारा तैयार डीपीआर के अनुसार) में से, नौ जिलों के 2,053 गाँवों/मजरों को पहले से ही विद्युतीकृत पाया गया तथा नौ जिलों में 286 गाँवों/मजरे अस्तित्व में नहीं थे, जैसा कि तालिका 2.1.2 में वर्णित है:

तालिका 2.1.2: पहले से ही विद्युतीकृत एवं अविद्यमान मजरों का विवरण				
डिस्कॉम का नाम	परियोजनाओं/जिलों की संख्या	विद्युतीकरण हेतु मजरों की संख्या	पहले से ही विद्युतीकृत मजरों की संख्या	अविद्यमान मजरों की संख्या
म.वि.वि.नि.लि.	3	7,656	267	54
पू.वि.वि.नि.लि.	4	10,918	1,624	22
प.वि.वि.नि.लि.	1	503	85	119
द.वि.वि.नि.लि.	5	9,265	77	91
योग	13	28,342	2,053	286

स्रोत: डिस्कॉमों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

अग्रेतर लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

- योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, 300 से अधिक जनसंख्या वाले गाँवों/मजरों को 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण के लिए आच्छादित किया जाना था। लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रारम्भ में 300 से अधिक जनसंख्या वाले 497 गाँवों/मजरों को म.वि.वि.नि.लि. के अन्तर्गत बाराबंकी जिले की अनुमोदित डीपीआर में सम्मिलित नहीं किया गया था। तत्पश्चात, कार्यदायी संस्था द्वारा यह अपवर्जन बताया जाने (अगस्त 2014) पर, आरईसी द्वारा इन गाँवों/मजरों को आच्छादित करने के लिए अनुमति (जून 2015) इस शर्त पर दी गई थी कि परियोजना लागत में संशोधन नहीं किया जाना चाहिए।

- योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, 100 से अधिक की जनसंख्या वाले गाँवों/मजरों को 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण के लिए आच्छादित किया जाना था। लेखापरीक्षा ने देखा कि म.वि.वि.नि.लि. के अन्तर्गत सुल्तानपुर जिले की डीपीआर में 100 से अधिक जनसंख्या वाले 19 गाँवों/मजरों को सम्मिलित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, म.वि.वि.नि.लि. ने डॉ राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना (उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित एक योजना) के अन्तर्गत ₹ 3.03 करोड़ की लागत से इन 19 गाँवों/मजरों को विद्युतीकृत (2016-17) किया। यद्यपि, भारत सरकार से इन कार्यों हेतु आरजीजीवीवाई के अन्तर्गत सब्सिडी उपलब्ध

⁶ द.वि.वि.नि.लि.- ₹ 32.80 करोड़, पू.वि.वि.नि.लि.- ₹ 76.05 करोड़, प.वि.वि.नि.लि.- ₹ 11.88 करोड़ एवं म.वि.वि.नि.लि. - ₹ 36.87 करोड़

थी, अनुचित नियोजन के कारण राजकीय कोष पर ₹ 2.73 करोड़ (परियोजना लागत का 90 प्रतिशत) का परिहार्य भार पड़ा। इसके अतिरिक्त, इन 19 मजदूरों के 213 बीपीएल परिवार अभी तक निःशुल्क विद्युत संयोजन के बिना थे।

- योजना के दिशानिर्देशों के विपरीत, पू.वि.वि.नि.लि. के अंतर्गत सोनभद्र जिले के डीपीआर में 34 प्राथमिक विद्यालयों के विद्युतीकरण का प्रावधान सम्मिलित नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, योजना निधि का लाभ लेने के स्थान पर, पू.वि.वि.नि.लि. ने इन विद्यालयों के विद्युतीकरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की निधि से ₹ 1.68 करोड़ का प्रयोग किया।

उपर्युक्त तथ्य इंगित करता है कि डीपीआर या तो संदेहास्पद स्थलीय सर्वेक्षण अथवा पीएमसी के डेटा/सर्वेक्षण पर पूर्ण निर्भरता के कारण बिना किसी सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किये गए थे। मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता (संबंधित डिस्कॉमों के आरजीजीवीवाई विंग के) डीपीआर में आच्छादित गाँवों की वास्तविकता सुनिश्चित करने एवं पीएमसी द्वारा तैयार डीपीआर की शुद्धता सुनिश्चित करने में असफल रहे।

इन डिस्कॉमों ने कहा (मार्च 2018) कि डीपीआर कार्य प्रारम्भ होने से बहुत पहले तैयार किये गये थे और कुछ मजदूर राज्य में चल रही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विद्युतीकृत हुए होंगे। मजदूरों के न मिलने के दृष्टान्तों का कारण संभवतः इस अवधि में जलवायु स्थितियों में परिवर्तनों के कारण उनका स्थान परिवर्तन/स्थानीय नामकरण में परिवर्तन था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रश्नगत डीपीआर को पुनर्सत्यापित/पुनः तैयार किया गया था और पुनर्सत्यापित डीपीआर जमा करने एवं कार्य प्रारम्भ करने के मध्य केवल एक वर्ष का समयान्तर था। यह लेखापरीक्षा प्रेक्षण की पुष्टि करता है कि सर्वेक्षण विश्वसनीय नहीं थे।

पूर्व में आरईसी द्वारा अस्वीकृत किये जाने पर भी, डीपीआर में अस्वीकार्य कार्यों/मदों को सम्मिलित करना

2.1.14 योजना के दिशानिर्देशों ने डीपीआर में अस्वीकार्य कार्यों/मदों को सम्मिलित करना निषिद्ध किया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत परियोजना समापन के समय आरईसी द्वारा अस्वीकार्य मदों को अस्वीकृत करने पर भी, तीन डिस्कॉमों ने ₹ 12.98 करोड़ के विभिन्न अस्वीकार्य कार्यों/मदों को डीपीआर में सम्मिलित कर लिया, जैसा कि तालिका 2.1.3 में दिया गया है। परियोजना समापन के समय आरईसी द्वारा इस प्रकार के अस्वीकार्य व्यय की अस्वीकृति सम्भावित है।

तालिका 2.1.3: डीपीआर में सम्मिलित अस्वीकार्य कार्यों/मदों का विवरण				
डिस्कॉम	परियोजनाएं	पंचवर्षीय योजना	कार्य का नाम	धनराशि (₹ करोड़ में)
म.वि.वि.नि.लि.	शाहजहांपुर	11वीं	66/11 केवी से 33/11 केवी सबस्टेशन में परिवर्तन	3.80
	अम्बेडकर नगर, हरदोई, गोंडा, लखीमपुर, बाराबंकी, फ़ैजाबाद, उन्नाव, बहराइच, शाहजहांपुर	11वीं	उपभोक्ता डेटा, इंडेक्सिंग और बिलिंग के कम्प्यूटरीकरण के लिए सेटअप स्थापित करने का कार्य और बिलिंग केंद्रों के निर्माण का कार्य, इत्यादि	3.06
प.वि.वि.नि.लि.	बुलंदशहर	11वीं	—तदैव—	0.16
द.वि.वि.नि.लि.	एटा, कन्नौज	11वीं	मार्ग प्रकाश संयोजनों के लिए एलटी पीवीसी केबल	2.61

तालिका 2.1.3: डीपीआर में सम्मिलित अस्वीकार्य कार्यों/मदों का विवरण

डिस्कॉम	परियोजनाएं	पंचवर्षीय योजना	कार्य का नाम	धनराशि (₹ करोड़ में)	
	अलीगढ़, हाथरस, इटावा	मथुरा, आगरा,	12वीं	मार्ग प्रकाश संयोजनों के लिए एलटी पीवीसी केबल	3.35
योग				12.98	

स्रोत-आरईसी द्वारा स्वीकृत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट

डिस्कॉमों ने डीपीआर में अस्वीकार्य कार्यों/मदों को सम्मिलित करने के कारण ₹ 12.98 करोड़ का परिहार्य व्यय किया

डिस्कॉमों ने कहा (मार्च 2018) कि इन कार्यों को आरईसी द्वारा स्वीकृत किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 10वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प.वि.वि.नि.लि. की बुलंदशहर परियोजना के समान प्रकरण में प्रारंभिक स्वीकृति के होने पर भी आरईसी ने परियोजना समापन के समय ₹ 1.63 करोड़ की अस्वीकार्य मदों को अस्वीकृत कर दिया था।

अनुमोदित डीपीआर के कार्यक्षेत्र में अनियमित कमी

2.1.15 योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, डिस्कॉमों को बाद की किसी मात्रा या लागत विचलन से बचने के लिए, डीपीआर, वास्तविक सर्वेक्षणों एवं नवीनतम लागत अनुसूची के आंकड़ों के आधार तैयार करना था। मात्रा या दर में विचलन के कारण लागत में वृद्धि को, राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना था।

अनुमोदित डीपीआर के कार्य क्षेत्र में अनियमित कमी का सहारा लेने के कारण, 4,24,370 परिवार विद्युतीकरण से वंचित थे एवं 1,22,441 बीपीएल परिवारों को संयोजन नहीं मिल सका

लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजना कार्यान्वयन एजेन्सियों (पीआईए) को कार्यादेश देने के लिए निविदाओं को अंतिम रूप देते समय डिस्कॉमों (म.वि.वि.नि.लि., द.वि.वि.नि.लि. और पू.वि.वि.नि.लि.) ने देखा कि एल-1 फर्मों द्वारा उद्धृत दरें डीपीआर में स्वीकृत दरों की तुलना में अधिक थीं, जिससे कार्य की लागत में वृद्धि हुई। तथापि, लागत अंतर को उत्तर प्रदेश सरकार को स्थानांतरित करने या एमसी और आरईसी को प्रकरण को संदर्भित करने के बजाय, डिस्कॉमों के मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता (आरजीजीवीवाई) ने परियोजना की कुल लागत को स्वीकृत राशि के भीतर सीमित करने के लिए ₹ 207.31 करोड़ (म.वि.वि.नि.लि. ₹ 19.81 करोड़, पू.वि.वि.नि.लि. ₹ 118.90 करोड़ और द.वि.वि.नि.लि. ₹ 68.60 करोड़) से उक्त कार्यों का कार्यक्षेत्र कम कर दिया। परिणामस्वरूप, 4,24,370 परिवार विद्युतीकरण से वंचित थे एवं 1,22,441 बीपीएल परिवारों को संयोजन नहीं मिल सका जैसा कि तालिका 2.1.4 में वर्णित है:

तालिका 2.1.4: विद्युत से वंचित ग्रामीण परिवारों और बीपीएल परिवारों का विवरण

डिस्कॉम का नाम	परियोजनाओं/जिलों की संख्या	विद्युत से वंचित ग्रामीण परिवारों की संख्या	संयोजन से वंचित बीपीएल परिवारों की संख्या
म.वि.वि.नि.लि.	3	21,844	1,22,441
पू.वि.वि.नि.लि.	3	3,25,254	शून्य
द.वि.वि.नि.लि.	3	77,272	शून्य
योग	9	4,24,370	1,22,441

डिस्कॉमों ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार (मार्च 2018) किया।

11 जिलों के डीपीआर का अनुमोदन प्राप्त करने में विफलता

2.1.16 भारत सरकार ने सभी शेष जनगणना गाँवों एवं 100 से अधिक जनसंख्या वाले मजदूरों को आच्छादित करने के लिए व 10वीं एवं 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पहले से स्वीकृत परियोजनाओं के छूटे कार्यों को पूर्ण करने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत, योजना को जारी रखने हेतु निर्देशित (सितंबर 2013) किया। तदनुसार, डिस्कॉमों ने राज्य के सभी 75 जिलों के 100 से अधिक जनसंख्या वाले

गाँवों/मजरों हेतु डीपीआर प्रस्तुत (नवम्बर 2013) किए थे। तथापि, आरईसी ने 11 जिलों को इस आधार पर छोड़ते हुए कि ये जिले पहले ही 10वीं एवं 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आच्छादित थे, केवल 64 जिलों के डीपीआर स्वीकृत (जनवरी 2014) किए। चूंकि 11वीं पंचवर्षीय योजना ने 300 से अधिक जनसंख्या वाले गाँवों/मजरों को आच्छादित किया था, अतः आरईसी द्वारा इन 11 जिलों की डीपीआर को स्वीकृति देने से मना करना, इन जिलों में 100 से ऊपर की जनसंख्या वाले शेष सभी जनगणना गाँवों एवं मजरों को आच्छादित करने के भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप नहीं था।

यद्यपि, आरईसी ने अनुचित आधार पर डीपीआर को अस्वीकृत कर दिया, परन्तु डिस्कॉम आरईसी के साथ इस प्रकरण को आगे बढ़ाने में विफल रहे। परिणामस्वरूप, इन 11 जिलों में 100 से 300 की जनसंख्या वाले 45,492 गाँवों/मजरों के 21,35,768 ग्रामीण परिवार एवं 7,18,083 बीपीएल ग्रामीण परिवार विद्युतीकरण से वंचित रह गए जैसा कि परिशिष्ट 2.1.1 में वर्णित है।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2018) कि सभी परियोजनाओं की डीपीआर आरईसी को प्रस्तुत कर दी गयीं थीं एवं इन परियोजनाओं को स्वीकृति देने का निर्णय आरईसी के पास था। उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि डिस्कॉमों ने आरईसी के साथ-साथ एमओपी, भारत सरकार के समक्ष अस्वीकृत डीपीआर पर पुर्नविचार के लिए प्रकरण नहीं उठाया।

वापस प्राप्त सामग्री के मूल्य का असमायोजन

2.1.17 यूपीपीसीएल के आदेश (अगस्त 2011 और मई 2013) के अनुसार, सब-स्टेशन की क्षमता वृद्धि के प्रकरण में, वापस प्राप्त परिवर्तकों के मूल्य को परियोजना लागत के सापेक्ष समायोजित किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि म.वि.वि.नि.लि. एवं द.वि.वि.नि.लि. में ₹ 11.99 करोड़ मूल्य के, विभिन्न क्षमताओं के 42 पॉवर परिवर्तकों को 10 परियोजनाओं में सब-स्टेशनों की क्षमता वृद्धि के कारण हटा दिया गया था एवं डिस्कॉमों द्वारा उन्हें स्वयं के उपयोग के लिए रख लिया गया था। तथापि, इन परिवर्तकों की लागत, संबंधित परियोजना लागतों के सापेक्ष समायोजित नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप म.वि.वि.नि.लि. एवं द.वि.वि.नि.लि. द्वारा कुल ₹ 11.99 करोड़ की निधि का अधिक आहरण किया गया।

डिस्कॉमों ने (मार्च 2018) लेखापरीक्षा प्रेक्षकों को स्वीकार किया।

33/11 केवी के सब-स्टेशनों की क्षमता वृद्धि में परिहार्य व्यय

2.1.18 योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, नए 33/11 केवी सब-स्टेशनों की स्थापना एवं विद्यमान 33/11 केवी सब-स्टेशनों की क्षमता वृद्धि, संबंधित डिस्कॉमों द्वारा प्रणाली आवश्यकताओं से संबंधित आंकड़ों से प्रमाणित, उचित औचित्य प्रस्तुत करने के बाद, की जानी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि म.वि.वि.नि.लि. के 19 जिलों में से दो (अम्बेडकरनगर व फैजाबाद) में, 33/11 केवी के 28 सब-स्टेशनों की विद्यमान क्षमता (539 एमवीए), विद्यमान उपभोक्ताओं के जुड़े भार एवं प्रत्याशित उपभोक्ताओं के बढ़े भार (438 एमवीए) से अधिक थी। इसलिए, सब-स्टेशनों की उपलब्ध क्षमता डीपीआर में उल्लिखित प्रत्याशित उपभोक्ताओं के बढ़े भार को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त थी।

अम्बेडकरनगर एवं फैजाबाद जिलों के डीपीआर में, म.वि.वि. नि.लि. ने सब-स्टेशनों की क्षमता वृद्धि का प्रावधान किया, जिससे ₹ 33.61 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ

⁷ बहराईच, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, शाहजहाँपुर, उन्नाव, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, इलाहाबाद, बलिया, गोरखपुर एवं जौनपुर

इसके बावजूद, म.वि.वि.नि.लि. के प्रबंधन ने उपरोक्त जिलों के डीपीआर में 155 एमवीए के सब-स्टेशनों की अतिरिक्त क्षमता वृद्धि हेतु प्रावधान किया, जिसमें ₹ 33.61 करोड़ की योजना निधि का परिहार्य व्यय हुआ।

डीपीआर में वितरण परिवर्तकों (डीटी) का अधिक प्रावधान

2.1.19 योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, बीपीएल/एपीएल ग्रामीण परिवारों एवं सार्वजनिक स्थानों के विद्युतीकरण के लिए आवश्यक भार को ध्यान में रखते हुए, उचित क्षमता के वितरण परिवर्तक (डीटी) के प्रावधान के साथ ग्राम विद्युतीकरण अवसंरचना (वीईआई), बनायी जानी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- म.वि.वि.नि.लि. के दो जिलों (अम्बेडकरनगर एवं सुल्तानपुर) में डीपीआर में प्रस्तावित 1,27,074 ग्रामीण परिवारों को संयोजन देने के लिए केवल 49,575 केवीए (स्थापित क्षमता का 80 प्रतिशत) का भार आवश्यक था। तथापि, म.वि.वि.नि.लि. ने 1,21,518 केवीए क्षमता के डीटी की स्थापना प्रस्तावित की जो कि डीपीआर में प्रत्याशित संयोजनों के आधार पर निर्धारित किए गए भार की आवश्यकता की तुलना में 59,550 केवीए (120 प्रतिशत) अधिक थी। इस बढ़े हुए अनुमान के कारण ₹ 27.91 करोड़ मूल्य की, 59,550 केवीए (16 केवीए के 3,721 डीटी) की अतिरिक्त क्षमता की स्थापना हुई।
- योजना के अन्तर्गत तैयार किए गए डीपीआर में उपभोक्ताओं की श्रेणी निर्दिष्ट की गयी थी, जिनको विद्युत संयोजन प्रदान किए जाने थे। म.वि.वि.नि.लि. के तीन जिलों (अम्बेडकरनगर, बाराबंकी एवं फैजाबाद) के डीपीआर में, सभी ज्ञात श्रेणियों को संयोजन देने के प्रावधान होने पर भी, 'अन्य' श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु अतिरिक्त 2,984 संयोजनों (6,631 केवीए का भार) का प्रावधान भी किया गया। इस अतिरिक्त प्रावधान के कारण ₹ 2.56 करोड़ मूल्य के 6,640 केवीए (10 केवीए प्रत्येक) के अवांछित डीटी की स्थापना हुई।

म.वि.वि.नि.लि. प्रबंधन द्वारा डीटी की स्थापना के लिए अतिरिक्त प्रावधान ने निष्क्रिय क्षमता का निर्माण किया एवं जिससे ₹ 30.47 करोड़ (₹ 27.91 करोड़ 16 केवीए डीटी एवं ₹ 2.56 करोड़ 10 केवीए डीटी) का परिहार्य व्यय हुआ।

इस प्रकार डिस्कॉमों द्वारा यदि ₹ 64.08 करोड़ के व्यय (₹ 33.61 करोड़ प्रस्तर 2.1.19 में एवं ₹ 30.47 करोड़ प्रस्तर 2.1.20 में) से बचा जा सकता, तो योजना के अन्तर्गत अधिक जिलों को आच्छादित किया जा सकता था जैसा कि प्रस्तर 2.1.17 में चर्चा की गई है।

म.वि.वि.नि.लि. ने (मार्च 2018) प्रस्तर 2.1.18 एवं 2.1.19 के सम्बन्ध में कहा कि पाँच साल बाद भी सिस्टम को भार की सीमा में रखने के लिए अतिरिक्त क्षमता का सृजन किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि म.वि.वि.नि.लि. ने 19 जिलों में से केवल दो जिलों को क्षमता वृद्धि के लिए चुना है। इसलिए, यह एक जागरूक नीति निर्णय प्रतीत नहीं होता है, एवं उत्तर, बाद का विचार है।

प्रतिस्पर्धात्मक बिड प्राप्त किए बिना डीपीआर की तैयारी का कार्य देना

2.1.20 पू.वि.वि.नि.लि. द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 14 जिलों में 36,889 गाँवों/मजरों में सर्वे, डीपीआर की तैयारी एवं परियोजना निर्माण की अवधि में अनुश्रवण (पीएमसी) कार्य, आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) को एकल प्रस्ताव के आधार पर ₹ 16, 720 प्रति गाँव/मजरा की पिछली दरों (11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उसी फर्म द्वारा निष्पादित कार्य की दर) पर कार्य प्रदान किया (नवंबर 2013) गया था। दिए गए कार्य की दरों के मूल्य में 25 प्रतिशत (₹ 4180

म.वि.वि.नि.लि. ने डीपीआर में, वितरण परिवर्तक की स्थापना का अधिक प्रावधान किया, जिससे ₹ 30.47 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ

प्रति गाँव/मजरा) सर्वेक्षण एवं डीपीआर की तैयारी के लिए तथा 75 प्रतिशत (₹ 12540 प्रति गाँव/मजरा) पीएमसी के कार्य के लिए दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पू.वि.वि.नि.लि. के प्रबंधन ने एक सहयोगी कंपनी म.वि.वि.नि.लि. द्वारा निविदा आमंत्रण (जून 2013) के पश्चात मेसर्स मेधज टेक्नो कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड को (नीचे के प्रस्तर 2.1.21 में उल्लिखित) सर्वेक्षण का कार्य एवं डीपीआर की तैयारी करने का कार्य ₹ 2500.00 प्रति गाँव/मजरा की दर से दिए जाने (सितम्बर 2013) का संज्ञान लिए बिना पुरानी दरों पर कार्य प्रदान (नवंबर 2013) कर दिया। इसके कारण कंपनी द्वारा कार्य का आवंटन ₹ 1680.00 प्रति गाँव/मजरा की उच्चतर दर से किया गया, जिससे ₹ 6.20 करोड़⁸ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

पू.वि.वि.नि.लि. ने कहा (मार्च 2018) कि कार्य की अत्यावश्यकता एवं समय की कमी के कारण, पीएमसी कार्य पुरानी दरों पर उसी फर्म को दिया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्य पूर्ण होने की अनुसूचित तिथि समाप्त होने पर भी कार्य की प्रगति 52.69 प्रतिशत (मार्च 2017) थी, जो स्वयं ही इंगित करती है कि कार्य की अत्यावश्यकता केवल एक बहाना अथवा बाद का विचार था। इसके अतिरिक्त, उत्तर इस विषय को संबोधित नहीं करता है कि, कैसे इसी तरह की परिस्थितियों में, प.वि.वि.नि.लि. (पू.वि.वि.नि.लि. की एक अन्य सहयोगी कंपनी) ने भी खुली निविदा आमंत्रित करके डीपीआर की तैयारी का कार्य प्रदान (जुलाई 2013) किया था।

डीपीआर बनाने के लिए पीएमसी को अधिक भुगतान

2.1.21 म.वि.वि.नि.लि. ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 19 जिलों में विभिन्न मजरों हेतु जीपीएस सर्वेक्षण सहित डीपीआर बनाने के लिए मेसर्स मेधज टेक्नो कॉन्सेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (ठेकेदार) के साथ एक अनुबन्ध (सितंबर 2013) किया। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, ठेकेदार को 100 से अधिक जनसंख्या वाले मजरों व 10वीं एवं 11वीं पंचवर्षीय योजना में आच्छादित न किए गए मजरों के लिए डीपीआर तैयार करना था। आरईसी द्वारा सर्वेक्षण एवं अनुमोदन के पश्चात विद्युतीकरण के लिए आच्छादित किए गए मजरों की वास्तविक संख्या के आधार पर ठेकेदार को ₹ 2,500 प्रति मजरा का भुगतान करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए ठेकेदार ने 100 से कम जनसंख्या वाले मजरे व 10वीं एवं 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पहले से आच्छादित मजरे सम्मिलित करते हुए 19 जिलों में सभी 95,067 मजरों के लिए डीपीआर तैयार किए। आरईसी ने योजना के प्रावधानों के अनुरूप, केवल 37,431 मजरों के डीपीआर को स्वीकृति (दिसंबर 2013) दी।

ठेकेदार ने कुल 95,067 मजरों के सापेक्ष भुगतान के लिए दावा प्रस्तुत किया। म.वि.वि.नि.लि. ने (जनवरी 2015) आरईसी द्वारा अनुमोदित 37,431 मजरों के लिए ₹ 9.36 करोड़ का पूर्ण भुगतान निर्गत किया। इसके अतिरिक्त, म.वि.वि.नि.लि. ने किसी भी कारण को स्पष्ट किये बिना अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अनुमोदनोपरान्त शेष 42,384 मजरों के लिए कुल भुगतान के 50 प्रतिशत की दर से ₹ 5.96 करोड़ का भुगतान किया, जिसके कारण ठेकेदार को ₹ 5.96 करोड़ (सेवाकर सहित) का अनुचित लाभ विस्तारित हुआ।

म.वि.वि.नि.लि. ने कहा (मार्च 2018) कि ठेकेदार ने 10वीं एवं 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये गए गाँवों/मजरों एवं 100 से कम जनसंख्या वाले गाँवों/मजरों को छोड़कर, डिस्कॉम के सभी गाँवों/मजरों का सर्वेक्षण किया था, और इसलिए, सभी सर्वेक्षित गाँवों/मजरों का भुगतान ठेकेदार को अवमुक्त किया गया था।

म.वि.वि.नि.लि. ने ठेकेदार को आरईसी द्वारा अनुमोदित न किए गए मजरे आच्छादित करने हेतु भुगतान अवमुक्त करके अनुचित लाभ प्रदान किया

⁸ 36,889 गाँव/मजरा x ₹ 1680 (₹ 4,180 - ₹ 2,500) = ₹ 6.20 करोड़

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह योजना के दिशानिर्देशों के कार्यक्षेत्र के विपरीत है तथा ठेकेदार किसी भी प्रतिपूर्ति का पात्र नहीं था।

संस्तुतियां:

1. डिस्कॉमों को डीपीआर में केवल योग्य गाँवों/मजरो को सम्मिलित करना, सुनिश्चित करना चाहिए;
2. डिस्कॉमों को योजना के दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए एवं डीपीआर की तैयारी में उचित सावधानी सुनिश्चित करना चाहिए; तथा
3. डिस्कॉमों को कार्य के बीओक्यू/कार्यक्षेत्र को कम करने के स्थान पर स्वीकृत लागत एवं आवंटित लागत के अंतर का भार वहन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ प्रकरण उठाना चाहिए जिससे सभी योग्य गाँवों/मजरो के विद्युतीकरण की योजना का निहित उद्देश्य प्राप्त किया जा सके।

परियोजना प्रबंधन

2.1.22 लेखापरीक्षा ने 75 जिलों में (₹ 11,697.84 करोड़ की स्वीकृत लागत) से 19 जिलों (₹ 3,026.74 करोड़ की स्वीकृत लागत) में परियोजनाओं के निष्पादन की जांच की। कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं गुणवत्ता नियंत्रण गतिविधियों के लिए, डिस्कॉमों को ₹ 353.20 करोड़ व ₹ 364.14 करोड़ सेवा शुल्क/फीस के रूप में क्रमशः 11वीं पंचवर्षीय योजना एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त हुए थे। (11वीं पंचवर्षीय योजना में परियोजनाओं की स्वीकृत लागत के आठ प्रतिशत एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना में पाँच प्रतिशत की दर से)। इन नमूने के अन्तर्गत आने वाले जिलों में योजनानुसार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तालिका 2.1.5 में विस्तृत रूप से वर्णित है।

तालिका 2.1.5: 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना में नमूने के अन्तर्गत आने वाले जिलों की भौतिक और वित्तीय प्रगति

(₹ करोड़ में)										
पंचवर्षीय योजना	डिस्कॉम	जिलों की संख्या	भौतिक प्रगति			वित्तीय प्रगति				
			डीपीआर में गाँवों/मजरो की संख्या	कार्य पूर्ण गाँवों/मजरो की संख्या	कार्य पूर्ण गाँवों/मजरो का प्रतिशत	स्वीकृत लागत	दावा की गयी धनराशि	आरईसी से प्राप्त दावा धनराशि	प्राप्त किये गए दावा धनराशि का प्रतिशत	व्यय
11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12)	म.वि.वि.नि.लि.	3	8,746	7,792	89.09	893.14	680.55	566.67	83.27	571.03
	पू.वि.वि.नि.लि.	1	984	984	100.00	153.59	138.2	122.11	88.36	124.82
	प.वि.वि.नि.लि.	1	503	329	65.41	160.81	104.99	77.3	73.63	58.65
उप-योग		5	10,233	9,105	88.98	1,207.54	923.74	766.08	82.93	754.50
12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17)	म.वि.वि.नि.लि.	4	8,699	1,984	22.81	317.5	131.77	103.65	78.66	122.42
	पू.वि.वि.नि.लि.	4	15,708	8,276	52.69	621.9	413.56	330.16	79.83	245.11
	प.वि.वि.नि.लि.	3	2,300	1,873	81.43	214.7	106.1	78.03	73.54	79.33
	द.वि.वि.नि.लि.	5	9,265	3,712	40.06	665.1	277.66	214.05	77.09	186.27
उप-योग		16	35,972	15,845	44.05	1,819.2	929.09	725.89	78.13	633.13
कुल योग		21⁹	46,205	24,950	54.00	3,026.74	1,852.83	1,491.97	80.52	1,387.63


स्रोत: डिस्कॉमों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनायें

डिस्कॉमों के चयनित नमूना जिलों की भौतिक प्रगति 22.81 प्रतिशत से लेकर 89.09 प्रतिशत (पू.वि.वि.नि.लि. के एक जिले को छोड़कर जहाँ कि प्रगति 100 प्रतिशत रही) के

⁹ दो जिले यथा फैजाबाद एवं अम्बेडकरनगर 11वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना दोनों में सम्मिलित थे।

मध्य रही। विद्युतीकरण कार्य, कार्य पूर्ण होने की तिथि के एक से 20 माह विलम्ब के उपरान्त भी पूर्ण नहीं किया जा सका था। राज्य के डिस्कॉमों में आरजीजीवीवाई परियोजनाओं के चयनित नमूनों में मार्च तक सबसे अधिक विलम्बित परियोजनाओं की स्थिति को चार्ट 2.1.2 में दर्शाया गया है:

चार्ट 2.1.2: चयनित नमूना परियोजनाओं में (माह में) मार्च 2017 तक की विलम्ब की स्थिति



लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जाँच की गई 19 परियोजनाओं में कार्य पूर्ण होने में विलम्ब के मुख्य कारण, 17 परियोजनाओं में कार्यों के आवंटन में विलम्ब (एक से 13 माह), 19 परियोजनाओं में वास्तविक स्थल सर्वेक्षण में विलम्ब (एक से 24 माह) एवं 19 परियोजनाओं में सामग्री की आपूर्ति में विलम्ब (एक से 24 माह) थे, जैसा कि परिशिष्ट-2.1.2 में विस्तृत रूप से दिया गया है।

डिस्कॉमों ने टर्नकी/सेमी टर्नकी आधार पर विभिन्न टर्नकी ठेकेदारों (टीकेसी) को सभी कार्यान्वयन गतिविधियों को आउटसोर्स किया है। इसके अतिरिक्त, डिस्कॉमों ने, यहाँ तक कि परियोजनाओं के नियमित अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण कार्यों को सभी डिस्कॉमों में ₹ 197.76 करोड़ की कुल लागत पर परियोजना प्रबन्धन सलाहकारों (पीएमसी) को आउटसोर्स किया है। टीकेसी, मासिक प्रगति रिपोर्ट पीएमसी को प्रस्तुत करते हैं जो आगे मुख्य अभियंता, आरजीजीवीवाई को प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। मजरे वार मासिक एमआईएस रिपोर्ट होने पर भी, मुख्य अभियंता, आरजीजीवीवाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब को नियंत्रित करने के लिए सुधारात्मक उपाय करने में असफल रहे।

डिस्कॉमों के मुख्यालय में अभिलेखों की जांच के दौरान एवं चयनित 19 परियोजनाओं में कार्य के निष्पादन में लेखापरीक्षा द्वारा पायी गई कमियों पर चर्चा नीचे की गई है:

निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) में लागत अनुसूची की दरों को न अपनाने के कारण उच्च दर पर कार्यों का आवंटन

2.1.23 योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, परियोजनाओं की लागत में बाद में संशोधन से बचने के लिए डिस्कॉमों को वास्तविक क्षेत्र सर्वेक्षण एवं अद्यतन लागत अनुसूची के आधार पर डीपीआर तैयार करना आवश्यक है।

तदनुसार, डिस्कॉमों ने संबंधित वर्षों के लिए लागू अपने अद्यतन ग्रामीण विद्युतीकरण एवं द्वितीय प्रणाली नियोजन संगठन (रेस्पो¹⁰) की लागत अनुसूची को ध्यान में रखते हुए डीपीआर तैयार किए। इसके अतिरिक्त, योजना के दिशानिर्देश यह निर्धारित करते हैं कि कोई भी लागत संशोधन राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है।

¹⁰ रेस्पो लागत सूची, सम्बन्धित वर्षों में सभी डिस्कॉमों में पायी गयी सामग्री एवं कार्य के लागत की अधिकतम दरों (सभी करों और स्थापना लागत इत्यादि को सम्मिलित करते हुए) के आधार पर तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि संबंधित डिस्कॉमों की प्रबंध निदेशक समिति¹¹ ने सभी चार डिस्कॉमों के 19 चयनित नमूने के अन्तर्गत आने वाले जिलों में से 14 में डीपीआर में अनुमोदित दरों की तुलना में 16 से 58 प्रतिशत तक उच्च दर पर टर्नकी आधार पर कार्य प्रदान किए (परिशिष्ट-2.1.3)। जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा विश्लेषित किया गया, ऊँची दरों का मुख्य कारण, रेस्पो लागत अनुसूची की तुलना में सामग्री लागत का 21 से 67 प्रतिशत के मध्य अधिक होना (परिशिष्ट-2.1.4) एवं उपर्युक्त समितियों द्वारा निविदाएं आमंत्रित करने की सूचना (एनआईटी) में लागत अनुसूची की लागू दरों को सम्मिलित नहीं किया जाना था। सीवीसी द्वारा निर्गत दिशानिर्देश¹² यह भी प्रावधान करते हैं कि प्रस्ताव की स्वीकृति से पहले, उद्धृत दरों की तर्कसंगतता अनुमानित दरों एवं प्रचलित बाजार दरों के आधार पर स्थापित की जानी चाहिए। तथापि, डिस्कॉमों ने इतनी उच्च दरों (67 प्रतिशत तक) का औचित्य सिद्ध किए बिना अथवा पुनर्निविदा जैसे किसी अन्य विकल्प का प्रयोग किए बिना कार्य प्रदान किए। इससे ₹ 537.45 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ (परिशिष्ट-2.1.3)।

डिस्कॉमों ने कहा (मार्च 2018) कि निविदा प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, ई-टेंडरिंग द्वारा टर्नकी आधार पर कार्य प्रदान किये गये थे। इसके अतिरिक्त, 11वीं पंचवर्षीय योजना योजना के अन्तर्गत किए कार्यों की संशोधित उच्च लागत आरईसी द्वारा अनुमोदित कर दी गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना में, परियोजना की लागत को स्वीकृत सीमा में सीमित रखने के लिए बीओक्यू/कार्य के कार्यक्षेत्र को तदनुसार कम किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ये डिस्कॉम उत्तर प्रदेश सरकार की विद्युतीकरण योजनाओं का निष्पादन करते हुए रेस्पो लागत अनुसूची का पालन करते हैं एवं आरजीजीवीवाई योजना भी उसी प्रावधान की व्यवस्था करती है। इसके अतिरिक्त, आरईसी ने पहले ही 10वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प.वि.वि.नि.लि. की जेपी नगर परियोजना में परियोजना समापन के समय ₹ 4.22 करोड़ की इस ऐसी लागत वृद्धि हेतु अनुमति नहीं दी थी एवं इसलिए यह संभावना है कि इन प्रकरणों में भी आरईसी परियोजना समापन के समय लागत में वृद्धि को अस्वीकार कर देगी। परियोजना की लागत को ना बढ़ने देने के लिए बीओक्यू/कार्य के कार्यक्षेत्र को कम करना उचित नहीं है क्योंकि इसका तात्पर्य है कि परियोजना अंततः उल्लिखित लक्ष्यों को पूर्ण नहीं करेगी।

पीसीसी पोल के अतिरिक्त प्रावधान के कारण अतिरिक्त व्यय

2.1.24 आरईसी के दिशानिर्देश, परियोजना लागत में बाद में संशोधन से बचने के लिए, वास्तविक क्षेत्र सर्वेक्षण एवं अद्यतन रेस्पो लागत अनुसूची के आधार पर डीपीआर बनाने का प्रावधान करते हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि हर एक किलोमीटर में 17 पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट (पीसीसी) पोल स्थापित करने के डीपीआर के प्रावधान के सापेक्ष, म.वि.वि.नि.लि. ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत गाँवों/मजराओं के विद्युतीकरण हेतु स्पर (ब्रांच) लाइन के लिए चार चयनित नमूने वाले जिलों में से तीन (लखनऊ, फैजाबाद एवं अम्बेडकरनगर) में 25 पीसीसी पोल प्रति किलोमीटर स्थापित किए हैं। इससे रेस्पो लागत अनुसूची के सापेक्ष, लागत बढ़ गयी एवं इससे ₹ 1.73 करोड़ के अतिरिक्त व्यय सहित 3,362 पीसीसी पोलों की अतिरिक्त स्थापना हुई।

¹¹ प्रबंध निदेशक समिति में सम्बन्धित डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक, निदेशक (तकनीकी), निदेशक (वित्त), मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक (वित्त) और मुख्य अभियंता (आरजीजीवीवाई) सम्मिलित होते हैं।

¹² 15 जनवरी 2002 को सीवीसी द्वारा सामान्य चूक/अनियमितताओं के संदर्भ में निर्गत दिशानिर्देशों में उल्लिखित दरों की तर्कसंगतता के सम्बन्ध में बिंदु संख्या 15 के अनुसार।

म.वि.वि.नि.लि. ने कहा (मार्च 2018) कि दो पोल के मध्य दूरी की सीमा को कम करके दुर्घटनाओं से बचने के लिए पोल की संख्या में वृद्धि की गयी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अन्य डिस्कॉमों के साथ-साथ म.वि.वि.नि.लि. ने स्वयं अन्य जिलों में प्रति किलोमीटर 17 पीसीसी पोल स्थापित किए थे। इसके अतिरिक्त, म.वि.वि.नि.लि. ने दो पोल के मध्य दूरी की सीमा के कारण दुर्घटना होने का एक भी उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया, जहां म.वि.वि.नि.लि. ने पहले प्रति किलोमीटर 17 पीसीसी पोल स्थापित किए थे।

योजना के दिशानिर्देशों से विचलन के कारण राज्य के राजकोष पर बोझ

2.1.25 योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, डिस्कॉमों द्वारा तैयार किए गए डीपीआर एसएलएससी को इस वचन के साथ अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं कि डीपीआर में सम्मिलित कोई भी गाँव/मजरा किसी भी अन्य योजना में सम्मिलित नहीं था। एसएलएससी द्वारा अनुमोदित डीपीआर, एमसी से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु, आरईसी को भेजे जाते हैं।

लेखापरीक्षा ने देखा कि म.वि.वि.नि.लि. ने लखनऊ जिले के 1,991 गाँवों/मजरों के विद्युतीकरण के लिए मेसर्स ज्योति स्ट्रक्चरल लिमिटेड के साथ एक अनुबन्ध (दिसंबर 2014) निष्पादित किया था। कार्य की धीमी प्रगति (तीन प्रतिशत) के कारण मेसर्स ज्योति स्ट्रक्चरल लिमिटेड के अनुबन्ध को समाप्त कर दिया गया था (मई 2016) एवं योजना के अंतर्गत जिले को आच्छादित करने के लिए मेसर्स केईआई लिमिटेड के साथ एक नया अनुबन्ध निष्पादित (जून 2016) किया गया।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि एसएलएससी को दिए गए अपने वचन के विपरीत, अधीक्षण अभियंता वितरण मण्डल, लखनऊ ने राम मनोहर लोहिया योजना {(आरएमएल) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित} के अन्तर्गत ₹ 16.26 करोड़ की लागत से 107 गाँवों/मजरों (1,991 गाँवों/मजरों में से) का विद्युतीकरण (मई 2016) अनुमोदित किया, जिन्हें दिसंबर 2016 में विद्युतीकृत किया गया था। ये गाँव पहले से ही आरजीजीवीवाई योजना में आच्छादित थे। अधीक्षण अभियंता द्वारा आरएमएल योजना के अन्तर्गत 107 गाँवों के विद्युतीकरण हेतु दिया गया औचित्य, आरजीजीवीवाई योजना के अन्तर्गत अनुबन्ध का समाप्त होना (मई 2016) था। अधीक्षण अभियंता द्वारा दिया गया औचित्य स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मेसर्स ज्योति स्ट्रक्चरल लिमिटेड के अनुबन्ध को समाप्त करने से पूर्व आरएमएल योजना के अन्तर्गत कार्य आरम्भ करने से काफी पहले (मई 2016), आरजीजीवीवाई योजना के अन्तर्गत लखनऊ जिले के गाँवों/मजरों के विद्युतीकरण के कार्य हेतु पुनर्निविदा की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी (मार्च 2016)। इसलिए, यदि इन 107 मजरों का आरएमएल योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण नहीं किया गया होता, तो ये कार्य आरजीजीवीवाई योजना के अन्तर्गत मेसर्स केईआई लिमिटेड द्वारा किए जा सकते थे।

इस प्रकार, अधीक्षण अभियंता के अनियमित कार्य के कारण, उत्तर प्रदेश सरकार को ₹ 14.63 करोड़¹³ का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ा, जो अन्यथा आरजीजीवीवाई योजना के अन्तर्गत उपलब्ध था। इसके अतिरिक्त, चूंकि आरएमएल योजना में बीपीएल परिवारों को निःशुल्क संयोजन अवमुक्त करने का कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए इन 107 मजरों के 2,067 बीपीएल परिवार, जिन्हें आरजीजीवीवाई में निःशुल्क विद्युत संयोजन अवमुक्त किए जा सकते थे, वे निःशुल्क विद्युत संयोजन प्राप्त करने से भी वंचित रह गये।

म.वि.वि.नि.लि. ने कहा (मार्च 2018) कि ठेकेदार के अनुबन्ध को समाप्त करने के कारण, ग्रामीणों के अनुरोध पर शीघ्र विद्युतीकरण करने के लिए इन गाँवों को आरएमएल योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मार्च

¹³ ₹ 14.63 करोड़ = (₹ 16.26 करोड़ का 90 प्रतिशत)

2016 में इन 107 मजदूरों सहित सभी शेष मजदूरों के लिए पुनर्निविदा प्रक्रिया पहले ही प्रारम्भ कर दी गई थी।

विलम्बजनित क्षतिपूर्ति का आरोपण नहीं किया जाना

2.1.26 योजना के अन्तर्गत, अनुबन्ध के अनुसार यदि कोई ठेकेदार नियत समय (अनुबन्ध से 18/24 माह) के भीतर निर्दिष्ट कार्यों को करने में विफल रहता है तो अपूर्ण कार्यों के आधे प्रतिशत की दर से अधिकतम पाँच प्रतिशत तक विलम्बजनित क्षतिपूर्ति (एलडी) आरोपण योग्य है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि डिस्कॉम¹⁴ की 17 परियोजनाओं में, पूर्ण होने की निर्धारित तिथियों से एक से 24 माह तक विलम्ब था, परन्तु संबंधित डिस्कॉम के मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता (आरजीजीवीवाई), अनुबंधित फर्मों के बिलों से ₹ 43.87 करोड़ एलडी की कटौती करने में विफल रहे।

लेखापरीक्षा ने इसके अतिरिक्त पाया कि म.वि.वि.नि.लि. ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्धारित समय के भीतर (जुलाई 2015) कार्य निष्पादित करने में विफलता के कारण ठेकेदारों के बिलों से (फैजाबाद के लिए मेसर्स एवरेस्ट इंडिया एवं अम्बेडकरनगर के लिए मेसर्स आईएल एण्ड एफएस) ₹ 3.23 करोड़ एलडी की कटौती की थी। इसके पश्चात, म.वि.वि.नि.लि. के प्रबंध निदेशक ने किसी भी कारण का उल्लेख किये बिना, ठेकेदारों को, कार्य पूर्णता अवधि को छः से आठ माह तक विस्तारित करके, ₹ 2.27 करोड़ एलडी राशि को वापस कर दिया था (मार्च 2017)।

इस प्रकार, निर्धारित अवधि के भीतर कार्यों को पूर्ण करने में विफल होने पर भी एलडी की कटौती न करके एवं पहले से ही कटौती की गई एलडी की वापसी करके, डिस्कॉमों के प्रबंधन ने ठेकेदारों को ₹ 46.14 करोड़ (₹ 43.87 करोड़ + ₹ 2.27 करोड़) का अनुचित लाभ दिया।

डिस्कॉमों ने कहा (मार्च 2018) कि एलडी की कटौती इसलिए नहीं की गयी क्योंकि समय विस्तार के प्रकरण आरईसी के पास लंबित थे। द.वि.वि.नि.लि. ने आगे कहा कि उसने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गए ₹ 25.12 करोड़ की कटौती योग्य राशि के सापेक्ष ₹ 15.22 करोड़ एलडी की कटौती कर ली है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि एलडी को निर्धारित कार्य पूर्णता अवधि के समापन के तुरंत बाद काटा जाना था। इसके अतिरिक्त, आरईसी ने आज तक मांगा गया समय विस्तार प्रदान नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, एलडी की अनुचित वापसी के संबंध में म.वि.वि.नि.लि. द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

पीएमसी अनुबन्ध में दोषयुक्त प्रावधान

2.1.27 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 19 जिलों में पीएमसी कार्य करने के लिए म.वि.वि.नि.लि. एवं मेसर्स मेधज टेक्नो कॉन्सेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (पीएमसी) के मध्य ₹ 41.42 करोड़ के अनुबन्धित मूल्य पर एक अनुबन्ध निष्पादित (मार्च 2015) किया गया था। अनुबन्ध की राशि ₹ 41.42 करोड़ में से, ₹ 18.64 करोड़ टर्नकी ठेकेदारों (टीकेसी) द्वारा निष्पादित किये जा रहे कार्यों हेतु सामग्री निरीक्षण, भौतिक सत्यापन एवं गुणवत्ता अनुश्रवण के लिए प्रदान किया गया था। पीएमसी को 24 समान मासिक किस्तों में भुगतान किया जाना था।

¹⁴ 11वीं पंचवर्षीय योजना: प.वि.वि.नि.लि.-3 परियोजनाएं एवं द.वि.वि.नि.लि.-3 परियोजनाएं; 12वीं पंचवर्षीय योजना: म.वि.वि.नि.लि.-2 परियोजनाएं, पू.वि.वि.नि.लि.- 2 परियोजनाएं एवं द.वि.वि.नि.लि.-7 परियोजनाएं

लेखापरीक्षा ने पाया कि पीएमसी एवं म.वि.वि.नि.लि. के मध्य अनुबन्ध में पीएमसी के भुगतान को टीकेसी द्वारा कार्य की वास्तविक प्रगति के साथ जोड़ने के लिए कोई प्रावधान सम्मिलित नहीं था। 24 माह (मार्च 2017) पश्चात, विद्युतीकरण के लिए दिए गए 37,431 मजरों में से केवल 12,889 मजरे (34.43 प्रतिशत) टीकेसी द्वारा पूर्ण किए गए थे। तथापि, म.वि.वि.नि.लि. ने मासिक आधार पर पीएमसी को कुल अनुबंधित मूल्य ₹ 18.64 करोड़ (अप्रैल 2015 से मार्च 2017) का भुगतान कर दिया, यद्यपि भौतिक प्रगति मात्र 34.43 प्रतिशत थी।

इस प्रकार, पीएमसी के भुगतान को टीकेसी द्वारा निष्पादित कार्य की प्रगति के साथ न जोड़ने के परिणामस्वरूप पीएमसी को किसी भी वास्तविक भौतिक प्रगति के बिना ₹ 12.22 करोड़¹⁵ अवमुक्त हो गये।

म.वि.वि.नि.लि. ने कहा (मार्च 2018) कि पीएमसी ने डिस्कॉम के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों में आवश्यक तकनीकी कर्मचारियों की तैनाती की थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि म.वि.वि.नि.लि. प्रबंधन ने फर्म के भुगतान को कार्य की भौतिक प्रगति के साथ जोड़ना सुनिश्चित नहीं किया था, जिसके कारण पीएमसी को वह कार्य जिसके लिए इसे नियुक्त किया गया था, किए बिना भुगतान हो गया। म.वि.वि.नि.लि., 10वीं एवं 11वीं पंचवर्षीय योजना की सभी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब से अच्छी तरह से अवगत था। इसलिए, परियोजनाओं के निष्पादन में टीकेसी द्वारा विलम्ब की दशा में उन्हें अपने हितों की सुरक्षा के लिए अनुबन्ध में एक सक्षम प्रावधान सम्मिलित करना चाहिए था। अनुबन्ध की अवधि पूर्ण होने के पश्चात, म.वि.वि.नि.लि. के पास शेष 65 प्रतिशत कार्य के लिए पीएमसी के विरुद्ध कोई विधिक रूप से लागू करने योग्य प्रावधान नहीं है। इसके अलावा, प.वि.वि.नि.लि. (म.वि.वि.नि.लि. की सहयोगी कंपनी) ने पीएमसी को भुगतान की शर्तों को इस तरह से निश्चित किया था कि यदि टीकेसी द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है, तो पीएमसी को तीन माह के पश्चात कोई भुगतान नहीं किया जाएगा एवं इस तरह के भुगतान को तीन माह की अवधि के लिए ₹ 5.00 लाख तक सीमित कर दिया जाएगा।

2.1.28 द.वि.वि.नि.लि. ने आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 21 जिलों में परियोजनाओं के लिए पीएमसी के रूप में ₹ 10,100.00 प्रति गाँव (सेवा कर को छोड़कर) की दर से अनुबन्ध (जनवरी 2015) किया, जिसमें द.वि.वि.नि.लि. ने पीएमसी को कार्यकलाप आधारित भुगतान करना था। कार्यकलाप संख्या दो "सामग्री की तकनीकी विशिष्टियों के अनुसार सामग्री की गुणवत्ता का पूर्व-प्रेषण निरीक्षण व प्राप्त/स्थापित एवं विद्युतीकरण कार्यों में स्थापित सामग्री के भौतिक सत्यापन" के कार्य के लिए कुल अनुबन्ध मूल्य का 45 प्रतिशत (₹ 10,100 प्रति गाँव/मजरा में से ₹ 4,545 प्रति गाँव/मजरा) का भुगतान किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 21 जिलों में से चार जिलों (आगरा, मैनपुरी, इटावा एवं कन्नौज) जिनमें 6,668 गाँवों/मजरे थे, में द.वि.वि.नि.लि. द्वारा कार्यों (कार्य सितंबर 2013 से जनवरी 2016 की अवधि में प्रदान किए गए थे) को सेमी-टर्नकी आधार पर निष्पादित किया जा रहा था जिनमें सामग्री द.वि.वि.नि.लि. द्वारा क्रय की गई थी। अतः पूर्व-प्रेषण निरीक्षण के साथ-साथ सामग्री के भौतिक सत्यापन को कंपनी के अपने सामग्री प्रबंधन (एमएम) विंग द्वारा सुनिश्चित किया जाना था।

इसलिए, भुगतान अनुसूची की कार्यकलाप संख्या दो के लिए प्रदान की गई दर, अर्थात् ₹ 5,106.76 (₹ 4,545 व सर्विस टैक्स) प्रति गाँव/मजरा परिहार्य था। तथापि, द.वि.वि.नि.लि. के मुख्य अभियंता व अधीक्षण अभियंता (आरजीजीवीवाई विंग) चार जिलों के

द.वि.वि.नि.लि. ने दोषपूर्ण अनुबन्ध के कारण पीएमसी को ₹ 3.41 करोड़ का परिहार्य भुगतान किया

¹⁵ ₹ 18.64 करोड़ – ₹ 6.42 करोड़ (₹ 18.64 करोड़ का 34.43 प्रतिशत)

6,668 गाँवों/मजरो के संबंध में कार्यकलाप संख्या दो को अनुबन्ध के कार्यक्षेत्र से अलग करने में विफल रहे एवं पीएमसी को ₹ 3.41 करोड़ का परिहार्य भुगतान किया।

द.वि.वि.नि.लि. ने कहा (मार्च 2018) कि पीएमसी सामग्री का 100 प्रतिशत पूर्व प्रेषण निरीक्षण कर रहा था। उत्तर लेखापरीक्षा प्रेक्षण की पुष्टि करता है कि द.वि.वि.नि.लि. ने पीएमसी को स्वयं द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री का निरीक्षण करने की अनुमति दी एवं इसके लिए भुगतान किया, जबकि इसका अपना एमएम विंग सामग्री का अल्प अथवा बिना अतिरिक्त लागत के आसानी से निरीक्षण कर सकता था।

बैंक गारण्टी व कान्ट्रैक्ट परफॉरमेंस गारण्टी का अल्प संग्रहण एवं नगदीकरण में विफलता

2.1.29 परियोजनाओं के निष्पादन के लिए ठेकेदारों के साथ डिस्काओं द्वारा किए गए अनुबन्धों में यह व्यवस्था है कि अनुबन्ध के समय ठेकेदारों से कुल अनुबन्ध मूल्य के 15 प्रतिशत की बिना शर्त एवं अपरिवर्तनीय कान्ट्रैक्ट परफॉरमेंस गारण्टी (सीपीजी) प्राप्त की जायेगी। इसके अतिरिक्त, ठेकेदारों को किसी भी मोबिलाईजेशन अग्रिम के सापेक्ष 110 प्रतिशत की बैंक गारण्टी (बीजी), इसके अवमुक्त होने से पहले जमा करनी होती है। डिस्काओं के मुख्य अभियंता (आरजीजीवीवाई) आवश्यक राशि की बीजी/सीपीजी प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- म.वि.वि.नि.लि. ने (अगस्त 2013) 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हरदोई व बहराईच जिलों के ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य मॉडर्न इंस्ट्रुमेन्ट लिमिटेड (ठेकेदार) को प्रदान दिया। म.वि.वि.नि.लि. ने आवश्यक राशि ₹ 6.71 करोड़ की बीजी प्राप्त की। तथापि, मुख्य अभियंता (आरजीजीवीवाई) ने सीपीजी के ₹ 16.65 करोड़ (आवश्यक ₹ 52.32 करोड़ – जमा ₹ 35.67 करोड़) का अल्प संग्रहण किया।

ठेकेदार ने जुलाई 2015 तक कार्य पूर्ण करने के लक्ष्य के सापेक्ष, हरदोई व बहराईच जिलों में क्रमशः 21.17 और 32.82 प्रतिशत कार्य निष्पादित किया (अप्रैल 2016 तक)। इस तथ्य के बावजूद कि कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि समाप्त हो गई थी, मुख्य अभियंता, आरजीजीवीवाई ने कार्य शीघ्र पूर्ण करने के लिए दिसंबर 2015 से फरवरी 2016 की अवधि में चार अनुस्मारक निर्गत किए। इन अनुस्मारकों के पश्चात भी, फर्म का निष्पादन खराब रहा। अंत में, कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के आठ माह पश्चात, एमडी ने बीजी/सीपीजी का नगदीकरण किए बिना अनुबन्ध को समाप्त (01 अप्रैल 2016) कर दिया। एक माह से अधिक समय के बाद (06 मई 2016) प्रबंध निदेशक (एमडी) ने, किसी कारण का उल्लेख किए बिना ₹ 42.38 करोड़ (₹ 6.71 करोड़ की बीजी एवं ₹ 35.67 करोड़ की सीपीजी) की बीजी एवं सीपीजी की धनराशि के नकदीकरण को 14 मई 2016 तक विलम्बित करने का आदेश दिया। यद्यपि, 14 मई 2016 को नकदीकरण का समय विस्तार भी समाप्त हो गया था, म.वि.वि.नि.लि. ने 29 मई 2016 तक बीजी/सीपीजी का नकदीकरण नहीं किया। इस बीच, ठेकेदार 30 मई 2016 को उच्च न्यायालय, इलाहाबाद पहुँच गया और 16 जून 2016 को बीजी और सीपीजी के नकदीकरण के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। तथापि, बीजी की समय सीमा जनवरी 2017 में समाप्त हो गयी तथा मुख्य अभियंता, आरजीजीवीवाई म.वि.वि.नि.लि. ने इसके नवीनीकरण के लिए कोई प्रयास नहीं किया था।

- द.वि.वि.नि.लि. ने मेसर्स एक्यूरेट ट्रांसफार्मर (ठेकेदार) को 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आगरा एवं हाथरस जिलों के ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यों को, अगस्त 2016 तक पूर्ण करने के लिए क्रमशः ₹ 133.18 करोड़ व ₹ 103.48 करोड़ के अनुबंधित मूल्यों पर कार्य प्रदान (सितम्बर 2014) किया। निविदा प्रपत्रों एवं अनुबन्ध की शर्तों के प्रावधानों के अनुसार, फर्म को एलओआई निर्गत करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर बीजी/सीपीजी की पूर्ण राशि जमा करनी थी।

ठेकेदार ने द.वि.वि.नि.लि. से कार्य की गति बढ़ाने के आधार पर बीजी/सीपीजी की पूर्ण राशि जमा करने में शिथिलता प्रदान करने का अनुरोध किया, जिसे आरईसी ने अस्वीकृत (अक्टूबर 2014) कर दिया। आरईसी की अस्वीकृति होने पर भी, एमडी/मुख्य अभियंता ने निदेशक मण्डल से अनियमित रूप से अनुमोदन (मार्च 2015) प्राप्त किया, जो इस तरह की शिथिलता प्रदान करने के लिए सक्षम नहीं था। इस प्रकार की शिथिलता से ठेकेदार का ₹ 21.38 करोड़ की बीजी/सीपीजी (आगरा एवं हाथरस परियोजनाओं में ₹ 17.76 करोड़ की सीपीजी व हाथरस परियोजना में ₹ 3.62 करोड़ की बीजी) कम जमा करने में अनियमित रूप से पक्ष लिया गया। इसके अतिरिक्त, कार्य की धीमी प्रगति के कारण (एक प्रतिशत से 17.86 प्रतिशत), द.वि.वि.नि.लि. के प्रबंध निदेशक ने आगरा जिले के अनुबन्ध को समाप्त (फरवरी 2016) कर दिया एवं हाथरस जिले के अनुबन्ध को अवधि से पूर्व समाप्त (शार्ट क्लोज) कर दिया (सितंबर 2016)। यही नहीं, द.वि.वि.नि.लि. के मुख्य अभियंता (आरजीजीवीवाई) ने किसी कारण का उल्लेख किए बिना, आगरा परियोजना में अनुबन्ध को समाप्त करने के समय ₹ 4.06 करोड़ की बीजी (₹ 9.98 करोड़ की बीजी के सापेक्ष ₹ 5.92 करोड़ का संग्रहण) का अल्प संग्रहण किया। इसके अतिरिक्त, हाथरस परियोजना में, एमडी ने अनुबन्ध को अवधि से पूर्व समाप्त कर दिया, जिसे बीजी व सीपीजी के नगदीकरण को सम्मिलित करते हुए समाप्त करना चाहिए था। परिणामस्वरूप, द.वि.वि.नि.लि. ने ₹ 11.44 करोड़ की बीजी एवं सीपीजी का नगदीकरण न करके ठेकेदार का अनुचित पक्ष लिया।

डिस्कॉम चूककर्ता ठेकेदारों की ₹ 95.91 करोड़ की बीजी/सीपीजी का नगदीकरण न करके अपने वित्तीय हितों की सुरक्षा करने में विफल रहा

इस प्रकार, बीजी/सीपीजी की पूर्ण राशि प्राप्त करने, बीजी/सीपीजी का नगदीकरण करने में आवश्यक कदम उठाने में उपेक्षा करके एवं अनुबन्ध को समाप्त करने के स्थान पर परियोजना को अवधि पूर्व समाप्त (शार्ट क्लोज) करने का आश्रय लेकर द.वि.वि.नि.लि. प्रबंधन अपने ₹ 36.88 करोड़ (₹ 21.38 करोड़ की सीपीजी की अल्प संग्रहीत राशि सम्मिलित करके) की राशि के वित्तीय हितों की सुरक्षा नहीं कर सका।

द.वि.वि.नि.लि. ने कहा (मार्च 2018) कि निदेशक मण्डल ने कार्य की गति बढ़ाने के लिए सीपीजी की पूर्ण राशि जमा करने में फर्म को आवश्यक शिथिलता (मार्च 2015) प्रदान की। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीपीजी की पूर्ण राशि जमा करने में शिथिलता प्रदान करना, आरईसी के शिथिलता प्रदान करने की अस्वीकृति के आदेश के विपरीत था। यही नहीं, फर्मों द्वारा किए गए कार्य की गति भी संतोषजनक नहीं थी। इसके अतिरिक्त, द.वि.वि.नि.लि. ने आगरा परियोजना में बीजी/सीपीजी के नगदीकरण में विफलता के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया एवं हाथरस परियोजना के अनुबन्ध को निरस्त करने के स्थान पर इसे अवधि पूर्व समाप्त (शार्ट क्लोज) करने का औचित्य भी प्रस्तुत नहीं किया।

• म.वि.वि.नि.लि. एवं द.वि.वि.नि.लि. की 10 परियोजनाओं में, फर्मों ने, ₹ 128.56 करोड़ की आवश्यक राशि के सापेक्ष ₹ 49.86 करोड़ की सीपीजी जमा की, जैसा कि **परिशिष्ट-2.1.5** में विस्तृत रूप से दिया है। इस प्रकार, ₹ 78.70 करोड़ की सीपीजी के अल्प निक्षेप की अनुमति देकर, म.वि.वि.नि.लि. एवं द.वि.वि.नि.लि. के मुख्य अभियंता (आरजीजीवीवाई) ने योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया तथा ठेकेदारों का अनुचित पक्ष लिया। इसके अतिरिक्त, फर्मों की कार्य पूर्ण करने में विफलता के कारण अनुबन्धों को समाप्त करने के प्रकरण में डिस्कॉमों का हित भी दांव पर था।

म.वि.वि.नि.लि. एवं द.वि.वि.नि.लि. ने कहा (मार्च 2018) कि फर्मों को कार्य की प्रगति को तीव्र करने के लिए सीपीजी जमा करने में शिथिलता प्रदान की गई थी। तथापि, सीपीजी की शेष राशि को ठेकेदारों के बिलों से काटा जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि अनुबन्ध के नियमों एवं शर्तों के अनुसार सीपीजी की पूर्ण राशि प्राप्त की जानी थी, जैसा कि आरईसी द्वारा भी निर्देशित/स्पष्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त, यद्यपि दोनों योजनाओं के अन्तर्गत दी गयी सभी परियोजनाओं को जुलाई 2015 से मार्च 2017

के मध्य पूर्ण किया जाना था, परन्तु बीजी/सीपीजी के संबंध में शिथिलता होने पर भी आजतक (मार्च 2018) कोई परियोजना पूर्ण नहीं हुई है।

अतिरिक्त बैंक गारण्टी जमा न करना

2.1.30 प.वि.वि.नि.लि. में आरजीजीवीवाई (12वीं पंचवर्षीय योजना) के अन्तर्गत ठेकेदारों को निर्गत, कार्य प्रदान करने की अधिसूचना (एनओए)/आशय पत्र (एलओआई) के नियम एवं शर्तों के अनुसार, ठेकेदारों को वितरण परिवर्तकों (डीटी) एवं ऊर्जा मीटरों की कुल लागत के 15 प्रतिशत की अतिरिक्त प्रतिभूति, अतिरिक्त बैंक गारण्टी (बीजी) के रूप में जमा करने की आवश्यकता थी। मुख्य अभियंता (आरजीजीवीवाई) आवश्यक राशि की अतिरिक्त बैंक गारण्टी प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि प.वि.वि.नि.लि. के 12 जिलों/परियोजनाओं के 51 टर्नकी/सेमी-टर्नकी अनुबन्धों में से 19 में, मुख्य अभियंता (आरजीजीवीवाई) ने डीटी एवं ऊर्जा मीटरों की आपूर्ति के सापेक्ष ठेकेदारों से ₹ 9.08 करोड़ की अतिरिक्त बीजी (दिसंबर 2014 से मार्च 2016) इस आधार पर प्राप्त नहीं की कि आवश्यक राशि ठेकेदार के रनिंग बिलों से काट ली जायेगी। चूंकि अतिरिक्त बीजी जमा करना अनुबन्ध के नियमों और शर्तों की आवश्यकता थी, जमा करने में शिथिलता की अनुमति के परिणामस्वरूप ठेकेदार को अनुचित लाभ मिला।

प.वि.वि.नि.लि. ने तथ्यों को स्वीकार किया (मार्च 2018)।

संस्तुतियां:

1. परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी को नियंत्रित करने के लिए डिस्कॉम को सुधारात्मक उपाय करने चाहिए;
2. कार्य प्रदान करते समय डिस्कॉम को सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार दरों की तर्कसंगतता सुनिश्चित करनी चाहिए;
3. अनुबन्ध के नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डिस्कॉम को अनुपालन की जाने वाली एक विस्तृत जांच सूची विकसित करनी चाहिए; तथा
4. विभाग, डिस्कॉम पदाधिकारियों द्वारा ठेकेदारों को प्रदान किये गये अनुचित लाभ की जांच सतर्कता के दृष्टिकोण से कर सकता है।

वित्तीय प्रबंधन

2.1.31 इस योजना का वित्त पोषण 90:10 आधार पर जिसमें भारत सरकार द्वारा पूँजी सब्सिडी एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने संसाधनों से या वित्तीय संस्थानों (आरईसी सहित) से ऋण के माध्यम से किया जाना था। डिस्कॉम के अनुरोध पर तथा स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात कि किसी विशेष किस्त को अवमुक्त करने के लिए निर्दिष्ट शर्तों का पालन किया गया था, आरईसी परियोजना लागत (बीपीएल संयोजन की लागत सहित) के सापेक्ष पाँच किस्तों (30, 20, 20, 20 और 10 प्रतिशत) में भारत सरकार की पूँजी सब्सिडी अवमुक्त करेगी, जैसा कि तालिका 2.1.6 में वर्णित है:

तालिका 2.1.6: 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना में निधि अवमुक्त करने की व्यवस्था				
किस्त संख्या	संबंधित मजदूरों और बीपीएल परिवारों सहित गाँवों की प्रगति (प्रतिशत में)		अवमुक्त निधियां (प्रतिशत में)	
	प्रगति	संचयी प्रगति	किस्त राशि	संचयी किस्त
1	-	-	30	30
2	05	05	20	50
3	25	30	20	70

तालिका 2.1.6: 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना में निधि अवमुक्त करने की व्यवस्था				
किस्त संख्या	संबंधित मजदूरों और बीपीएल परिवारों सहित गाँवों की प्रगति (प्रतिशत में)		अवमुक्त निधियां (प्रतिशत में)	
	प्रगति	संचयी प्रगति	किस्त राशि	संचयी किस्त
4	25	55	20	90
5	45	100	10	100

स्रोत: योजना के दिशानिर्देश

ब्याज का परिहार्य भार

2.1.32 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 2012-13 से 2016-17 की अवधि में डिस्कॉमों द्वारा प्राप्त करने योग्य पूँजी सब्सिडी, प्राप्त की गई सब्सिडी व ऋण तथा किए गए व्यय नीचे तालिका 2.1.7 में दिए गए हैं:

तालिका 2.1.7: भारत सरकार से पूँजी सब्सिडी और आरईसी से प्राप्त किए गए ऋण एवं व्यय का विवरण				
पंचवर्षीय योजना	प्राप्ति योग्य सब्सिडी (₹ करोड़ में)	प्राप्त हुई सब्सिडी (₹ करोड़ में)	आरईसी से लिया गया ऋण (₹ करोड़ में)	किया गया व्यय (₹ करोड़ में)
11 वीं	1,986.76 ¹⁶	1,968.51	201.85	1,995.83
12 वीं	3,277.26 ¹⁷	2,559.23	240.75	2,225.89
कुल	5,264.02	4,527.74	442.60	4,221.72

स्रोत : डिस्कॉम द्वारा दी गई सूचना

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि आरईसी से भारत सरकार की पूँजी सब्सिडी प्राप्त करने का पात्र होने पर भी डिस्कॉम प्रबंधन ने इसके स्थान पर आरईसी से ऋण प्राप्त किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि धन अवमुक्त करते समय, आरईसी ने पूँजी सब्सिडी के साथ ऋण सम्मिलित कर दिया, जिसका डिस्कॉमों ने विरोध नहीं किया। डिस्कॉमों द्वारा सब्सिडी के रूप में पहले से ही प्राप्त ₹ 4,527.74 करोड़ की निधि 31 मार्च 2017 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना में किए गए ₹ 1,995.83 करोड़ के व्यय एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना में किए गए ₹ 2,225.89 करोड़ के व्यय की पूर्ति के लिए लगभग पर्याप्त थी। इस प्रकार, सब्सिडी की उपलब्धता होने पर भी ऋण का आहरण दोषपूर्ण वित्तीय प्रबंधन का संकेतक था जिसके परिणामस्वरूप राजकोष पर ₹ 129.22 करोड़ (परिशिष्ट-2.1.6) के ब्याज का परिहार्य भार पड़ा।

डिस्कॉम ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार (मार्च 2018) किया।

वैध बैंक गारण्टी के बिना मोबिलाइजेशन अग्रिम अवमुक्त करना

2.1.33 म.वि.वि.नि.लि. ने मेसर्स आईवीआरसीएल लिमिटेड, हैदराबाद (फर्म) के साथ 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उन्नाव जिले के ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए ₹ 394.36 करोड़ (सामग्री की आपूर्ति के लिए ₹ 322.46 करोड़ सम्मिलित करके) के अनुबन्धित मूल्य के लिए एक अनुबन्ध पर हस्ताक्षर (अक्टूबर 2013) किए। अनुबन्ध में प्रावधानित था कि अनुबन्ध मूल्य की सामग्रियों की आपूर्ति के एक्स वर्क मूल्य घटक का 10 प्रतिशत, प्रारंभिक मोबिलाइजेशन अग्रिम के रूप में 12 प्रतिशत की ब्याज दर पर भुगतान किया जाएगा एवं पहले पाँच बिलों से वसूल किया जाएगा। मोबिलाइजेशन

¹⁶ 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्ति योग्य सब्सिडी राशि = (कुल स्वीकृत लागत ₹ 4,415.02 करोड़ x 90 प्रतिशत) का 50 प्रतिशत = ₹ 1,986.76 करोड़

¹⁷ 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्ति योग्य सब्सिडी राशि = (कुल स्वीकृत लागत ₹ 7,282.81 करोड़ x 90 प्रतिशत) का 50 प्रतिशत = ₹ 3,277.26 करोड़

अग्रिम केवल मोबिलाइजेशन अग्रिम की राशि की 110 प्रतिशत के बराबर, 18 माह अथवा मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली तक वैध एक शर्त रहित एवं अखण्डनीय बैंक गारण्टी (बीजी) की प्रस्तुति के बाद देय था। फर्म ने 20 नवंबर 2013 को चार्टर्ड मर्केंटाइल एम.बी. लिमिटेड, लखनऊ (सीएमएमबी), जो कि म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी थी, न कि बैंक, पर आहरित ₹ 35.47 करोड़ (आपूर्ति के भाग के 10 प्रतिशत का 110 प्रतिशत) की एक बीजी प्रस्तुत की।

म.वि.वि.नि.लि. ने वैध बीजी के बिना मोबिलाइजेशन अग्रिम अवमुक्त किया जिसके कारण ₹ 13.83 करोड़ की वसूली नहीं हुई

लेखापरीक्षा ने पाया कि सीएमएमबी से पूर्व सूचना (28 दिसंबर 2013) की प्राप्ति के बावजूद कि फर्म के पक्ष में निर्गत बीजी को आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण न करने के कारण रद्द कर दिया गया था, म.वि.वि.नि.लि. के मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता (आरजीजीवीवाई) ने फर्म को ₹ 13.83 करोड़ का मोबिलाइजेशन अग्रिम अवमुक्त (03 जनवरी 2014) कर दिया। इसके अतिरिक्त, म.वि.वि.नि.लि. को 25 अगस्त 2014 को अनुबन्ध को समाप्त करना पड़ा क्योंकि कंपनी ने मोबिलाइजेशन अग्रिम प्राप्त करने की तिथि से सात माह तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया।

लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार करते हुए, म.वि.वि.नि.लि. ने कहा (मार्च 2018) कि लेखापरीक्षा प्रेक्षण के पश्चात फर्म को अवमुक्त ₹ 13.83 करोड़ में से ₹ 11.86 करोड़, म.वि.वि.नि.लि. में आरजीजीवीवाई के 10वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित, फर्म के लंबित बिलों के सापेक्ष समायोजित (सितंबर 2017) कर दिया गया था एवं शेष राशि द.वि.वि. नि.लि. के आरजीजीवीवाई के 10वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत (10वीं पंचवर्षीय योजना के सापेक्ष ₹ 35.13 करोड़), संबंधित फर्म के लंबित बिलों के सापेक्ष समायोजित कर दी जाएगी। तथापि, तथ्य यह है कि म.वि.वि.नि.लि. ने फर्म को अनुचित लाभ प्रदान करते हुए आवश्यक बैंक गारण्टी के बिना अग्रिम अवमुक्त किया।

संस्तुति:

विभाग, सतर्कता दृष्टिकोण से म.वि.वि.नि.लि. पदाधिकारियों की संदिग्ध मिलीभगत की जांच कर सकता है।

योजना निधि पर अर्जित विविध आय का अनियमित प्रतिधारण

2.1.34 योजना के दिशानिर्देश प्रावधानित करते हैं कि योजना के समर्पित बैंक खातों में निधियों का रखरखाव किया जाएगा। समर्पित बैंक खाते में ₹ 50.00 लाख से अधिक की निधि को बैंक द्वारा स्वचालित रूप से सावधि जमा के रूप में बनाए रखा जाएगा तथा डिस्कॉमों को किसी भी अन्य बैंक में निधि का निवेश नहीं करना चाहिए। अप्रयुक्त राशि पर अर्जित ब्याज को आरजीजीवीवाई निधि के रूप में माना जाएगा और योजना निधि खाते में जमा किया जाएगा। इस प्रकार, योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप, मोबिलाइजेशन अग्रिम पर अर्जित ब्याज, हरण की गयी बीजी/सीपीजी एवं अर्नेस्ट मनी को योजना निधि खाते में प्रेषित किया जाना चाहिए।

डिस्कॉमों ने योजना निधि पर ब्याज तथा हरण की गयी अर्नेस्ट मनी, बीजी/सीपीजी के रूप में अर्जित ₹ 61.17 करोड़ की आय को भारत सरकार को भेजने के स्थान पर प्रतिधारित कर लिया

लेखापरीक्षा ने पाया कि डिस्कॉम ने ₹ 61.17 करोड़ के अप्रयुक्त धन/मोबिलाइजेशन अग्रिम पर अर्जित ब्याज एवं सीपीजी/अर्नेस्ट मनी की हरण की गयी राशि को योजना निधि खाते में अन्तरित नहीं किया (मार्च 2017) एवं इसके स्थान पर इन निधियों को अपनी आय के रूप में माना है जैसा कि तालिका 2.1.8 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.1.8: योजना निधि पर अर्जित विविध आय का विवरण						
(₹ करोड़ में)						
क्रं० सं०	विवरण	डिस्कॉम				कुल
		म.वि.वि.नि. लि.	पू.वि.वि.नि. लि.	प.वि.वि.नि. लि.	द.वि.वि.नि.लि.	
1	मेबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज (11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना)	11.73	20.29	--	4.41	36.43

तालिका 2.1.8: योजना निधि पर अर्जित विविध आय का विवरण						
(₹ करोड़ में)						
क्र० सं०	विवरण	डिस्कॉम				कुल
		म.वि.वि.नि. लि.	पू.वि.वि.नि. लि.	प.वि.वि.नि. लि.	द.वि.वि.नि.लि.	
2	योजना की अप्रयुक्त निधि पर ब्याज (11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना)	--	2.65	0.68	--	3.33
3	हरण की गई अर्नेस्ट मनी की धनराशि	1.21	--	--	1.30	2.51
4	कान्ट्रैक्ट परफॉरमेंस गारण्टी की हरण की गई राशि	--	--	--	18.90	18.90
	कुल	12.94	22.94	0.68	24.61	61.17

स्रोत : डिस्कॉमों द्वारा प्रस्तुत सूचना एवं विवरण

डिस्कॉमों ने लेखापरीक्षा प्रेक्षकों को स्वीकार किया (मार्च 2018) तथा लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित करने के पश्चात द.वि.वि.नि.लि. ने योजना निधि में ₹ 23.31 करोड़ जमा कर दिया। तथापि, ₹ 37.86 करोड़ की शेष राशि अभी भी योजना निधि में जमा होने के लिए लंबित थी।

इसके अतिरिक्त, योजना के प्रावधानों के अनुसार, योजना के अप्रयुक्त धन पर अर्जित ब्याज पर आयकर अधिनियम की धारा 197 के अन्तर्गत आयकर की कटौती नहीं की जानी थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि म.वि.वि.नि.लि. तथा द.वि.वि.नि.लि. के निदेशक (वित्त) एवं महाप्रबंधक (वित्त) ने उपरोक्त प्रावधान बैंकों के संज्ञान में नहीं लाए। परिणामस्वरूप, बैंकों ने 2014-15 तथा 2016-17 की अवधि में क्रमशः म.वि.वि.नि.लि. एवं द.वि.वि.नि.लि. द्वारा योजना निधि पर अर्जित ब्याज से ₹ 10.51 लाख तथा ₹ 2.46 करोड़ का आयकर काट लिया।

राज्य सरकार से मूल्य वर्धित कर, कार्य अनुबन्ध कर तथा श्रम उपकर का दावा न करना

2.1.35 योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए पूँजी सब्सिडी, राज्य अथवा स्थानीय करों की राशि को छोड़कर जिसे संबंधित राज्य/राज्य उपक्रम द्वारा वहन करना था, परियोजनाओं की लागत के 90 प्रतिशत की दर से प्रदान की जानी थी। तदनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश (मार्च 2014) दिया कि ये कर डिस्कॉमों को प्रतिपूर्ति योग्य थे। उपरोक्त दिशानिर्देशों एवं सरकारी आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित डिस्कॉमों के मुख्य अभियंता (आरजीजीवीवाई) तथा निदेशक/महाप्रबंधक (वित्त) उत्तरदायी थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- योजना निधि से ठेकेदारों को भुगतान करते समय, सभी चार डिस्कॉमों ने 2012-17 की अवधि में ₹ 120.97 करोड़¹⁸ का मूल्य वर्धित कर (वैट) एवं कार्य अनुबन्ध कर (डब्ल्यूसीटी) काटा तथा वाणिज्यिक कर विभाग में जमा किया। तथापि, डिस्कॉम राज्य सरकार से इन करों की प्रतिपूर्ति का दावा करने में विफल रहे।
- 17 जिलों में द.वि.वि.नि.लि. ने ठेकेदारों से सामग्र की लागत तथा वैट को अलग-अलग प्रदर्शित करने वाले बिल जमा करने के लिए कहने के स्थान पर 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आपूर्ति बिलों, जिनमें वैट को अलग से नहीं दिखाया गया था के सापेक्ष ₹ 397.84 करोड़ का भुगतान, अवमुक्त कर दिया। परिणामस्वरूप, द.वि.वि.नि.लि. राज्य सरकार से वैट के रूप में दावा की जाने वाली राशि से अनभिज्ञ रहा तथा

डिस्कॉमों की निष्क्रियता के कारण राज्य सरकार से कुल ₹ 139.57 करोड़ के राज्य करों की प्रतिपूर्ति नहीं हुई

¹⁸ म.वि.वि.नि.लि.- ₹ 45.23 करोड़, पू.वि.वि.नि.लि.- ₹ 63.80 करोड़, प.वि.वि.नि.लि.- ₹ 11.07 करोड़ और द.वि.वि.नि.लि.- ₹ 0.87 करोड़

इसलिए, ₹ 15.30 करोड़ (वैट के चार प्रतिशत की निम्न दर संज्ञान में लेते हुए) की वैट की प्रतिपूर्ति से वंचित रहा।

- 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत द.वि.वि.नि.लि., पू.वि.वि.नि.लि. एवं म.वि.वि.नि.लि. ने ठेकेदारों के रनिंग बिलों से ₹ 2.69 करोड़ के श्रम उपकर की कटौती की एवं इसे जमा किया। तथापि, डिस्कॉम राज्य सरकार से श्रम उपकर पाने में विफल रही।

इस प्रकार, मुख्य अभियंता (आरजीजीवीवाई) एवं निदेशक/महाप्रबंधक (वित्त), कुल ₹ 139.57 करोड़ के राज्य करों/लेवी का दावा करने में विफल रहे।

डिस्कॉमों ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार (मार्च 2018) किया।

ठेकेदारों के बिलों से श्रम उपकर की अल्प कटौती

2.1.36 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अनुसार, निष्पादन एजेंसी को परियोजनाओं की कुल लागत के एक प्रतिशत की दर से श्रम उपकर काटना चाहिए तथा इसे भुगतान की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर श्रम उपकर प्राधिकारियों के पास जमा किया जाना चाहिए। संबंधित डिस्कॉमों के निदेशक (वित्त) एवं महाप्रबंधक (वित्त) को उपर्युक्त प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी चार डिस्कॉमों ने विभिन्न ठेकेदारों को ₹ 4,221.72 करोड़ का भुगतान किया तथा ₹ 42.21 करोड़ की आवश्यक राशि के सापेक्ष ₹ 2.69 करोड़ की श्रम उपकर कटौती की, जिससे ठेकेदारों के बिलों से ₹ 39.52 करोड़¹⁹ की अल्प कटौती हुई।

डिस्कॉम ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार (मार्च 2018) किया।

निधि का अपयोजन

2.1.37 योजना के दिशानिर्देशों के अन्तर्गत योजना के उद्देश्य से परे निधि का अपयोजन निषेध था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि म.वि.वि.नि.लि. एवं द.वि.वि.नि.लि. के प्रबंध निदेशकों (एमडी) ने उन कार्यों हेतु भी निधि के उपयोग को अनुमोदित किया, जो योजना के अन्तर्गत आरईसी द्वारा अनुमोदित डीपीआर का हिस्सा नहीं थे, जैसा कि नीचे तालिका 2.1.9 में चर्चा की गयी है:

तालिका 2.1.9: योजना निधि के अपयोजन का विवरण		
डिस्कॉमों के नाम	धनराशि (₹करोड़ में)	अपयोजन का उद्देश्य/कारण
म.वि.वि.नि.लि.	3.92	एमडी के कैंप कार्यालय, पाँच जिलों ²⁰ के वितरण/परीक्षण खण्डों के निजी भवनों का निर्माण और 33/11 केवी सब-स्टेशनों का विस्तारीकरण/सुदृढीकरण हेतु, जो की इस योजना में सम्मिलित नहीं थे
म.वि.वि.नि.लि.	1.24	आरएपीडीआरपी योजना में बीको लारी को दिए गए ₹ 2.61 करोड़ के मोबिलाइजेशन अग्रिम का आरजीजीवीवाई निधि से समायोजन
द.वि.वि.नि.लि.	5.47	डिस्कॉमों के अपने भवन, मुख्य अभियंता के कार्यालय, निवास और अन्य फील्ड कार्यालयों के भवन के निर्माण हेतु
योग	10.63	

स्रोत : डिस्कॉम के द्वारा दी गयी सूचना

¹⁹ म.वि.वि.नि.लि.- ₹ 16.06 करोड़, पू.वि.वि.नि.लि.- ₹ 12.41 करोड़, प.वि.वि.नि.लि.- ₹ 3.98 करोड़ और द.वि.वि.नि.लि. - ₹ 7.07 करोड़

²⁰ रायबरेली, बहराइच, फैजाबाद, बरेली और उन्नाव

इस प्रकार, डिस्कॉमों के एमडी ने अनियमित रूप से योजना के अन्तर्गत सम्मिलित न किए गए उद्देश्यों के लिए ₹ 10.63 करोड़ की योजना निधि का अनियमित रूप से अपयोजन किया।

निधि का अनियमित अंतर्गता अपयोजन

2.1.38 योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, डिस्कॉमों को 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत समर्पित बैंक खातों को खोलना था। डिस्कॉमों के अनुरोध करने पर, आरईसी को इन समर्पित बैंक खातों में धन अवमुक्त करना था। कुछ निश्चित शर्तों के पूर्ण होने पर, डिस्कॉमों को एक परियोजना हेतु निर्धारित निधि को संबंधित डिस्कॉम के उसी योजना की अन्य परियोजना में प्रयोग की अनुमति थी। निधि का अंतर्गता अपयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आरईसी के अनुमोदन के बिना:

- म.वि.वि.नि.लि. के एमडी ने निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना के ठेकेदारों को भुगतान की देयता को समाप्त करने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के समर्पित खाते से अप्रैल 2016 से जून 2016 की अवधि में ₹ 59.45 करोड़ का अपयोजन किया। तथापि, जून 2016 से अक्टूबर 2016 की अवधि में ₹ 39.03 करोड़ 11वीं पंचवर्षीय योजना के खाते में वापस कर दिया गया था। शेष ₹ 20.42 करोड़ की धनराशि अभी भी वापसी हेतु (मार्च 2017) शेष थी।

- द.वि.वि.नि.लि. के एमडी ने भी 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ठेकेदारों को भुगतान करने के लिए ₹ 22.00 करोड़ का अपयोजन 12वीं पंचवर्षीय योजना के समर्पित खाते से 11वीं पंचवर्षीय योजना के खाते में किया। 12वीं पंचवर्षीय योजना के खाते में यह धनराशि अभी तक (अप्रैल 2017) वापस नहीं की गई थी।

योजना के अन्तर्गत अंतर्गता अपयोजन पर प्रतिबंधों के बावजूद, डिस्कॉमों ने 11वीं पंचवर्षीय योजना से 12वीं पंचवर्षीय योजना में एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना से 11वीं पंचवर्षीय योजना में निधियों का अपयोजन किया, जिनमें से ₹ 42.42 करोड़ अभी भी (अप्रैल 2017) संबंधित योजना के खाते में वापस प्रेषित किये जाने हेतु शेष थे।

डिस्कॉमों ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (मार्च 2018)।

संस्तुति:

डिस्कॉमों को निधि प्रबंधन से संबंधित योजना के दिशानिर्देशों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए।

योजना का निष्पादन

2.1.39 योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य डिस्कॉमों द्वारा योजना में लगाये गए ठेकेदारों को आशय पत्र (एलओआई) निर्गत करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर पूर्ण किया जाना था। डिस्कॉमों के प्रबंध निदेशक, योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए, नियंत्रण तंत्र स्थापित किये जाने हेतु उत्तरदायी थे। योजना के लक्ष्यों/उद्देश्यों की प्राप्ति में एवं नियंत्रण तंत्र में देखी गई कमियों की नीचे चर्चा की गई है:

बीपीएल संयोजन के लक्ष्य को प्राप्त करने में विफलता

2.1.40 इस योजना में बीपीएल परिवारों को निःशुल्क विद्युत संयोजन दिए जाने की व्यवस्था थी। भारत सरकार ने संयोजन अवमुक्त करने की लागत के लिए 100 प्रतिशत

सब्सिडी प्रदान की। 31 मार्च 2017 को बीपीएल को अवमुक्त किये गए संयोजनों की स्थिति को तालिका 2.1.10 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.1.10: बीपीएल परिवारों को दिए जाने वाले विद्युत संयोजन की स्थिति					
पंचवर्षीय योजना	डिस्कॉमों के नाम	परियोजनाओं/ जिलों की संख्या	डीपीआर के अनुसार निर्गत किए जाने वाले बीपीएल संयोजनों की संख्या	अवमुक्त किए गए बीपीएल संयोजन की संख्या	कमी (प्रतिशत में)
11वीं	द.वि.वि.नि.लि.	03	58,617	9,692	83.47
	पू.वि.वि.नि.लि.	07	3,08,241	1,74,102	43.52
	प.वि.वि.नि.लि.	03	1,07,717	18,046	83.25
	म.वि.वि.नि.लि.	09	3,82,742	2,42,642	36.60
उप-योग		22	8,57,317	4,44,482	48.15
12वीं	द.वि.वि.नि.लि.	21	8,69,064	1,10,805	87.25
	पू.वि.वि.नि.लि.	17	9,67,707	4,27,775	55.79
	प.वि.वि.नि.लि.	12	2,55,146	67,624	73.50
	म.वि.वि.नि.लि.	14	11,72,268	1,05,583	91.99
उप-योग		64	32,64,185	7,11,787	78.19
कुल योग			41,21,502	11,56,269	71.95

स्रोत : डिस्कॉमों के द्वारा दी गयी प्रगति रिपोर्टें एवं सूचना

डिस्कॉम 41.21 लाख बीपीएल संयोजन दिए जाने के लक्ष्य के सापेक्ष 29.65 लाख बीपीएल परिवारों को संयोजन प्रदान करने में असफल रहे

दोनों योजनाओं के अन्तर्गत परियोजनाओं के पूर्ण किये जाने की निर्धारित तिथियां क्रमशः सितंबर 2015 और मार्च 2017 में समाप्त हो गईं। तथापि, 41.21 लाख संयोजन के लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 11.56 लाख (28.05 प्रतिशत) बीपीएल संयोजन प्रदान किए गए थे, एवं मार्च 2017 तक 29.65 लाख बीपीएल परिवार (71.95 प्रतिशत) अभी भी विद्युत तक पहुंच से वंचित थे। बीपीएल संयोजन अवमुक्त करने के लक्ष्य की प्राप्ति न होने का मुख्य कारण, कार्यों को प्रदान करने, ठेकेदारों द्वारा वास्तविक स्थल सर्वेक्षण एवं ठेकेदारों द्वारा सामग्रियों की आपूर्ति में विलम्ब इत्यादि थे।



एक ही ग्रामीण परिवार के घर में स्थापित दो मीटरों का दर्शाने वाला चित्र

डिस्कॉमों ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (मार्च 2018)।

लेखापरीक्षा ने इसके अतिरिक्त देखा कि, म.वि.वि.नि.लि. के अम्बेडकरनगर जिले में कुल 44,660 बीपीएल संयोजन अवमुक्त किए जाने थे, लेकिन फर्म (आईएल एंड एफएस) ने 69,000 बीपीएल संयोजन अवमुक्त किए। अतिरिक्त 24,340 संयोजनों के अवमुक्त किये जाने का मुख्य कारण उन बीपीएल उपभोक्ताओं को संयोजन निर्गत करना था, जिनके पास पहले से ही संयोजन

था एवं बीपीएल उपभोक्ताओं को बिना वास्तविक संयोजन दिए बिलों को निर्गत करना था। चूंकि संबंधित खंडों के अवर अभियंताओं द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरान्त प्रतिवेदन के आधार पर संयोजन अवमुक्त किए जाते हैं, अतः पहले से ही संयोजन प्राप्त उपभोक्ताओं को पुनः संयोजन अवमुक्त करने के लिए क्षेत्रीय इकाइयों के अवर अभियंता उत्तरदायी थे।

अतः, प्रथम दृष्टया ही, इंगित हुआ कि खंडों ने फर्मों को अवमुक्त किए जाने वाले संयोजनों की संख्या के सापेक्ष जानबूझकर अपने दावे को बढ़ाने के लिए बिना उचित प्रक्रिया का पालन किये संयोजन अवमुक्त करने की अनुमति दी। इसके अतिरिक्त, मण्डल के अधीक्षण अभियंता यह सुनिश्चित करने के लिए कि संयोजनों को केवल गैर-विद्युतीकृत बीपीएल परिवारों को ही अवमुक्त किया गया था, एक अनुश्रवण तंत्र विकसित करने में असफल रहे। इस प्रकार, आवंटित मात्रा से अधिक 24,340 संयोजन अवमुक्त करने की प्रमाणिकता संदिग्ध है एवं ठेकेदार को किए गए ₹ 5.35 करोड़ (24,340 x ₹ 2,200 प्रति संयोजन) का भुगतान अनियमित था एवं इसका औचित्य दिए जाने की आवश्यकता थी।

म.वि.वि.नि.लि. ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (मार्च 2018)।

ग्रामीण परिवारों को विद्युत संयोजन अवमुक्त न किया जाना

2.1.41 योजना का मुख्य उद्देश्य सभी ग्रामीण परिवारों (आरएचएच) को विद्युत की पहुंच प्रदान करना था। अनुमोदित डीपीआर एवं फर्मों को निर्गत किए गए एलओआई के अनुसार, सभी चार डिस्कॉमों ने ग्रामीण परिवारों (बीपीएल के अतिरिक्त) के संयोजित किए जाने वाले भार को ध्यान में रखते हुए योजना के अन्तर्गत स्थापित किए जाने वाले वितरण परिवर्तकों (डीटी) की गणना की।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अनुमोदित डीपीआर में प्रावधान के बावजूद, डिस्कॉमों ने इन ग्रामीण परिवारों (बीपीएल के अतिरिक्त) को संयोजन अवमुक्त करने के लिए कोई पहल नहीं की। इन डिस्कॉमों की चयनित 19 परियोजनाओं में, 31,69,925 ग्रामीण परिवारों (बीपीएल को छोड़कर) को विद्युतीकृत किया जाना था, जिसके सापेक्ष केवल 19,48,218 ग्रामीण परिवार (61 प्रतिशत) विद्युतीकृत किए जा सके। ग्रामीण परिवारों को कम संयोजन अवमुक्त करने का मुख्य कारण यह था कि पीएमसी के साथ अनुबन्ध में बीपीएल संयोजनों के अनुश्रवण हेतु प्रावधान होने के बावजूद, डिस्कॉमों ने बीपीएल परिवारों के अतिरिक्त अन्य संयोजनों के अनुश्रवण हेतु कोई भी समान तंत्र विकसित नहीं किया था।

डिस्कॉमों ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (मार्च 2018)।

संस्तुति:

डिस्कॉमों को सभी ग्रामीण परिवारों (बीपीएल परिवारों सहित) को विद्युत की उपलब्धता प्रदान करने के योजना के इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्धारित समय-सीमा में परियोजनाओं को पूर्ण करना सुनिश्चित करना चाहिए एवं डुप्लिकेट संयोजन से बचने के लिए आधार कार्ड से जुड़े बीपीएल संयोजन अवमुक्त करना भी सुनिश्चित करना चाहिए।

ऊर्जा मीटर की स्थापना पर निरर्थक व्यय

2.1.42 योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रावधानित था कि बीपीएल ग्रामीण परिवारों को विद्युत संयोजन निःशुल्क अवमुक्त किया जाएगा, जिसके लिए डिस्कॉमों को उपभोक्ताओं के परिसर में स्थापित किये जाने वाले मीटर की लागत सहित पूंजी सब्सिडी अलग से प्रदान की जायेगी। वितरण खंड के अधिशासी अभियंता को यह सुनिश्चित करना था कि उपभोक्ताओं को बिल वास्तविक मीटर रीडिंग के अनुसार निर्गत किए जाएं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 19 नमूना परीक्षण वाले जिलों में, बीपीएल उपभोक्ताओं के परिसर में 3,29,930 ऊर्जा मीटर स्थापित किए गए थे। परन्तु मानवशक्ति की कमी के कारण, संबंधित वितरण खंडों द्वारा इन उपभोक्ताओं की बिलिंग अभी भी वास्तविक मीटर रीडिंग के बिना अस्थायी आधार पर की जा रही थी। इस प्रकार, ऊर्जा की वास्तविक खपत के आधार पर बिल बनाने के लिए मीटरों की स्थापना का उद्देश्य विफल हो गया था एवं मीटरों की स्थापना पर किया ₹ 29.14 करोड़ का व्यय अनुत्पादक सिद्ध हुआ था।

डिस्कॉमों ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (मार्च 2018) एवं कहा कि मीटर रीडिंग लेने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

लेखापरीक्षा ने, इसके अतिरिक्त पाया (अप्रैल 2017) कि, द.वि.वि.नि.लि. में, 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 20,574 बीपीएल संयोजन अवमुक्त किए गए थे लेकिन किसी भी संयोजन का विवरण खाता बही में सम्मिलित नहीं किया गया था। पू.वि.वि.नि. लि. में, 12वीं पंचवर्षीय योजना में 69,723 बीपीएल संयोजन अवमुक्त किए थे, जिनमें से केवल 26,681 बीपीएल संयोजन, उपभोक्ता खाता बही में सम्मिलित किए जा सके थे, एवं 43,042 संयोजन उपभोक्ता खाता बही में सम्मिलित किए जाने की प्रतीक्षा में थे। संबंधित वितरण खण्डों के द्वारा उपभोक्ता खाता बही में संयोजन को सम्मिलित ना किये जाने के कारण, बिलों को अस्थायी आधार पर भी निर्गत नहीं किया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम ₹ 1.15 करोड़ (63,616 x ₹ 180 प्रति संयोजन) प्रतिमाह के राजस्व की वसूली नहीं हो पायी थी।

पू.वि.वि.नि.लि. ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (मार्च 2018) एवं कहा कि संयोजन विवरण उपभोक्ता खाता बही में सम्मिलित किए जा रहे हैं। द.वि.वि.नि.लि. ने भी लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया एवं तब से सुधारात्मक कार्यवाही की है।

वितरण परिवर्तकों पर मीटर की स्थापना पर निरर्थक व्यय

2.1.43 ऊर्जा लेखांकन, लेखापरीक्षा और वाणिज्यिक हानियों की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए, योजना के अन्तर्गत विद्युतीकृत गाँवों में वितरण परिवर्तकों (डीटी) पर मीटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता थी। संबंधित मण्डलों/वितरण खंडों के अधीक्षण अभियंताओं/अधिशाषी अभियंताओं को यह सुनिश्चित करना था कि डीटी पर स्थापित मीटरों के माध्यम से ऊर्जा लेखांकन किया जा रहा था।

डीटी मीटरों की स्थापना पर किया गया व्यय ₹ 5.78 करोड़, निरर्थक सिद्ध हुआ क्योंकि मीटर रीडिंग नहीं ली जा रही थी

लेखापरीक्षा ने देखा कि लेखापरीक्षा में सम्मिलित 19 जिलों में, डीटी पर 36,881 ऊर्जा मीटर स्थापित किए गए थे। तथापि, मानवशक्ति की कमी के कारण, मण्डलों/वितरण खण्डों के द्वारा परिवर्तक वार ऊर्जा लेखांकन, लेखापरीक्षा तथा ऊर्जा हानि की जांच नहीं की जा रही थी। इस प्रकार, डीटी मीटरों की स्थापना का उद्देश्य विफल हो गया था एवं ₹ 5.78 करोड़ के इन डीटी मीटरों की स्थापना पर किये गये निवेश का उत्पादक उपयोग किया जाना शेष था।

डिस्कॉमों ने प्रेक्षण (मार्च 2018) को स्वीकार किया और कहा कि कर्मचारियों की कमी के कारण, मीटर रीडिंग नहीं ली जा सकी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि किसी भी फील्ड स्टाफ को लगाए बिना मीटर रीडिंग स्वचालित रूप से लेने के लिए पारंपरिक मीटर के स्थान पर स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा सकते थे।

संस्तुति:

डिस्कॉम डीटी सहित उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों हेतु स्मार्ट मीटर स्थापित किये जाने पर विचार कर सकते हैं।

योजना का गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र

2.1.44 योजना के अन्तर्गत परियोजनाएं त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के अधीन हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी सामग्रियों का उपयोग किया जाता है तथा कार्यशैली निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप है। गुणवत्ता नियंत्रण का प्रथम स्तर (पूर्ण हो गए गाँवों/मजरों का 50 प्रतिशत) डिस्कॉमों द्वारा तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी (टीपीआईए) नियुक्त करके, द्वितीय स्तर (पूर्ण हो गए गाँवों/मजरों का 20 प्रतिशत) आरईसी गुणवत्ता मॉनीटर (आरक्यूएम) द्वारा एवं तृतीय स्तर का गुणवत्ता नियंत्रण (पूर्ण

हो गए गाँवों/मजरो का एक प्रतिशत) ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटर (एनक्यूएम) द्वारा किया जाना था।

संबंधित डिस्कॉमों के मुख्य अभियंता (आरजीजीवीवाई) को गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के संबंध में योजना दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना था। गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र में देखी गई कमियाँ तालिका 2.1.11 में दी गई हैं:

तालिका 2.1.11: गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र में देखी गई कमियों का विवरण		
डिस्कॉम	पंचवर्षीय योजना	लेखापरीक्षा प्रेक्षण
द.वि.वि.नि.लि.	12वीं	द.वि.वि.नि.लि. ने टीपीआईए की नियुक्ति नहीं की और पीएमसी की सत्यापन/निरीक्षण रिपोर्ट को ही टीपीआईए रिपोर्ट के रूप में प्रयोग किया।
म.वि.वि.नि.लि.	12वीं	म.वि.वि.नि.लि. में 31 मार्च 2017 तक, लखनऊ और सुल्तानपुर जिलों में 30 प्रतिशत की प्रगति के बावजूद, टीपीआईए द्वारा कोई निरीक्षण नहीं किया गया था।
पू.वि.वि.नि.लि.	12वीं	कार्यों के क्षेत्र के अनुसार, टीपीआईए द्वारा बीपीएल संयोजनों को उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबरों एवं तस्वीरों को एकत्र करके सत्यापित करना था। फर्म ने किसी भी उपभोक्ता की तस्वीर को एकत्र किए बिना 53,896 बीपीएल संयोजन सत्यापित किए। इस प्रकार, 53,896 सत्यापित उपभोक्ताओं की प्रामाणिकता को समर्थित नहीं किया जा सका।
सभी डिस्कॉम	11वीं/12वीं	टीपीआईए, आरक्यूएम और एनक्यूएम द्वारा देखी गई कुल 1,92,458 (31 मार्च 2017 तक) विसंगतियों के सापेक्ष 85,071 विसंगतियों (44.21 प्रतिशत) को छोड़कर 1,07,387 विसंगतियों (55.79 प्रतिशत) ही डिस्कॉमों के द्वारा सुधारी जा सकी।

डिस्कॉमों ने प्रेक्षण (मार्च 2018) को स्वीकार किया एवं कहा कि टीपीआईए को उनके साथ किये गए अनुबन्ध के अनुसार कार्य निष्पादन के लिए निर्देश निर्गत कर दिए गए हैं।

संपत्ति रजिस्टर का रखरखाव न करना

2.1.45 राज्य सरकार, आरईसी और डिस्कॉमों के मध्य त्रिपक्षीय अनुबन्ध (जुलाई 2005) के अनुसार, राज्य सरकार इस योजना के अन्तर्गत डिस्कॉमों द्वारा बनाई गई संपत्ति की स्वामी है। तथापि, राज्य सरकार ने, ऐसी संपत्तियों को संचालित करने एवं बनाए रखने के लिए डिस्कॉमों को अधिकृत कर दिया था। इस उद्देश्य हेतु, योजना के अन्तर्गत बनाई गई संपत्तियों के लेखांकन हेतु डिस्कॉमों के संबंधित मण्डलों के अधीक्षण अभियंताओं (सीईओ) द्वारा पृथक स्थायी परिसंपत्ति रजिस्ट्रों का रखरखाव किया जाना था।

योजना के अन्तर्गत ₹ 4,221.72 करोड़ मूल्य की संपत्तियाँ निर्मित होने के बावजूद, डिस्कॉम स्थायी परिसंपत्तियों के पृथक रजिस्ट्रों का रखरखाव करने में असफल रहे

लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना के अन्तर्गत ₹ 4,221.72 करोड़ (11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ₹ 1,995.83 करोड़ एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ₹ 2,225.89 करोड़) मूल्य की संपत्तियों का सृजन हुआ था, लेकिन अलग से स्थायी परिसंपत्तियों के रजिस्ट्रों को बनाकर उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाने के स्थान पर, डिस्कॉम ने इन संपत्तियों का अपनी परिसंपत्तियों के डेटाबेस में विलय कर दिया।

डिस्कॉमों ने कहा (मार्च 2018) कि टर्नकी ठेकेदारों (टीकेसी) द्वारा परियोजनाओं को सौंपने के बाद परिसंपत्ति रजिस्टर बनाया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परिसंपत्तियों के सृजन के समय ही संपत्ति रजिस्टर को बनाना चाहिए था एवं परिसंपत्ति रजिस्टर को बनाने हेतु टीकेसी द्वारा परियोजनाओं को सौंपा जाना आवश्यक नहीं है।

आंतरिक लेखापरीक्षा

2.1.46 चूंकि डिस्कॉमों के पास अपना आंतरिक लेखापरीक्षा अनुभाग नहीं था, इसलिए उन्होंने यह काम करने के लिए सूचीबद्ध चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) फर्मों को नियुक्त

किया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में विस्तृत तकनीकी लेखापरीक्षा या व्यय के औचित्य पर टिप्पणी सम्मिलित ही नहीं थी। इससे समग्र आंतरिक नियंत्रण दुर्बल हो गया। इसके अतिरिक्त, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रेक्षकों की समीक्षा करने एवं उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र नहीं था।

सतर्कता अनुभाग

2.1.47 डिस्कॉमों में आरजीजीवीवाई के कार्यों सहित, विभिन्न कार्यों की स्वतंत्र जांच करने के लिए समर्पित सतर्कता अनुभाग नहीं था।

संस्तुति:

कमियों की ससमय पहचान के लिए एवं सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र एक स्वतंत्र आंतरिक लेखापरीक्षा अनुभाग एवं सतर्कता अनुभाग स्थापित किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा प्रभाव

लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर कंपनी द्वारा की गई कार्यवाही:

- लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद, द.वि.वि.नि.लि. ने एलडी के ₹ 25.12 करोड़ की कटौती योग्य राशि में से ₹ 15.22 करोड़ की कटौती कर ली।

(प्रस्तर 2.1.26)

- प.वि.वि.नि.लि. ने ठेकेदारों के द्वारा अतिरिक्त बीजी की कम जमा धनराशि ₹ 9.08 करोड़ के सापेक्ष उनके बिलों से धनराशि रोक ली।

(प्रस्तर 2.1.30)

- योजना निधि से अर्जित ₹ 24.61 करोड़ की विविध आय जिसे द.वि.वि.नि.लि. ने अपनी आय के रूप में मान लिया था, उसमें से ₹ 23.31 करोड़ को योजना निधि में जमा कर दिया गया था।

(प्रस्तर 2.1.34)

- द.वि.वि.नि.लि. ने राज्य सरकार से ₹ 21.86 करोड़ के वैट की प्रतिपूर्ति का दावा किया, जिसमें से ₹ 20.99 करोड़ की प्रतिपूर्ति कर दी गयी थी।

(प्रस्तर 2.1.35)

- लेखापरीक्षा द्वारा कम कटौती के इंगित किये जाने के बाद प.वि.वि.नि.लि. ने ठेकेदारों के बिलों से ₹ 36.72 लाख के श्रम उपकर की कटौती कर ली।

(प्रस्तर 2.1.36)

- लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद, द.वि.वि.नि.लि. द्वारा 20,574 बीपीएल संयोजनों का विवरण उपभोक्ता खाताबही में सम्मिलित कर लिया गया।

(प्रस्तर 2.1.42)

2.2 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में शहरी परिवहन के संचालन पर लेखापरीक्षा

प्रस्तावना

2.2.1 शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी), भारत सरकार (जीओआई) ने चयनित²¹ शहरों में शीघ्रपथ से नियोजित आधारभूत संरचनात्मक विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2005 में जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (योजना) आरम्भ किया। योजना के भाग के रूप में, राज्य के चयनित शहरों में एक कुशल, विश्वसनीय एवं लागत प्रभावी सार्वजनिक परिवहन समाधान की स्थापना के लिए, बसों के क्रय तथा संचालन करने हेतु, राज्यों को एक बारगी उपाय के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के दिशानिर्देश जीओआई ने जारी (जनवरी 2009) किए।

उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) को राज्य में योजना की कार्यदायी संस्था (ईए) नामित (अप्रैल 2009) किया। योजना के अंतर्गत, राज्य के सात चयनित शहरों²² में प्रयोग हेतु 1,140 बसों के क्रय के लिए अनुदान के रूप में यूपीएसआरटीसी को ₹ 217.17 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी।

यूपीएसआरटीसी ने सात शहरों में बस सेवा के संचालन के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत स्वतंत्र सरकारी कम्पनियों के रूप में छः नगरीय यातायात कम्पनियों (यूटीसी) यथा, आगरा-मथुरा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (ए-एमसीटीएसएल), इलाहाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एसीटीएसएल), कानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (केसीटीएसएल), लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एलसीटीएसएल), मेरठ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एमसीटीएसएल) एवं वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (वीसीटीएसएल) का गठन (फरवरी 2010 से जुलाई 2010) किया, प्रत्येक के अपने सम्बन्धित बोर्डों में आठ²³ सदस्य हैं। अप्रैल 2012 से मार्च 2017 की अवधि हेतु लेखापरीक्षा यह आकलित करने के उद्देश्य से की गयी कि क्या योजना का कार्यान्वयन, प्रभावी अनुश्रवण व पर्यवेक्षणीय नियंत्रण में उचित प्रकार से निष्पादित किया गया है, यूटीसी द्वारा बसों का संचालन एवं रखरखाव कुशलता से एवं मितव्ययितापूर्वक किया जा रहा था।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यविधि

2.2.2 लेखापरीक्षा कार्यविधि में नगरीय परिवहन निदेशालय, यूपीएसआरटीसी मुख्यालय, और तीन चयनित यूटीसी के मुख्यालयों और डिपो के अभिलेखों की परीक्षा; कर्मियों से संवाद; लेखापरीक्षा प्रेक्षण/प्रश्न जारी करना, कैनिब्लाइज्ड बसों²⁴ का संयुक्त भौतिक सत्यापन सम्मिलित था। प्रवेश एवं समापन बैठक में प्रबंधन एवं डीओयूडी के विचारों को भी प्राप्त किया गया।

विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए छः यूटीसी में से, तीन यूटीसी (एलसीटीएसएल, केसीटीएसएल और ए-एमसीटीएसएल) का चयन उनको आवंटित धन की मात्रा के आधार पर, प्रतिदर्श के रूप में किया गया था। सभी सातों शहरों हेतु योजना के अंतर्गत प्राप्त कुल धनराशि का 70.25 प्रतिशत (₹ 152.56 करोड़) इन चयनित यूटीसी को आवंटित किया गया था। यहाँ पर 13 प्रेक्षण ऐसी प्रकृति के हैं जो अन्य तीन यूटीसी, जिनका गठन योजना के अन्तर्गत किया गया है, परन्तु जिन्हें नमूना जांच में

²¹ कम से कम 10 लाख जनसंख्या या प्रदेश की राजधानी या धार्मिक/ऐतिहासिक/पर्यटन महत्व के आधार पर चयनित

²² आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ और वाराणसी

²³ विशेष सचिव एवं निदेशक, नगरीय परिवहन निदेशालय; मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी एवं सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक (संचालन)

²⁴ बिना कलपुर्जा के पड़ी हुई ऐसी बसें जिनके कलपुर्जे अन्य बसों में प्रयोग कर लिये गये थे

शामिल नहीं किया गया है, में समान प्रकृति की त्रुटि/चूकें प्रतिबिम्बित कर सकते हैं। डीओयूडी चाहे तो योजना के अंतर्गत कार्य कर रही अन्य तीनों यूटीसी की आंतरिक रूप से जांच यह सुनिश्चित करने के लिए करा सकता है कि वे आवश्यकता एवं नियमों के अनुसार चलायी जा रही है।

अभिस्वीकृति

2.2.3 लेखापरीक्षा कार्य के दौरान यूटीसी, यूपीएसआरटीसी, नगरीय परिवहन निदेशालय एवं इनके कर्मियों के द्वारा प्रदान किये गये सहयोग और सहायता के लिए लेखापरीक्षा आभार प्रकट करता है।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.2.4 लेखापरीक्षा परिणामों की चर्चा आगामी प्रस्तारों में की गयी है:

त्रुटिपूर्ण पर्यवेक्षणीय नियंत्रण

2.2.5 योजना के प्रावधानों के अनुसार, मुख्य सचिव, उ०प्र० सरकार को राज्य में नगरीय यातायात के संचालन के पर्यवेक्षणीय नियंत्रण एवं सुधार हेतु निम्नलिखित निकायों/प्राधिकरणों की स्थापना करनी थी:

- नगरीय यातायात और इसके एकीकृत प्रबंधन से संबंधित परियोजनाओं के समन्वित नियोजन एवं कार्यान्वयन में सुगमता प्रदान करने के लिए एकीकृत महानगरीय परिवहन प्राधिकरण (यूएमटीए)।
- यूटीसी के संचालन में व्यवहार्यता अंतर को पूरा करने के लिए राज्य एवं नगर स्तर पर समर्पित नगरीय परिवहन कोष (डीयूटीएफ)।
- यात्री किराये के सामयिक संशोधन हेतु एक नियामक निकाय/संस्थागत तंत्र।

लेखापरीक्षा ने देखा कि, मुख्य सचिव, उ०प्र० सरकार ने एक समिति के रूप में कार्य करने के लिए यूएमटीए का गठन (28 जून 2010) किया एवं राज्य स्तर पर डीयूटीएफ बनाया (27 जनवरी 2014)। तथापि, मुख्य सचिव, उ०प्र० सरकार ने योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार नगर स्तरीय डीयूटीएफ तथा यात्री किराये में सामयिक संशोधन हेतु नियामक निकाय/संस्थागत तंत्र नहीं बनाया। यूएमटीए की त्रुटिपूर्ण कार्य पद्धति, यूटीएफ के अनुपयोग तथा नगर स्तर पर डीयूटीएफ और नियामक निकायों की अनुपस्थिति के कारण राज्य में नगरीय परिवहन प्रणाली को उचित अनुश्रवण और नियामक सहयोग नहीं मिल सका। इसमें पर्यवेक्षणीय नियंत्रण की भी कमी रही, जिसकी चर्चा नीचे की गयी है:

निष्क्रिय एकीकृत महानगरीय परिवहन प्राधिकरण

2.2.6 जून 2010 में गठन के बाद से मार्च 2018 तक, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यूएमटीए की केवल तीन बैठकें (जून 2010, अक्टूबर 2010 और सितम्बर 2012) ही आयोजित हुईं। इसके पश्चात्, यूएमटीए निष्क्रिय रहा। जब यूएमटीए सक्रिय था तो उसने एमडी, यूपीएसआरटीसी को नगरीय यातायात को लाभदायक बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का आदेश दिया (जून 2010) था। यद्यपि एमडी, यूपीएसआरटीसी ने इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया, आठ वर्ष के पश्चात् अभी तक (सितम्बर 2018) यूएमटीए द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

निदेशक, नगरीय परिवहन निदेशालय (डीओयूडी) जिसे यूएमटीए के तकनीकी सचिवालय के रूप में कार्य करना था, ने यूएमटीए को पुनर्जीवित करने की कोई पहल नहीं की। यूटीसी की गतिविधियां यूएमटीए द्वारा निरीक्षित की जानी थीं किन्तु यूएमटीए

यूएमटीए सितम्बर 2012 के बाद से निष्क्रिय रहा है

की अक्रियाशीलता के कारण यूटीसी अनिरीक्षित रही एवं वर्णित कमियां अपरीक्षित व असंशोधित रहीं, जैसा कि आगामी प्रस्तारों में चर्चा की गयी है :

डीयूटीएफ की त्रुटिपूर्ण कार्यशीलता

2.2.7 यूटीसी द्वारा परिचालन शुरू करने के 21 से 36 माह के विलम्ब से मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य स्तर पर डीयूटीएफ बनाया (जनवरी 2014) गया। देरी के कारण अभिलेखों में नहीं है। नगरीय परिवहन निदेशालय (निदेशालय) को डीयूटीएफ का संचालन करना था।

निदेशालय को धन का उचित उपयोग करने के साथ नगरीय यातायात की प्राथमिकताओं और कार्यक्रमों के लिए नीतियां भी बनानी थीं। निदेशालय द्वारा धन के सर्वोत्तम उपयोग हेतु ऐसी कोई नीति/प्राथमिकता नहीं बनायी गयी। इस प्रकार के नियोजन के अभाव में, मार्च 2016 तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डीयूटीएफ को उपलब्ध कराये गये ₹ 550.00 करोड़ में से अनुदान के रूप में प्रदान किये कोषों का एक महत्वपूर्ण भाग ₹ 445.67 करोड़ मार्च 2017 तक अप्रयुक्त रहा, परिणामतः नगरीय यातायात के सहयोग के उद्देश्य को प्राप्त करने में विफलता रही। चूंकि ये निधि सामान्य बचत खाते में रखी गयी थी, अतः उत्तर प्रदेश सरकार को ब्याज के ₹ 7.80 करोड़²⁵ की हानि वहन करनी पड़ी।

यात्री किराया के लिए नियामक निकाय का गठन नहीं होना

2.2.8 योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, यात्री किराये में सामयिक संशोधन हेतु एक नियामक निकाय/संस्थागत तंत्र का गठन किया जाना था। मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संबंध में कोई नियामक निकाय/संस्थागत तंत्र स्थापित नहीं किया। प्रमुख सचिव, डीओयूडी उत्तर प्रदेश सरकार ने नियामक निकाय बनाने के स्थान पर, नगर बसों के किराये को निश्चित करने के लिए, बिना अभिलेखित कारण के, यूटीसी के निदेशक मंडल (बीओडी) को अधिकृत (मार्च 2009) कर दिया। इसके अतिरिक्त, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में, किराये में संशोधन के लिए ईंधन की लागत को समाहित करते हुए परिचालन लागत, स्नेहक, महंगाई भत्ते, कलपुर्जों की लागत, टायर प्रतिस्थापन, करों/शुल्कों और बीमा में परिवर्तन को भी विचार में रखा जाना प्रावधानित था। लेखापरीक्षा ने यात्री किराया तय करने में निम्नलिखित कमियां देखी हैं, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:-

- एमडी, एलसीटीएसएल ने अक्टूबर 2013 से जनवरी 2015 के दौरान पांच बार किराए में संशोधन किया, जिसमें से केवल एक बार (जनवरी 2015) ही उन्होंने बीओडी का अनुमोदन प्राप्त किया। अन्य चार संशोधनों के लिए बोर्ड से कोई अनुमोदन नहीं लिया गया। डीपीआर में दिये गये संचालन लागत के तत्वों से कोई वित्तीय विश्लेषण किये बिना, केवल एमडी के सीएनजी की दरों और चालकों/परिचालकों के पारिश्रमिक में वृद्धि के सामान्य कथन के आधार पर, यात्री किराये में संशोधन किये गये। डीपीआर की आवश्यकतानुसार अंतिम खातों और एमआईएस रिपोर्ट जिसमें बस संख्यावार मार्गवार यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का विवरण दिया जाता है, के अभाव में लेखापरीक्षा इस प्रणालीगत विफलता के वित्तीय प्रभाव को निर्धारित नहीं कर सकी। यात्री किराये के निर्धारण में परिचालन लागत पर विचार न करने के कारण, अप्रैल 2012 से मार्च 2017 के दौरान अर्जित राजस्व, किये गये व्यय से ₹ 0.17 करोड़ से ₹ 4.91 करोड़ तक कम था।

एलसीटीएसएल प्रबंधन ने समापन बैठक (नवम्बर 2017) में लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया।

₹ 445.67 करोड़ की धनराशि डीयूटीएफ में अप्रयुक्त पड़ी रही

उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना के तहत आवश्यकतानुसार नियामक निकाय/संस्थागत तंत्र का गठन नहीं किया

²⁵ ऑटो स्वीप सुविधा के साथ फ्लेक्सी कोषों पर प्राप्त दर पर आंकलित

- एमडी, केसीटीएसएल ने बीओडी के अनुमोदन के बिना जुलाई 2012 में मासिक सीजन टिकटों के किराये में वृद्धि की। ए-एमसीटीएसएल में, बीओडी के अनुमोदन से किराये में संशोधन किया (जनवरी 2013) गया था, लेकिन इसके लिए कोई विश्लेषण उद्धृत नहीं किया गया। इसके बाद उक्त दोनो यूटीसी में मार्च 2017 तक किराये में कोई संशोधन नहीं किया गया।

उत्तर में, केसीटीएसएल प्रबंधन ने बताया (अक्टूबर 2017) कि यह विषय परीक्षाधीन है। ए-एमसीटीएसएल प्रबंधन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार (सितम्बर 2017) कर लिया और बताया कि इस संबंध में शीघ्र ही कार्यवाही की जाएगी। यात्री किराये के दोषपूर्ण निर्धारण के कारण, अप्रैल 2012 से मार्च 2017 की अवधि में केसीटीएसएल और ए-एमसीटीएसएल के व्यय ₹ 0.17 करोड़ से ₹ 10.61 करोड़ तक राजस्व से अधिक रहे।

संस्तुति:

यूएमटीए को उचित पर्यवेक्षणीय नियंत्रण सुनिश्चित करना चाहिए और डीयूटीएफ के प्रभावी उपयोग हेतु प्रयास करना चाहिए।

मानवशक्ति का दोषयुक्त प्रबंधन

2.2.9 अधिकारियों एवं कर्मचारियों (चालकों और परिचालकों को छोड़कर) की स्वीकृत संख्या न तो डीपीआर²⁶ में बतायी गयी और न यूटीसी के बीओडी द्वारा स्वीकृत ही की गई थी। इसके अतिरिक्त, सम्बन्धित प्रबंधन द्वारा मानव शक्ति की तैनाती को व्यवस्थित करने के लिए इस मुद्दे को कभी भी उचित रूप से यूटीसी के बोर्ड, डीओयूडी और यूएमटीए के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। नीचे दी गयी तालिका 2.2.2, चयनित किये गए तीन यूटीसी के अधिकारियों और लेखा कर्मचारियों की मानव शक्ति की स्थिति (मार्च 2017) बताती है :

तालिका 2.2.2 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या की स्थिति							
क्र० सं०	पदनाम	वास्तविक संख्या					
		ए-एमसीटीएसएल		केसीटीएसएल		एलसीटीएसएल	
1.	प्रबंध निदेशक	1 (आरएम, यूपीएसआरटीसी)		1 (आरएम, यूपीएसआरटीसी दोहरे कार्यभार में)		1 (आरएम, यूपीएसआरटीसी दोहरे कार्यभार में)	
2.	सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक (वित्त)	1(यूपीएसआरटीसी कर्मचारी दोहरे कार्यभार में)		1(यूपीएसआरटीसी कर्मचारी दोहरे कार्यभार में)		कोई नहीं	
3.	सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक	1(वाह्य स्रोत द्वारा)		1(यूपीएसआरटीसी कर्मचारी दोहरे कार्यभार में)		कोई नहीं	
4.	सेवा प्रबंधक	कोई नहीं		1(यूपीएसआरटीसी कर्मचारी दोहरे कार्यभार में)		1(यूपीएसआरटीसी कर्मचारी दोहरे कार्यभार में)	
5.	लेखाकार	2 (वाह्य स्रोत द्वारा)		1(यूपीएसआरटीसी कर्मचारी दोहरे कार्यभार में)		1(यूपीएसआरटीसी कर्मचारी)	
		डीपीआर के अनुसार	वास्तविक	डीपीआर के अनुसार	वास्तविक	डीपीआर के अनुसार	वास्तविक
6.	परिचालक	460	342	540	238	520	447
7.	चलक	460	352	540	1	520	418

स्रोत: सम्बन्धित यूटीसी के अभिलेख

²⁶ चालकों एवं परिचालकों के अतिरिक्त

यूटीसी में अधिकारियों और कर्मचारियों की उचित तैनाती के प्रकरण को कभी भी यूटीसी से सम्बन्धित निदेशक मण्डल को प्रस्तुत नहीं किया गया

यूटीसी में अधिकारियों और कर्मचारियों की उचित तैनाती सुनिश्चित नहीं की गई थी। इस प्रकरण को कभी भी यूटीसी के सम्बन्धित बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। इसने त्रुटिपूर्ण कार्यात्मकता व अनुश्रवण, वित्तीय खातों तथा प्रबंधन सूचना प्रणाली के न बनने को बढ़ावा दिया जो कि त्रुटिपूर्ण आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के रूप में फलित हुआ जिन पर आगे के प्रस्तारों में चर्चा की गई है।

त्रुटिपूर्ण आंतरिक नियंत्रण/अनुश्रवण

2.2.10 यूटीसी के स्तर पर अनुश्रवण और नियंत्रण के लिए कोई आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं थी। यही नहीं, चयनित तीन यूटीसी में से किसी में भी आंतरिक लेखापरीक्षा खण्ड का गठन नहीं हुआ था। लेखापरीक्षा द्वारा इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कमियां पायीं गयीं:

वार्षिक वित्तीय विवरणों का न बनाया जाना

2.2.11 कम्पनी अधिनियम, 2013 कम्पनियों के वार्षिक वित्तीय विवरण प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के अंत से छः महीने के भीतर अर्थात् सितम्बर के अंत तक अंतिमीकृत किये जाने का प्रावधान करता है। ऐसा करने में विफलता, दण्ड के प्रावधानों को आकर्षित कर सकती है, जो कि यह बताती है कि दोषी कम्पनी के प्रत्येक सम्बन्धित अधिकारी को कारावास, जो एक वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है अथवा अर्धदण्ड, जो कि पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जिसे पाँच लाख रूपयों तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों का दण्ड दिया जायेगा।

तीन चयनित यूटीसी में से, केसीटीएसएल ने अपने सम्मेलन (अप्रैल 2010) के बाद से कोई भी वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार नहीं किया। ए-एमसीटीएसएल ने व्यवसाय प्रारम्भ करने की तिथि (10 अप्रैल 2012) से 2015-16 तक वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार किए लेकिन उसे सांविधिक लेखापरीक्षकों और सीएजी से लेखापरीक्षित कराने में विफल रहा। एलसीटीएसएल ने व्यवसाय प्रारम्भ करने की तारीख 25 जनवरी 2011 से 31 मार्च 2011 तक की अवधि के लिए अपना पहला वित्तीय विवरण तैयार किया और सांविधिक लेखापरीक्षकों से लेखापरीक्षित भी कराया लेकिन आज तक (सितम्बर 2018) सीएजी को प्रस्तुत करने में विफल रही। मार्च 2011 के बाद से आज तक (सितम्बर 2018), सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा एलसीटीएसएल के किसी भी वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की गई है। लेखापरीक्षा ने पाया कि, त्रुटिपूर्ण मानवशक्ति प्रबंधन और त्रुटिपूर्ण पर्यवेक्षणीय नियंत्रण के कारण ये त्रुटियां अनदेखी और उपेक्षित पड़ी रहीं। लेखाओं का तैयार न होना/देरी होना, तथ्यों के अनुचित प्रस्तुतीकरण, धोखाधड़ी और दुरुपयोग के जोखिम से भरा हुआ होता है।

यूटीसी ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2017 और मार्च 2018)।

निदेशक मंडल की बैठकों की अपर्याप्त संख्या

2.2.12 कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 के अनुसार, प्रत्येक कम्पनी अपने सम्मेलन की तारीख के तीस दिनों के अन्दर बीओडी की प्रथम बैठक आयोजित करेगी और उसके बाद प्रतिवर्ष अपने बीओडी की न्यूनतम चार बैठकें इस प्रकार आयोजित करेगी जिससे बीओडी की लगातार दो बैठकों के बीच में एक सौ बीस दिनों से ज्यादा का अन्तर ना हो। चयनित तीन यूटीसी की बीओडी की बैठकों की स्थिति का विवरण तालिका 2.2.3 में वर्णित है:

तालिका 2.2.3 निदेशक मण्डल की बैठकों का विवरण					
क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	आवश्यक बैठकों की संख्या	वास्तविक रूप से हुई बैठकें		
			ए-एमसीटीएसएल	केसीटीएसएल	एलसीटीएसएल
1	2012-13	4	3	1	8
2	2013-14	4	2	1	5

तालिका 2.2.3 निदेशक मण्डल की बैठकों का विवरण					
क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	आवश्यक बैठकों की संख्या	वास्तविक रूप से हुई बैठकें		
			ए-एमसीटीएसएल	केसीटीएसएल	एलसीटीएसएल
3	2014-15	4	1	1	4
4	2015-16	4	2	कोई नहीं	3
5	2016-17	4	1	कोई नहीं	2

इस प्रकार, विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चयनित सभी तीनों यूटीसी, कम्पनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, आवश्यक संख्या में बीओडी बैठकों को कराने में असफल रहें। परिणामस्वरूप, वित्तीय विवरणों के तैयार न होने की कमी, दुर्बल प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) व मानवशक्ति के विषयों का समाधान नहीं किया जा सका और पर्यवेक्षणीय नियंत्रण शक्तिहीन रहा।

त्रुटिपूर्ण प्रबंधन सूचना प्रणाली

2.2.13 डीपीआरों में, प्रत्येक यूटीसी में बस संख्या के अनुसार और यात्रा संख्या के अनुसार बस मार्गों का विवरण, यात्रा करने वाले यात्रियों, प्रयुक्त ईंधन, प्रयुक्त स्नेहक और तिथिवार की गई मरम्मत के विवरण को सम्मिलित करते हुये एक प्रबंधन सूचना प्रणाली को लागू किये जाने का प्रावधान था। लेखापरीक्षा ने पाया कि यूटीसी के एमडी और सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक (एआरएम) यूपीएसआरटीसी के थे, जो कि सड़क पर बसों की संख्या, बसों के संचालन, यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या, प्रयुक्त ईंधन आदि दर्शाने वाले एमआईएस को बनाते हैं। यद्यपि वे यूपीएसआरटीसी में अच्छी तरह से संरचित एमआईएस का अनुपालन करते हैं फिर भी वे उसे यूटीसी में अपनाने में असफल रहे। आवश्यक एमआईएस एवं सहायक अभिलेखों के अभाव में यूटीसी का प्रबंधन राजस्व अर्जन में कमी, बसों के कम चलने तथा बसों की दोषयुक्त मरम्मत की कमियों के अनुश्रवण एवं नियंत्रण में असफल रहा जैसा की आगे के प्रस्तरों में चर्चा की गयी है।

यूटीसी ने लेखापरीक्षा की प्रेक्षणों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2017 तथा मार्च 2018)।

संस्तुतियाँ:

1. यूटीसी को डीपीआर के अनुसार आवश्यक एमआईएस का बनाया जाना सुनिश्चित करना चाहिए।
2. डीओयूडी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यूटीसी अपने खातों को वर्तमान वर्ष तक तैयार करने के लिए तत्काल कार्यवाही करें, जिससे इन पीएसयू के निदेशक कम्पनी अधिनियम के दोषी ना बनें रहें।

नगरीय यातायात का परिचालन निष्पादन

2.2.14 नगर वार डीपीआर में बसों के चलने एवं अर्जित होने वाले राजस्व हेतु संचालन मानक उल्लिखित हैं। प्रभावी नियंत्रण और अनुश्रवण के लिए, यूटीसी के स्तर पर वास्तविक परिचालन परिणामों की परिचालन मानकों से तुलना करने के लिए एक तंत्र बनाये जाने की आवश्यकता थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि किसी भी यूटीसी में कोई नियंत्रण या अनुश्रवण तंत्र नहीं बना था। यूटीसी के एमडी और एआरएम यूपीएसआरटीसी से थे जो कि प्रति बस अर्जित आय, प्रत्येक बस द्वारा चले गये किलोमीटर इत्यादि में तुलना करने हेतु अपनी स्वयं की एमआईएस रखते थे। फिर भी उन्हीं अधिकारियों ने यूटीसी के प्रबंधन के दौरान यूपीएसआरटीसी के अनुश्रवण तंत्र को नहीं अपनाया। यूटीसी की परिचालन दक्षता की जांच के लिए, लेखापरीक्षा द्वारा 2012-17 के वास्तविक परिणामों की संबंधित डीपीआर में निर्धारित परिचालन मानकों से तुलना की गई जिसका विवरण तालिका 2.2.4 में दिया गया है।

तालिका 2.2.4 डीपीआर में उल्लिखित यूटीसी वार परिचालन मानक							
(₹ करोड़ में)							
क्र० सं०	विवरण	यूटीसी के नाम					
		एलसीटी एसएल	केसीटी एसएल	ए-एमसी टीएसएल	एसीटी एसएल	एमसीटी एसएल	वीसीटी एसएल
राजस्व अर्जन							
1.	डीपीआर के अनुसार अर्जित किया जाने वाला राजस्व	212.80	205.80	151.80	96.35	88.85	93.10
2.	वास्तविक अर्जित राजस्व	143.03	52.97	83.95	77.69	82.64	72.14
3.	अर्जित राजस्व में कमी	69.77	152.83	67.85	18.66	6.21	20.96
4.	कमी प्रतिशत में	32.79	74.32	44.76	19.36	6.99	22.51

स्रोत: प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेख एवं सूचनायें

अभिलेखों की परीक्षण जांच में राजस्व अर्जन में पायी गयी कमी के कारण, डीपीआर में उल्लिखित मानकों की तुलना में बसों के संचालन किलोमीटर में कमी एवं अनियोजित मार्गों पर बसों का संचालन थे, जैसा कि आगे के प्रस्तारों में चर्चा की गयी है।

बसों के संचालन में कमी से राजस्व अर्जन में कमी

2.2.15 2012-17 के दौरान योजना की डीपीआर में उल्लिखित यूटीसी वार बसों के धावन के परिचालन मानकों और यूटीसी के वास्तविक परिचालन परिणामों को तालिका 2.2.5 में सारांकित किया गया है:

तालिका 2.2.5 डीपीआर में उल्लिखित यूटीसी वार संचालन मानक							
(संचालन: लाख किमी में)							
क्र० सं०	विवरण	यूटीसी के नाम					
		एलसीटी एसएल	केसीटीएसएल	ए-एमसीटी एसएल	एसीटीएसएल	एमसीटी एसएल	वीसीटी एसएल
बसों का संचालन							
1.	डीपीआर के अनुसार बसों का संचालन (किमी)	947.70	1056.60	785.70	480.60	457.20	471.60
2.	बसों का वास्तविक संचालन (किमी)	739.57	294.48	573.42	424.65	372.89	363.90
3.	बसों के संचालन में कमी (किमी)	208.13	762.12	212.28	55.95	84.31	107.70
4.	कमी प्रतिशत में	21.96	72.13	27.02	11.64	18.44	22.84

स्रोत: प्रबंधन द्वारा प्रदान की गयी सूचना

यूटीसी के प्रबंधन ने डीपीआर मानकों के साथ बसों के संचालन की तुलना करने के लिए कोई भी अभिलेख नहीं बनाया। यद्यपि, यूटीसी के एमडी और एआरएम यूपीएसआरटीसी से थे जो कि बसों के संचालन पर अपने स्वयं के मानकों द्वारा नियंत्रण रखते हैं, फिर भी यूटीसी द्वारा डीपीआर मानकों की तुलना में बसों द्वारा चली गयी दूरी में कमी के कारणों का विश्लेषण करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। तथापि, चयनित तीन यूटीसी के द्वारा लेखापरीक्षा के दौरान उपलब्ध कराये गये अभिलेखों एवं सूचनाओं की परीक्षण जांच के विश्लेषण में पाया गया कि बसों के संचालन किलोमीटर में कमी के प्रमुख कारण मरम्मत और रखरखाव हेतु अत्यधिक संख्या में बसों का ऑफ रोड होना, मानवशक्ति की त्रुटिपूर्ण तैनाती तथा अनुरक्षण ठेकेदारों द्वारा बसों का अनाधिकृत रूप से कैनबलाइजेशन थे, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

- यद्यपि, ऑफ रोड बसों के प्रतिशत के संबंध में यूटीसी के डीपीआर में कोई मानक नहीं दिया गया था तथापि वार्षिक अनुरक्षण ठेकेदार के साथ किये गये अनुबंध में प्रावधानित था कि बसों की उपलब्धता पहले दो वर्षों के लिए 95 प्रतिशत और उसके बाद 92 प्रतिशत होनी थी, जैसा कि प्रस्तर 2.2.18 में चर्चा की गयी है। यूपीएसआरटीसी ने ऑफ रोड बसों के लिए किसी दिये गये समय पर संचालन के अंतर्गत कुल बसों के तीन प्रतिशत का एक मानक प्रमाणीकृत (जून 2011 से) किया।

तीन चयनित यूटीसी में, लेखापरीक्षा ने पाया कि अभिलेखों में बिना किसी कारण के औसतन एलसीटीएसएल में 12 से 24 प्रतिशत बसें, केसीटीएसएल में 34 से 78 प्रतिशत बसें और ए-एमसीटीएसएल में दो से तीन प्रतिशत बसें मरम्मत एवं रखरखाव के लिए ऑफ रोड थी जो मानक से अधिक है। लेखापरीक्षा के विश्लेषण के अनुसार, ऑफ रोड बसों के उच्च प्रतिशत का प्रमुख कारण बसों का खराब अनुरक्षण जैसा कि प्रस्तर 2.2.18 में वर्णित है एवं मानवशक्ति की त्रुटिपूर्ण तैनाती, जैसा कि प्रस्तर 2.2.9 में वर्णित है, थे। लेखापरीक्षा ने इसके अतिरिक्त पाया कि यद्यपि, यूटीसी के एमडी और एआरएम यूपीएसआरटीसी से थे, फिर भी वे यूपीएसआरटीसी में प्रचलित नियंत्रण तंत्र के समान नियंत्रण तंत्र, यूटीसी में लागू करने में असफल रहे। ऑफ रोड बसों के उच्च प्रतिशत के कारण, राजस्व में कमी आई थी। इसके अतिरिक्त, नियमित और विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने का उद्देश्य भी प्राप्त नहीं किया जा सका।

- लेखापरीक्षा ने पाया कि एलसीटीएसएल में 42 बसें और केसीटीएसएल में 19 बसें वार्षिक अनुरक्षण ठेकेदार द्वारा कैनब्लाइज्ड की गयी थीं। 61 बसों में से 48 बसों की यूटीसी द्वारा मरम्मत और पुनर्सुधार किया गया, शेष 13 अनाधिकृत रूप से कैनब्लाइज्ड बसें एलसीटीएसएल में पड़ी रहीं, जैसा कि प्रस्तर 2.2.18 में विस्तार से वर्णित है। इस कारण, यूटीसी मार्च 2017 तक ₹ 11.33 करोड़ के राजस्व से वंचित रहीं।

यूटीसी ने बसों के अनियमित कैनब्लाइजेशन को स्वीकार किया (मार्च 2018)।

- इसके अतिरिक्त, डीपीआर²⁷ के अनुसार, चयनित तीन यूटीसी में 1,520 परिचालकों और 1,520 चालकों की प्रति वर्ष आवश्यकता थी, इस आवश्यकता के सापेक्ष 2012-17 के दौरान, केवल 904 से 1,194 परिचालक और 719 से 1,044 चालक बसों के संचालन के लिए तैनात किये गये।

इस प्रकार, ऑफ रोड बसों का उच्चतर प्रतिशत और मानवशक्ति की त्रुटिपूर्ण तैनाती के साथ ही त्रुटिपूर्ण पर्यवेक्षणीय नियंत्रण के परिणामस्वरूप डीपीआर में दिये गये मानकों की तुलना में बसों के संचालन में 11.64 से 72.13 प्रतिशत की कमी रही जैसा कि प्रस्तर 2.2.5 और 2.2.9 में वर्णित है।

यूटीसी ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (मार्च 2018)।

डीपीआर के विपरीत मार्गों का संचालन

2.2.16 बसों के संचालन से अर्जित होने वाली आय का निर्धारण डीपीआर में निर्दिष्ट मार्गों को ध्यान में रखकर किया गया था। इसलिए, यूटीसी को या तो निर्दिष्ट मार्गों पर बसों का संचालन करना चाहिए था या वैकल्पिक रूप से, डीपीआर से किसी भी विचलन की दशा में सबसे लाभकारी मार्गों की पहचान करनी चाहिए थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि एलसीटीएसएल और केसीटीएसएल 83 मार्गों पर बसों का संचालन कर रहे थे, जिसमें से कोई भी मार्ग डीपीआर में निर्दिष्ट नहीं था। ए-एमसीटीएसएल 21 मार्गों पर बसों का संचालन कर रहा था, जिसमें से केवल तीन मार्ग²⁸ डीपीआर में निर्दिष्ट किये गये थे। इन यूटीसी ने बिना कोई लागत-लाभ विश्लेषण किये, विचलित मार्गों का

²⁷ दो पालियों में बसों के संचालन के लिए, प्रत्येक पाली में एक परिचालक एवं एक चालक।

²⁸ आगरा-मथुरा, ईदगाह से फतेहपुर सीकरी एवं गोवर्धन से बरसाना

संचालन किया। इसके अतिरिक्त, एलसीटीएसएल, केसीटीएसएल और ए-एमसीटीएसएल ने नगरीय जनसंख्या को नियमित परिवहन सुविधा प्रदान करने के मूल उद्देश्य के विपरीत, अभिलेखों में बिना कोई कारण दर्शाये, 21 ग्रामीण मार्गों पर बसों का संचालन किया। इसके अलावा, किस दिनांक से और किसके आदेश पर मार्गों में परिवर्तन किया गया, को दर्शाने वाले अभिलेखों को नहीं बनाया गया। यूटीसी द्वारा बसवार/मार्गवार अर्जित राजस्व के विवरणों को नहीं बनाया गया। परिणामस्वरूप, डीपीआर में निर्दिष्ट मार्गों से विचलन का प्रभाव, लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

उत्तर में, यूटीसी ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (अक्टूबर 2017, मार्च 2018) एवं कहा कि भविष्य में डीपीआर में दिये गये मार्गों को संचालित करने के प्रयास किए जाएंगे।

संस्तुति:

यूटीसी को नगर की बसों के संचालन के आवधिक अनुश्रवण के लिए संचालन के अपने मानकों को तैयार करना चाहिए या यूपीएसआरटीसी के मानकों को अपनाना चाहिए।

बसों में इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की स्थापना नहीं किया जाना

2.2.17 डीपीआर में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) और अन्य सुविधाओं²⁹ से युक्त इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम (आईटीएस) की स्थापना का प्रावधान था। आईटीएस यात्रियों को समय पर जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसके अतिरिक्त, यह बसों के संचालन को नियंत्रित करने में यूटीसी के संबंधित प्रबंधन को सशक्त रूप से मदद कर सकता था। लेखापरीक्षा ने पाया कि यूटीसी के प्रबंध निदेशकों द्वारा बसों पर ऐसी कोई आईटीएस प्रणाली स्थापित नहीं की गयी थी।

₹ 2.04 करोड़ के अलाभप्रद व्यय के बाद भी बसों में आईटीएस की स्थापना नहीं की गयी

यूपीएसआरटीसी द्वारा वयम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ठेकेदार) को 1,140 बसों के लिए ₹ 14.32 करोड़ के अनुबंध मूल्य पर, छः यूटीसी में आईटीएस की स्थापना के काम को मार्च 2012 तक पूरा करने की शर्त के साथ प्रदान किया (मार्च 2010) गया था। ठेकेदार ने एलसीटीएसएल की 260 बसों के लिए आईटीएस सक्षम सामग्री की आपूर्ति (जून 2011) की। तथापि, बिना किसी अभिलेखित कारण के इसने अन्य पाँच यूटीसी की शेष 880 बसों के लिए किसी भी हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर की आपूर्ति/स्थापना नहीं की।

लेखापरीक्षा ने पाया कि महाप्रबंधक (तकनीकी) यूपीएसआरटीसी ने एलसीटीएसएल के लिए प्राप्त सामग्री के सफल प्रचालन को सुनिश्चित किये बिना, अनियमित रूप से ठेकेदार को ₹ 2.04 करोड़ का आंशिक भुगतान जारी कर दिया (जनवरी 2012)। इसके अतिरिक्त, फरवरी 2011 से मार्च 2013 तक लगातार अनुस्मारक दिये जाने के बावजूद ठेकेदार परियोजना को चालू करने में असफल रहा। अनुबंध समाप्त (मार्च 2013) कर दिया गया और सामग्री अप्रयुक्त पड़ी रही (मार्च 2018)। इसके पश्चात्, त्रुटिपूर्ण पर्यवेक्षणीय नियंत्रण के कारण, जैसा कि प्रस्तर 2.2.5 में चर्चा की गयी है, न तो यूटीसी और न ही यूपीएसआरटीसी ने बसों हेतु आईटीएस के प्रचालन को सुनिश्चित करने का कोई प्रयास किया। परिणामस्वरूप, ₹ 2.04 करोड़ के निष्फल व्यय के बावजूद बसों को बिना आईटीएस के संचालित किया जा रहा था।

यूटीसी ने समापन बैठक (नवंबर 2017) में तथ्यों को स्वीकार किया।

²⁹ बसों पर जीपीएस एवं डेटा लॉगर सुविधा, बसों पर एलईडी डिस्के, स्वचालित घोषणा सुविधा, बस चालक तथा नियंत्रण केन्द्र के मध्य संपर्क बनाये रखने हेतु मोडम/जीएसएम आधारित ट्रांसीवर, बसों पर ईंधन सेंसर, बस स्टॉप के बस शेल्टर पर एलईडी डिस्के, सम्पर्क इन्टरलॉक प्रणाली, नियंत्रण स्टेशन पर संपर्क केन्द्र, नियंत्रण केन्द्र पर जीआईएस एप्लीकेशन साफ्टवेयर तथा हार्डवेयर व साफ्टवेयर की अन्य आवश्यकतायें।

संस्तुति:

यूटीसी को प्रभावी अनुश्रवण के लिए सभी नगरीय बसों पर आईटीएस की स्थापना सुनिश्चित करनी चाहिए।

बसों का अनुरक्षण

2.2.18 यूपीएसआरटीसी ने एलसीटीएसएल, लखनऊ तथा केसीटीएसएल, कानपुर की क्रमशः 260 बसों और 270 बसों के अनुरक्षण हेतु पाँच साल का व्यापक वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध (एएमसी) मेसर्स गोल्डरश सेल्स लिमिटेड (टेकेदार) के साथ किया (अप्रैल 2010)। एएमसी के अनुसार, टेकेदार को अनुबंध के प्रथम दो वर्षों में 95 प्रतिशत बसों की एवं अनुबंध के शेष तीन वर्षों में 92 प्रतिशत बसों की ऑन रोड उपलब्धता सुनिश्चित करनी थी। टेकेदार को उपभोग योग्य सामग्रियों, कल-पुर्जा, टायर्स और अन्य सामानों की आपूर्ति की व्यवस्था करनी थी तथा उसे बसों द्वारा धावित किलोमीटरों के आधार पर यूटीसी (एलसीटीएसएल और केसीटीएसएल) द्वारा भुगतान किया जाना था, जिसके लिए पाक्षिक बिल निर्गत करने थे। यूटीसी के पर्यवेक्षकों (सेवा प्रबंधकों) को टेकेदार द्वारा किये गये अनुरक्षण और मरम्मत कार्य का प्रतिदिन निरीक्षण करना था।

लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि कुछ प्रकरणों³⁰ को छोड़कर, समय³¹ पर भुगतान करने के बावजूद भी सितम्बर 2011 से जुलाई 2012 की अवधि में टेकेदार द्वारा केवल 90.39 प्रतिशत से 66.92 प्रतिशत बसें ही ऑन रोड उपलब्ध करायी गयी। यूटीसी ने टेकेदार के खराब प्रदर्शन का संदर्भ देते हुए, एएमसी को समाप्त (जुलाई/अगस्त 2012) कर दिया। लेखापरीक्षा ने अभिलेखों से पाया कि टेकेदार ने 61 बसें (एलसीटीएसएल की 42 बसें और केसीटीएसएल की 19 बसें) कैनैब्लाइज्ड³² कर दी थीं। उपरोक्त के अतिरिक्त, एलसीटीएसएल ने यह भी पाया (नवम्बर 2012) कि टेकेदार ने ₹ 64.31 लाख की कीमत के 670 पुराने टायर और 489 पुराने ट्यूबों को अनाधिकृत रूप से बेच दिया था। एलसीटीएसएल और केसीटीएसएल ने 48 कैनैब्लाइज्ड बसों के पुनर्सुधार पर ₹ 5.69 करोड़ व्यय किये। एलसीटीएसएल की शेष 13 कैनैब्लाइज्ड बसें मार्च 2017 के अंत तक ऑफ रोड पड़ी हुयीं थीं।

एलसीटीएसएल की कैनैब्लाइज्ड बसों के चित्र



लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि एएमसी में दैनिक पर्यवेक्षण करने के प्रावधान होने और उसी परिसर में कार्यशाला के बगल में अपने स्वयं के पर्यवेक्षी कर्मचारियों के होने के

³⁰ सात प्रकरणों में 90 से 170 दिनों में भुगतान किया गया।

³¹ 34 प्रकरणों में भुगतान 21 दिनों से पहले, आठ प्रकरणों में 21 से 30 दिनों में, 20 प्रकरणों में 31 से 60 दिनों में और 11 प्रकरणों में 61 से 90 दिनों में।

³² बसें जो बिना उन पुर्जों के पड़ी हुयी हैं जो अन्य बसों में प्रयोग कर लिये गये हैं।

बावजूद, दोनों यूटीसी के एमडी और सेवा प्रबंधकों ने ठेकेदार द्वारा किये गये अनुरक्षण अथवा मरम्मत कार्य का निरीक्षण नहीं किया। परिणामस्वरूप, ठेकेदार की गतिविधियां अनिरीक्षित रहीं एवं एएमसी ठेकेदार के द्वारा मरम्मत की जा रहीं बसों के अनाधिकृत कैनब्लाइजेशन पर यूटीसी का ध्यान नहीं गया।

दोनों यूटीसी ने इस तरह के अनाधिकृत कैनब्लाइजेशन तथा पुराने टायर और ट्यूबों की बिक्री के लिए ठेकेदार के विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही नहीं की। इस प्रकार ठेकेदार के साथ यूटीसी के वरिष्ठ अधिकारियों की संदिग्ध मिलीभगत प्रतीत होती है। अन्ततोगत्वा, यूटीसी ने 48 कैनब्लाइज्ड बसों के पुनर्सुधार पर ₹ 5.69 करोड़ का परिहार्य व्यय किया जिसे बसों के अनाधिकृत कैनब्लाइजेशन को रोककर टाला जा सकता था। इसके अतिरिक्त, ₹ 11.97 करोड़³³ के राजस्व का नुकसान हुआ। यही नहीं, इन कैनब्लाइज्ड बसों के माध्यम से नगरीय जनता को परिवहन सुविधा प्रदान करने का सामाजिक उद्देश्य भी पराजित हो गया।

10 कैनबलाइज्ड बसों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण³⁴ (अप्रैल 2017) ने पुष्ट किया कि ये बसें ₹ 1.92 करोड़ मूल्य के बस पुर्जों के बिना कैनब्लाइज्ड पड़ी हुयी थी।

यूटीसी ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को सुधारात्मक कार्यवाही के लिए स्वीकार किया (अक्टूबर 2017 एवं मार्च 2018)।

स्क्रेप की वसूली नहीं होना

2.2.19 ए-एमसीटीएसएल ने मेसर्स श्यामा श्याम सर्विसेज (ठेकेदार) के साथ इस शर्त पर एएमसी (अप्रैल 2010) की थी कि ठेकेदार स्क्रेप को यूटीसी को वापस कर देगा। तथापि, आंतरिक नियंत्रण तंत्र और आंतरिक लेखापरीक्षा के अभाव के कारण अप्रैल 2013 से फरवरी 2017 के दौरान ए-एमसीटीएसएल ₹ 14.24 करोड़ के पुर्जों की खरीद के सापेक्ष स्क्रेप की वापसी सुनिश्चित करने में असफल रहा।

ए-एमसीटीएसएल ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (मार्च 2018) और बताया कि स्क्रेप के मूल्य का आंकलन करने और ठेकेदार से स्क्रेप सामग्री के मूल्य की वसूली के लिए एक समिति गठित की गयी है।

संस्तुति:

1. यूटीसी को बसों के अनाधिकृत कैनबलाइजेशन को रोकने हेतु बसवार/कार्यवार रखारखाव के काम का दैनिक अनुश्रवण तथा उसके कठोर अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु एमआईएस विकसित करना चाहिए।
2. ए-एमसीटीएसएल को वार्षिक अनुरक्षण ठेकेदार से स्क्रेप के मूल्य की वसूली करने की आवश्यकता है।

सीएनजी के क्रय पर छूट का लाभ न उठाना

2.2.20 सीएनजी के क्रय में मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिए यूटीसी में तुलनात्मक विश्लेषण या अन्य किसी भी प्रकार की कोई प्रणाली नहीं थी। यूटीसी द्वारा सीएनजी के क्रय में मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिए, यूपीएसआरटीसी द्वारा मेसर्स ग्रीन गैस लिमिटेड (जीजीएल) के साथ अपनी बसों अर्थात् लेखापरीक्षा के क्षेत्र में न सम्मिलित की गयी बसों हेतु सीएनजी आपूर्ति के लिए किये गये अनुबंध से तुलना की। लेखापरीक्षा

³³ राजस्व हानि ₹ 11.33 करोड़ और ₹ 0.64 करोड़ मूल्य के टायर और ट्यूब का अनाधिकृत विक्रय।

³⁴ उपमहालेखाकार/ई0एस0-। के पर्यवेक्षण में लेखापरीक्षा दल के द्वारा एलसीटीएसएल के एआरएम के साथ संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया गया।

ने पाया कि अनुबंध की शर्तों के अनुसार, आपूर्तिकर्ता ने यूपीएसआरटीसी को आपूर्ति की जाने वाली सीएनजी के लिए ₹ 0.70 प्रति किलो³⁵ की छूट प्रदान की थी।

ए-एमसीटीएसएल अलग से अनुबंध किये बिना, यूपीएसआरटीसी के साथ किये अनुबंध के ही आधार पर जीजीएल से अप्रैल 2012 से सीएनजी का क्रय कर रहा है। तथापि, एमडी, ए-एमसीटीएसएल, जीजीएल द्वारा यूपीएसआरटीसी को प्रदान की गई छूट का लाभ उठाने में असफल रहे। इससे अप्रैल 2012 से दिसंबर 2016 की अवधि में ₹ 49.38 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

ए-एमसीटीएसएल ने कहा (मार्च 2018) कि भविष्य में छूट प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

एलसीटीएसएल ने सीएनजी की आपूर्ति के लिए जीजीएल के साथ अनुबंध (अप्रैल 2012) उन्हीं शर्तों³⁶ पर किया, जैसा कि, यूपीएसआरटीसी के साथ अनुबंध में उल्लिखित है। लेखापरीक्षा ने पाया कि अनुबंध में शर्त होने के बाद भी, एलसीटीएसएल, मार्च 2015 से नवंबर 2016 की अवधि के लिए ₹ 39.70 लाख की छूट का लाभ उठाने में विफल रहा जबकि अप्रैल 2012 से प्रभावी पूर्वावधि में एलसीटीएसएल द्वारा छूट का लाभ उठाया गया।

एलसीटीएसएल ने बताया (मार्च 2018) कि जीजीएल अधिकारियों से संपर्क किया गया था लेकिन छूट प्राप्त नहीं की जा सकी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुबंध की शर्त को लागू करने के लिए छूट की राशि को रोक कर भुगतान करने थे, जैसा पूर्वावधि में किया गया था, परन्तु ऐसा नहीं किया गया।

कुल मिलाकर, ए-एमसीटीएसएल और एलसीटीएसएल ने ₹ 89.08 लाख का परिहार्य व्यय किया।

विविध प्रकरण

विज्ञापन के अनुज्ञा शुल्क की वसूली न होने के कारण राजस्व की हानि

2.2.21 यूटीसी की बसों पर विज्ञापनों के प्रदर्शन के अनुबंध एवं संबंधित अभिलेखों की जांच से उन कमियों का पता चलता है, जिनके कारण ₹ 2.29 करोड़ की राजस्व हानि हुई, जिसका वर्णन नीचे किया गया है:-

- एलसीटीएसएल ने 260 बसों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए मेसर्स मोमेंटम कंट्रोल सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड (ठेकेदार) के साथ अनुबंध (दिसम्बर 2011) किया। अनुबंध के अनुसार, बसों के पूरे समूह के लिए ठेकेदार द्वारा प्रतिमाह अनुज्ञा शुल्क के रूप में ₹ 16.37 लाख का भुगतान किया जाना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि अनुबंध करने के उपरान्त, एलसीटीएसएल ठेकेदार से बकाया राशि की आवधिक वसूली पर निगरानी रखने के लिए किसी भी प्रणालीगत तंत्र की स्थापना करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, ठेकेदार ने मार्च 2012 से भुगतान में चूक की। एलसीटीएसएल ने ठेकेदार द्वारा मासिक अनुज्ञा शुल्क का भुगतान करने में चूक के कारण ₹ 49.10 लाख की बैंक गारंटी का नकदीकरण कर लिया और अनुबंध समाप्त कर दिया। तथापि, एलसीटीएसएल, ₹ 81.97 लाख की बकाया राशि और ₹ 13.94 लाख की ब्याज की वसूली के उपायों को प्रारम्भ करने में विफल रहा।

एसीटीएसएल ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार कर लिया (मार्च 2018)।

³⁵ शर्त 10.01, आपूर्तित सीएनजी पर ₹ 0.70 प्रति किलोग्राम तथा आपूर्ति 10,000 किलो प्रतिदिन से अधिक होने पर ₹ 0.80 प्रति किलोग्राम छूट का प्रावधान करती है।

³⁶ शर्त 10.01, आपूर्तित सीएनजी पर ₹ 0.70 प्रति किलोग्राम तथा आपूर्ति 10,000 किलो प्रतिदिन से अधिक होने पर ₹ 0.80 प्रति किलोग्राम छूट का प्रावधान करती है।

- अनुबंध के अनुसार एक माह में सात दिनों से अधिक ऑफ रोड रही बसों पर एलसीटीएसएल एवं केसीटीएसएल को बसों पर विज्ञापन प्रदर्शन से मिलने वाले अनुज्ञा शुल्क क्रमशः ₹ 41 लाख³⁷ और ₹ 66 लाख³⁸ की हानि उठानी पड़ी।

यूटीसी ने तथ्यों की पुष्टि की (मार्च 2018) और अत्यधिक ऑफ रोड बसों के कारण राजस्व की हानि को स्वीकार किया। प्रबंधन ने भविष्य में इसे नियंत्रित करने का आश्वासन दिया।

- ए-एमसीटीएसएल के लिए यूपीएसआरटीसी द्वारा प्रोएक्टिव लिमिटेड के साथ किया गया अनुबंध (नवंबर 2012) 30 नवंबर 2015 को समाप्त हो गया। यूटीसी के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए पुराने अनुबंध की अवधि समाप्त होने से पूर्व, उसी पक्ष से प्रस्ताव मिलने के बावजूद, रणनीतिक योजना के अभाव के कारण, ए-एमसीटीएसएल के एमडी द्वारा पुनर्निविदा या अन्य विकल्प का सहारा नहीं लिया गया। इससे दिसम्बर 2015 से मार्च 2017 की अवधि में ₹ 26.41 लाख की राजस्व हानि हुयी।

ए-एमसीटीएसएल ने विज्ञापन अनुबंध के अन्तिमीकरण में देरी को स्वीकार किया (मार्च 2018)।

यूपीएसआरटीसी की बकाया राशि के निपटारे हेतु पैरास्टैटल्स के अंशदान का उपयोग

2.2.22 इस योजना के अंतर्गत, यूपीएसआरटीसी द्वारा प्राप्त धन का उपयोग बसों के क्रय हेतु किया जाना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि, योजना के अंतर्गत प्राप्त धनराशि ₹ 217.17 करोड़ में से क्षेत्रीय प्रबंधक आगरा, यूपीएसआरटीसी ने नगर निगम, आगरा को, अनाधिकृत रूप से उपयोग कर यूपीएसआरटीसी के बकाया गृह कर के सापेक्ष ₹ 1.09 करोड़ का भुगतान कर दिया।

यूपीएसआरटीसी ने तथ्य स्वीकार किया (सितम्बर 2017) एवं ए-एमसीटीएसएल ने बताया (नवंबर 2017) कि यूटीसी को उक्त राशि वापस करने हेतु क्षेत्रीय प्रबंधक यूपीएसआरटीसी को एक पत्र निर्गत किया गया था।

सेवा कर का अनियमित भुगतान

2.2.23 जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत मरम्मत एवं अनुरक्षण के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाएं वित्त अधिनियम, 2012 के अंतर्गत सेवा कर से मुक्त थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि केसीटीएसएल ने मेसर्स श्यामा श्याम को अक्टूबर 2015 से मार्च 2017 की अवधि में अपनी 270 बसों के अनुरक्षण के लिए सेवा कर के रूप में अनियमित रूप से ₹ 1.05 करोड़ का भुगतान किया था। यह उल्लेख करना उचित है कि अन्य दो यूटीसी इस प्रकार के कर का भुगतान नहीं कर रहे थे।

समापन बैठक (नवम्बर 2017) में, प्रबंधन ने, उक्त धनराशि की ठेकेदार से वसूली के मुद्दे की जांच करने का आश्वासन दिया।

स्रोत पर मूल्य वर्धित कर की कटौती न करना

2.2.24 जीओयूपी ने विक्रेता को भुगतान करने के लिये उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति द्वारा वस्तु के मूल्य के चार प्रतिशत के बराबर मूल्य वर्धित कर की कटौती की अधिसूचना जारी (अक्टूबर 2013) की। एलसीटीएसएल और ए-एमसीटीएसएल अक्टूबर 2013 से नवंबर 2016 के दौरान क्रय की गयी सामग्रियों और कल-पुर्जों के लिए आपूर्तिकर्ताओं को किए गये भुगतान पर ₹ 82.71 लाख की वैट कटौती करने में असफल रहे।

³⁷ फरवरी 2012 से नवम्बर 2012 की अवधि में।

³⁸ दिसम्बर 2012 से मार्च 2014 की अवधि में।

एलसीटीएसएल प्रबंधन ने कहा (मार्च 2018) कि सरकारी अधिसूचना की प्राप्ति न होने के कारण, वह आवश्यक कार्यवाही नहीं कर सके तथा सुधारात्मक कार्यवाही प्रक्रिया में है।

ए-एमसीटीएसएल प्रबंधन ने बताया (मार्च 2018) कि उन्होंने समग्र दर पर अनुरक्षण ठेकेदार का भुगतान किया था तथा अलग से कोई सामग्री नहीं खरीदी थी; इसलिए, उन्होंने आवश्यक वैट की कटौती नहीं की थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने उन प्रकरणों को इंगित किया जहां वैट की कटौती किए बिना सामग्री के लिए भुगतान किया गया था।

2.3 उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड की निष्पादन लेखापरीक्षा की अनुसरण लेखापरीक्षा

प्रस्तावना

2.3.1 उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) के सिंचाई विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लिमिटेड (कम्पनी), उत्तर प्रदेश सरकार के उथले व गहरे ट्यूबवेलों के निर्माण व पुर्ननिर्माण, हाइड्रोलोजिकल संरचनाओं के निर्माण के निक्षेप कार्यों³⁹ को लेता है एवं सिंचाई, जल निकासी तथा भवनों से सम्बन्धित कार्य करता है। कार्यों का निष्पादन 31 क्षेत्रीय इकाइयों, जिनमें से 29 राज्य में स्थित एवं रूड़की (उत्तराखण्ड) तथा भुवनेश्वर (उड़ीसा) प्रत्येक में एक इकाई, के माध्यम से किया जाता है। प्रत्येक इकाई का नेतृत्व एक परियोजना प्रबंधक द्वारा किया जाता है। इकाइयों को आठ ज़ोन में बाँटा गया है, प्रत्येक ज़ोन का पर्यवेक्षण एक महाप्रबंधक (जी0एम0) द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2007-13 की अवधि हेतु कम्पनी की एक निष्पादन लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम), उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) के 31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अध्याय-11 के प्रस्तर 2.1 के रूप में प्रकाशित हुई थी।

निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को 20 जून 2014 को राज्य विधानमण्डल में रखा गया था तथा इस पर सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा विचार-विमर्श अभी (सितम्बर 2018) किया जाना है।

लेखापरीक्षा द्वारा की गई निम्नलिखित चार संस्तुतियाँ कम्पनी द्वारा स्वीकार की गई थी:

- कम्पनी को कार्यों के निष्पादन, वास्तुविदों की नियुक्ति तथा वास्तुविद शुल्क के भुगतान में निर्धारित प्रक्रियाओं का दृढ़ता से अनुपालन करना चाहिए;
- उप-ठेकेदारों को अग्रिमों का भुगतान निर्धारित प्रक्रियानुसार किया जाना चाहिए;
- यह सुनिश्चित करने के लिये कि कार्यों पर किया गया व्यय स्वीकृत लागत/प्राप्त धन से अधिक नहीं है, तथा यह भी सुनिश्चित करने के लिये कि अधिकतम फल प्राप्ति के लिये अधिशेष निधि को विवेकपूर्ण ढंग से निवेश किया है, वित्तीय प्रबन्धन को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है; एवं
- कम्पनी को वित्तीय प्रबन्धन, कार्यों के निष्पादन, सामग्री के क्रय तथा आवश्यक नियंत्रण अभिलेखों के बनाये जाने से संबंधित आन्तरिक नियन्त्रण तंत्र को सुदृढ़ करना चाहिए।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं पद्धति

2.3.2 इस अनुसरण लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य पिछले निष्पादन लेखापरीक्षा की स्वीकृत संस्तुतियों के कार्यान्वयन की दिशा में कम्पनी द्वारा की गई प्रगति का आंकलन करना था। अनुसरण लेखापरीक्षा दिसम्बर 2016 से अप्रैल 2017 की अवधि में की गयी।

लेखापरीक्षा पद्धति में, मुख्यालय एवं 11 चयनित इकाइयों⁴⁰ जिन्हें पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल किया गया था, के अभिलेखों का परीक्षण, लेखापरीक्षा

³⁹ निक्षेप या लागत प्रदत्त सेन्टेज कार्य, वे कार्य हैं जहाँ सरकारी विभाग, सरकारी संगठन एवं अन्य ग्राहक, सम्बन्धित कार्य की वास्तविक लागत में सम्मिलित, सामग्री की वास्तविक लागत, श्रम इत्यादि के आधार पर तथा इन कार्यों के निष्पादन के लिये उपरिव्ययों एवं लाभ हेतु एक निश्चित प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान पर अपना कार्य निष्पादित कराने हेतु सहमत होते हैं।

⁴⁰ इकाई-1 सीतापुर, इकाई-2 इलाहाबाद, इकाई-3 वाराणसी, इकाई-4 आगरा, इकाई-5 गाजियाबाद, इकाई-8 लखनऊ, इकाई-11 फैजाबाद, इकाई-14 लखनऊ, इकाई-29 गोरखपुर, इकाई-36 नोएडा, इकाई-37 रूड़की।

प्रेक्षणों/प्रश्नों को निर्गत करना तथा प्रबन्धन के विचारों के समावेश हेतु प्रवेश एवं समापन बैठक करना, शामिल था।

निष्पादित कार्यों की स्थिति

2.3.3 वर्ष 2013-17 की अवधि में निष्पादित कार्यों की स्थिति को तालिका 2.3.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.3.1: वर्ष 2013-14 से 2016-17 के मध्य निष्पादित कार्यों की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण					
(₹ करोड़ में)					
क्र०सं०	विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1	वर्ष के प्रारम्भ में प्रगति पर कार्यों का मूल्य	1,304.96	1,060.63	1,013.13	961.76
2	वर्ष के दौरान निष्पादन हेतु प्राप्त कार्यों का मूल्य	273.00	479.52	728.06	860.52
3	उपलब्ध कार्यों का कुल मूल्य (1+2)	1,577.96	1,540.15	1,741.19	1,822.28
4	वर्ष के दौरान निष्पादित कार्यों का मूल्य	517.33	527.02	779.43	966.34
5	वर्ष के अन्त में प्रगति पर कार्यों का मूल्य (3-4)	1,060.63	1,013.13	961.76	855.94
6	उपलब्ध कार्यों के कुल मूल्य पर निष्पादित कार्यों के मूल्य का प्रतिशत (4 से 3)	32.78	34.22	44.76	53.03

स्रोत: कम्पनी द्वारा प्रदान की गई सूचना।

स्वीकृत संस्तुतियों का कम्पनी द्वारा अनुपालन

2.3.4 कम्पनी को राज्य विधानमंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन रखे जाने (20 जून 2014) के पश्चात, लेखापरीक्षा संस्तुतियों को निदेशक मंडल (बीओडी) के संज्ञान में लाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, कंपनी को पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा में प्रकाश में लायी गई अनियमितताओं/कमियों के पुनः घटित होने से रोकने हेतु उपर्युक्त संस्तुतियों के कार्यान्वयन के लिए रणनीतिक योजना तैयार करनी चाहिये थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रबंधन ने लेखापरीक्षा संस्तुतियों के बारे में बीओडी को अवगत नहीं कराया। यह इसके कार्यान्वयन के लिए रणनीतिक योजना तैयार करने में भी असफल रहा। सिंचाई विभाग ने भी लेखापरीक्षा संस्तुतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी को कोई निर्देश निर्गत नहीं किये।

कम्पनी द्वारा संस्तुतिवार गैर-अनुपालन की चर्चा आगामी प्रस्तारों में की गयी है:

कार्यों के निष्पादन, वास्तुविदों के चयन एवं वास्तुविद शुल्क के भुगतान में निर्धारित प्रक्रियाओं का दृढ़ता से अनुपालन

2.3.5 पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा में यह टिप्पणी की गई थी कि कम्पनी कार्यों के निष्पादन हेतु निर्धारित प्रक्रियाओं का दृढ़ता से अनुपालन नहीं कर रही थी। राजकीय निर्माण निगम के वर्किंग मैनुअल के प्रावधानों का उल्लंघन, अनियमित तकनीकी स्वीकृति, उच्च दरों पर कार्य प्रदाय एवं सामग्री क्रय, वास्तुविदों के चयन/नियुक्ति एवं वास्तुविद शुल्क के भुगतान में अनियमितता के प्रकरण पाये गये थे।

उपर्युक्त लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर, यह संस्तुति की गई कि कम्पनी को कार्यों के निष्पादन, वास्तुविदों के चयन एवं वास्तुविद शुल्क के भुगतान में निर्धारित प्रक्रिया का दृढ़ता से पालन करना चाहिए।

अनुसरण लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि कम्पनी के प्रबंधन ने, अधिकांशतः, संस्तुतियों का अनुपालन नहीं किया एवं पूर्ववर्ती निष्पादन लेखापरीक्षा में उल्लिखित 20 कमियों में से, इसने केवल 07 कमियों पर कार्य किया है तथा शेष कमियाँ अभी भी बनी हुई हैं, जिन पर नीचे चर्चा की गई है:

2.3.6 मैनुअल के अनुसार, कार्य का निष्पादन, आवश्यक सामग्रियों का क्रय करके एवं आवश्यक यंत्र एवं उपकरणों की व्यवस्था करके सीधे कम्पनी के तकनीकी एवं अन्य कर्मचारियों के माध्यम से किया जाना चाहिए, जबकि श्रमिक को पीस रेट कर्मियों (पीआरडब्ल्यू) के माध्यम से लगाया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त, यदि विशिष्ट कारणों से किसी प्रकरण में कार्य के एक भाग को सब-लेट करना अपरिहार्य हो, तो ऐसा केवल प्रबंध निदेशक (एमडी) के विशेष लिखित आदेशों के अन्तर्गत किया जा सकता है। वर्तमान लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि कम्पनी के परियोजना प्रबंधकों द्वारा सीधे कार्यों को करने के स्थान पर, बिना प्रबंध निदेशक के पूर्व स्वीकृति के, कार्यों का निष्पादन उप-ठेकेदारों के माध्यम से कराने की प्रथा जारी रखी गई। परिणामतः कम्पनी द्वारा 2013-17 के मध्य निष्पादित ₹ 1034.67 करोड़⁴¹ मूल्य के कुल 1079 कार्यों में से, ₹ 883.77 करोड़ मूल्य के 989 कार्य (91.66 प्रतिशत) उप-ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादित किये गए थे।

समापन बैठक (नवम्बर 2017), में प्रबंधन एवं विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और सुधारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया।

वास्तुविदों की नियुक्ति एवं भुगतान

2.3.7 लेखापरीक्षा संस्तुतियों के बाद भी कम्पनी वास्तुविदों की नियुक्ति एवं भुगतान में सुधारात्मक कार्यवाही करने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप, अनियमितताओं का घटित होना जारी रहा। 101 कार्यों की नमूना जाँच (चयनित 11 इकाईयों के 363 कार्यों में से जहाँ प्रबंधन ने 2013-17 के मध्य 71 वास्तुविदों की नियुक्ति की) में निम्नांकित अनियमिततायें प्रकट हुईं:

प्रतिस्पर्धी बिडिंग के बिना वास्तुविदों की नियुक्ति

2.3.8 परियोजना प्रबंधकों ने पारदर्शी तरीके से प्रतिस्पर्धी बिडिंग के माध्यम से वास्तुविदों के चयन में केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों (नवंबर 2002) का अनुपालन नहीं किया, एवं वर्ष 2013-14 से 2016-17 की अवधि में पूर्व अर्हता प्राप्त वास्तुविदों के पैनल में सूचीबद्ध वास्तुविदों में से कुछ से तकनीकी बिड के आधार पर कोटेशन आमन्त्रित करके वास्तुविदों की नियुक्ति की पूर्व प्रथा जारी रखी।

समापन बैठक (नवम्बर 2017), में प्रबंधन एवं विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया तथा सुधारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया।

वास्तुविदों को अनुचित लाभ

2.3.9 लेखापरीक्षा ने देखा कि निम्नांकित प्रकरणों में ठेकेदारों को अनुचित लाभ प्रदान किया गया:

2.3.10 उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (यूपीआरएनएन) द्वारा अपनायी गई पद्धति के अनुसार, अर्थात् वास्तुकला कार्य हेतु कार्य की लागत का 1.5 प्रतिशत तथा यदि ड्राइंग का पुनर्उपयोग किया गया है तो कार्य⁴² की लागत का 0.25 प्रतिशत, वास्तुविदों के शुल्क का निर्धारण करने के प्रबन्ध निदेशक के विद्यमान आदेश (जनवरी

⁴¹ लेखापरीक्षा में जांच की गई 11 इकाईयों द्वारा 2013-17 की अवधि में पूर्ण किये गये कार्यों का मूल्य।

⁴² विस्तृत वास्तुकला ड्राइंग, संरचनात्मक ड्राइंग, सेनेटरी/इलेक्ट्रिकल ड्राइंग एवं विस्तृत प्राक्कलन।

कम्पनी द्वारा वर्ष
2013-17 के मध्य
निष्पादित कुल 1079
कार्यों में से 989 (91.66
प्रतिशत) कार्यों को
उप-ठेकेदार द्वारा
निष्पादित किया गया था

2008) के बावजूद, परियोजना प्रबंधकों (छ: इकाईयों)⁴³ ने आठ कार्यों⁴⁴ में छ: वास्तुविदों को, जहाँ वास्तुविदों ने समान ड्राइंग एवं डिजाइन तैयार किए थे तथा जिनपर, जैसा कि ड्राइंग एवं डिजाइन की पुनरावृत्ति पर लागू होता है, 0.25 प्रतिशत की दर से भुगतान आवश्यक था, 1.2 प्रतिशत से 1.25 प्रतिशत (सेवाकर सहित) की भिन्न-भिन्न दरों से शुल्क का भुगतान किया।

प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2018) कि उसने वास्तुविदों से कुल ₹ 13.30 लाख में से ₹ 6.09 लाख वसूल कर लिए हैं तथा शेष ₹ 7.21 लाख पूरी दर पर भुगतान किए गए थे क्योंकि ये पुर्नउपयोग वाली डिजाइन नहीं हैं। उत्तर सही नहीं है क्योंकि शेष ₹ 7.21 लाख के संबंध में उपयोगकर्ता विभागों⁴⁵ ने डिजाइनों का पुनरीक्षण करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि कार्य समान प्रकृति के थे, अतः बाद की ड्राइंग पुर्नउपयोग वाली ड्राइंग थीं।

वास्तुविदों को सेवाकर का भुगतान

2.3.11 पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, कम्पनी ने कहा था कि वास्तुविदों को पहले से किए गए अधिक भुगतान को वसूल किए जाने के प्रयास किए जा रहे थे। तथापि, अनुसरण लेखापरीक्षा में, यह देखा गया कि कम्पनी ने वास्तुविदों को पूर्व में अधिक भुगतान किए गए ₹ 29.30 लाख वसूल नहीं किए। चयनित 11 इकाईयों में से दो परियोजना प्रबंधकों ने 2013-17 की अवधि के दौरान पाँच प्रकरणों में ₹ 1.31 लाख का अधिक भुगतान किया था। यह इंगित करता है कि प्रबंधन चार वर्षों से अधिक समय के अंतराल के बाद भी प्रणालीगत दोषों को सुधारने में असफल रहा है जिसके कारण वास्तुविदों को अधिक भुगतान की घटनायें जारी हैं।

प्रबंधन ने कहा (फरवरी 2018) कि दो इकाईयों द्वारा अधिक भुगतान की गयी ₹ 1.31 लाख की राशि एवं पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा में टिप्पणी किये गये अधिक भुगतान ₹ 29.30 लाख में से ₹ 17.70 लाख वसूल कर लिए गए हैं एवं शेष राशि को वसूल करने के प्रयास किये जा रहे थे। तथ्य यह है कि ₹ 11.60 लाख अभी भी (सितम्बर 2018) वसूली के लिए लंबित थे।

कार्य निष्पादन में कमियाँ

अनियमित तकनीकी स्वीकृति प्रदान करना

2.3.12 उ0प्र0 सरकार ने मुख्य अभियंता या उससे ऊपर के स्तर के कम्पनी के अधिकारियों को तकनीकी स्वीकृति (टीएस) प्रदान करने की शक्ति प्रदान (फरवरी 2013) की। तदनुसार, कम्पनी के प्रबंध निदेशक ने मुख्य अभियंता स्तर के पद, मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) को टीएस प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नामित (सितम्बर 2014) किया।

चयनित 11 इकाईयों में से आठ⁴⁶ इकाईयों में वर्ष 2013-14 से 2016-17 की अवधि में ₹ 710.30 करोड़ मूल्य के 507 कार्यों हेतु प्रदान की गई टीएस की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि केवल 73 कार्यों (14 प्रतिशत) में टीएस सीजीएम द्वारा दी गयी थी। शेष ₹ 359.85 करोड़ मूल्य के 434 कार्यों में टीएस, परियोजना प्रबंधकों/महाप्रबंधकों द्वारा प्रदान की गयी जो अपेक्षाकृत निम्न रैंक के थे।

⁴³ इकाई-1 सीतापुर, इकाई-2 इलाहाबाद, इकाई-3 वाराणसी, इकाई-11 फैजाबाद, इकाई-14 लखनऊ एवं इकाई-29 गोरखपुर

⁴⁴ आईटीआई भवन, सिधौली, सीतापुर; 30 शय्या वाले तीन मैटरनिटी विंग, फूलपुर, जिला इलाहाबाद, कड़ा, जिला कौशांबी एवं भियांव, जिला अम्बेडकर नगर में; दो उप-स्वास्थ्य केन्द्र, पुवारीकलां, जिला वाराणसी तथा जलालपुर, जिला जौनपुर में; एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जेटू मवाई, जिला अमेठी तथा एक तहसील कसया, जिला कुशीनगर में।

⁴⁵ स्वास्थ्य विभाग एवं योजना विभाग, जीओयूपी

⁴⁶ इकाई 2 इलाहाबाद (28 कार्य), इकाई 3 वाराणसी (16 कार्य), इकाई 4 आगरा (15 कार्य), इकाई 5 गाजियाबाद (137 कार्य), इकाई 8 लखनऊ (31 कार्य), इकाई 11 फैजाबाद (158 कार्य), इकाई 29 गोरखपुर (20 कार्य) एवं इकाई 36 नोएडा (29 कार्य)

पिछली निष्पादन
लेखापरीक्षा में
आश्वासन दिये जाने
के पश्चात भी प्रबंधन
वास्तुविदों से ₹ 11.60
लाख वसूल करने में
विफल रहा

समापन बैठक (नवम्बर 2017) में, प्रबंधन एवं विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और सुधारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया।

अधिक दरों पर कार्य प्रदान करना

2.3.13 उ0प्र0 सरकार के विद्यमान आदेश (फरवरी 1997) के अनुसार, निष्पादन एजेन्सी द्वारा निष्पादित निक्षेप कार्यों पर सेन्टेज⁴⁷, यूपीपीडबल्यूडी एसओआर के आधार पर, कार्य हेतु बनाए गए प्राक्कलन में से पाँच प्रतिशत घटाने के पश्चात् आयी हुई कार्य लागत के 12.5 प्रतिशत तक सीमित है। दूसरे शब्दों में, कम्पनी को अपनी आय को अधिकतम करने के लिये उसे सौंपे गये निक्षेप कार्यों को कार्य की प्राक्कलित लागत के 95 प्रतिशत पर पूरा करना चाहिये था। यह सुनिश्चित करने के लिए, कम्पनी को प्राक्कलित लागत के 95 प्रतिशत या उससे नीचे, निविदाएँ (कार्यों के उप-अनुबंध के प्रकरणों में) आमंत्रित करने की आवश्यकता थी।

प्राक्कलित लागत के 95 प्रतिशत से अधिक लागत पर निविदाओं का आमंत्रण करने के परिणामस्वरूप ₹ 3.71 करोड़ के सेन्टेज की हानि

पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा में प्रकाश में लाया गया था कि कम्पनी ने उप-ठेकेदारों को उच्च दरों पर कार्य प्रदान किया था जिसके कारण उपयोगकर्ता विभाग/कम्पनी को हानि हुई थी। अनुसरण लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि नवंबर 2012 से मई 2016 के मध्य कम्पनी के इलाहाबाद एवं गाजियाबाद जोन के महाप्रबंधकों ने दो निक्षेप कार्यों⁴⁸ के लिए प्राक्कलित लागत के 100 प्रतिशत पर पंजीकृत ठेकेदारों से निविदाएँ आमंत्रित की जिसके परिणामस्वरूप, निजी ठेकेदारों को प्राक्कलित लागत के 95 प्रतिशत से अधिक की दर पर कार्य प्रदान किए गए। इसके परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 3.71 करोड़ की सेन्टेज की भी हानि हुई।

इकाइयों के मध्य कार्यों का अव्यवस्थित वितरण

2.3.14 जैसा कि पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा में टिप्पणी की गई थी, कम्पनी के प्रबंध निदेशकों को लागत को ध्यान में रखते हुए मैनुअल के पैरा 17 ब के अनुसार कम्पनी के सर्वोत्तम लाभ के लिए विभिन्न इकाइयों के मध्य कार्यों के वितरण के लिए मापदण्डों की व्यवस्था करना एवं उन्हें अपनाना चाहिये था। उपर्युक्त टिप्पणी के अनुपालन में, कम्पनी ने विभिन्न इकाइयों के कार्यक्षेत्रों को भी परिभाषित⁴⁹ किया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि विभिन्न इकाइयों के कार्यक्षेत्रों को परिभाषित करने के बावजूद, एमडी ने कार्य क्षेत्रों से 46 से 143 किलोमीटर दूर स्थित अन्य इकाइयों को कार्यों का आवंटन किया जो कि तालिका 2.3.2 में प्रदर्शित है।

तालिका 2.3.2: कार्यों के आवंटन का विवरण			
कार्य का नाम	चिन्हित कार्य क्षेत्रों के अनुसार उपलब्ध इकाइयों	इकाई जिसे कार्य आवंटित किया गया	कार्य निष्पादन करने वाली इकाई एवं कार्य स्थल के मध्य दूरी किमी0 में
कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ में पोल्ट्री शेड का निर्माण	मेरठ	गाजियाबाद	46
जिला कृषि संरक्षण अधिकारी (डीएपीओ), मेरठ के कार्यालय में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण	मेरठ	गाजियाबाद	46
जिला कृषि संरक्षण अधिकारी (डीएपीओ), मेरठ के कार्यालय में अतिरिक्त कक्ष एवं बफर गोदाम का निर्माण	मेरठ	गाजियाबाद	46
पशु चिकित्सालय, मेरठ	मेरठ	गाजियाबाद	46
कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ में मरम्मत एवं नवीकरण कार्य	मेरठ	गाजियाबाद	46
ट्रॉमा सेन्टर, बस्ती का निर्माण	बस्ती	फैजाबाद	71

⁴⁷ अपने उपरिचयों को पूरा करने के लिये, निष्पादन करने वाली एजेन्सी को उपलब्ध लाभ का अंतर

⁴⁸ वरुणा नदी पर वाराणसी में, यमुना नदी पर, वृंदावन, मथुरा में निर्माण/नवीनीकरण/भूपरिदृश्य/तटीकरण के कार्य

⁴⁹ कम्पनी द्वारा दिनांक 28 जून 2013 के कार्यालयादेश द्वारा इकाइयों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को परिभाषित किया गया था

तालिका 2.3.2: कार्यों के आवंटन का विवरण			
कार्य का नाम	चिन्हित कार्य क्षेत्रों के अनुसार उपलब्ध इकाईयें	इकाई जिसे कार्य आवंटित किया गया	कार्य निष्पादन करने वाली इकाई एवं कार्य स्थल के मध्य दूरी किमी० में
एनआरएचएम कार्य, गोरखपुर (12 कार्य)	गोरखपुर	फैजाबाद	143
जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), बस्ती के घरों का निर्माण	बस्ती	फैजाबाद	71
स्रोत: इकाईयों का प्रगति विवरण			

समापन बैठक (नवम्बर 2017) में प्रबंधन एवं विभाग ने लेखा प्रेक्षण स्वीकार किया एवं सूचित किया कि उचित शासकीय आदेश निर्गत (अक्टूबर 2017) कर दिये गये हैं।

उप-ठेकेदारों को अग्रिमों का भुगतान निर्धारित प्रक्रियानुसार किया जाना चाहिए

2.3.15 प्रबंधन ने पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लिखित उप-ठेकेदारों को अग्रिम भुगतान से सम्बन्धित लेखापरीक्षा प्रेक्षण स्वीकार किया था एवं उचित कार्यवाही करने की सहमति दी थी। इस प्रकार, कम्पनी को मैनुअल में उल्लिखित प्राविधानों एवं सीवीसी/उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करने एवं गलती करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए थी। वर्तमान अनुसरण लेखापरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि कम्पनी अपने आश्वासनों को पूरा करने में विफल रही, जैसा कि अनुगामी प्रस्तरों में चर्चा की गयी है:

उप-ठेकेदारों को जारी अग्रिमों का समायोजन न किया जाना

2.3.16 पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था कि कम्पनी द्वारा ठेकेदारों को अग्रिम अवमुक्त करने से सम्बन्धित मैनुअल⁵⁰ के प्राविधानों का अनुपालन करना चाहिए। लेखापरीक्षा द्वारा यह भी इंगित किया गया था कि अग्रिम केवल अति-आवश्यक मामलों में प्रभारी अभियन्ता द्वारा विधिवत प्रमाणित किए गए कुल कार्य की मात्रा के आंकलन एवं मूल्यांकन के बाद अवमुक्त किया जाना चाहिए। पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में एक इकाई (इकाई-37 रुड़की) द्वारा उप-ठेकेदारों को अवमुक्त किये गये ₹ 22.60 करोड़ के अनियमित अग्रिमों का लेखापरीक्षा प्रेक्षण भी उठाया गया था।

वर्तमान अनुसरण लेखापरीक्षण में देखा गया कि यद्यपि कम्पनी द्वारा अपने कुछ कर्मचारियों पर विद्यमान प्राविधानों का अनुपालन न करने के कारण लघु अर्थदण्ड लगाया गया, परन्तु यह कार्यों के मापन एवं बिलों के तैयार न होने के कारण अग्रिमों का पूर्ण रूप से समायोजन करने में विफल रही। प्रबंधन ने पुष्टि की कि फरवरी 2018 तक ₹ 2.71 करोड़ के अग्रिमों का समायोजन लंबित था।

लेखापरीक्षा प्रभाव

लेखापरीक्षा प्रेक्षण के अनुपालन में कम्पनी द्वारा उप-ठेकेदारों को अवमुक्त कुल अग्रिम ₹ 22.60 करोड़ के सापेक्ष ₹ 19.89 करोड़ का समायोजन किया गया।

लेखापरीक्षा में, अग्रिम अवमुक्त करने के सम्बन्ध में पायी गयी अन्य अनियमितताओं पर आगे संक्षेप में चर्चा की गई है:

⁵⁰ मैनुअल प्रावधानित करता है कि परियोजना प्रबंधक, सामग्री पर ग्रहणाधिकार सुरक्षित करने के लिये औपचारिक अनुबन्ध करने के पश्चात, उप-ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल पर लायी गई सामग्री के वर्तमान मूल्य के 75 प्रतिशत तक अग्रिम दे सकता है। यह पुनः प्रावधानित करता है कि अति आवश्यक प्रकरणों में, जहाँ उप-ठेकेदार को धन की आवश्यकता है परन्तु मापित बिल तैयार न किये जा सके, परियोजना प्रबंधक, किये गये कुल कार्य की मात्रा के आंकलन एवं मूल्यांकन के पश्चात तथा ऐसे आंकलन हेतु एक प्रमाण पत्र पर अपने हस्ताक्षर करके उप-ठेकेदार को अग्रिम अवमुक्त कर सकता है। ऐसे अमापित अग्रिम भुगतानों की आवृत्ति एक मापित भुगतान के सापेक्ष दो से अधिक नहीं होनी चाहिए।

चार वर्ष बीतने के उपरान्त भी ₹ 2.71 करोड़ के अग्रिम असमायोजित पड़े थे

उप-ठेकेदारों को अनियमित रूप से अग्रिम अवमुक्त करना

2.3.17 इकाई-3, वाराणसी द्वारा निष्पादित नौ कार्यों की परीक्षण जांच में पाया गया कि परियोजना प्रबंधक द्वारा दिसम्बर 2014 से जनवरी 2017 की अवधि में 10 उप-ठेकेदारों को उनके द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्रों के आधार पर, निष्पादित कार्य की वास्तविक मात्रा अथवा उप-ठेकेदारों द्वारा कार्यस्थल पर लायी गयी सामग्री के मूल्य का आंकलन किये बिना, मैनुअल के प्राविधानों का उल्लंघन करते हुए, ₹ 3.77 करोड़ के ब्याज रहित सुरक्षित अग्रिम अवमुक्त किये गये। इसके अतिरिक्त, कम्पनी के हित की सुरक्षा हेतु समकक्ष धनराशि की कोई बैंक गारण्टी प्राप्त नहीं की गयी थी।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2017) कि निष्पादित कार्यों के मूल्यांकन के पश्चात ही अग्रिम अवमुक्त किये गये थे एवं सभी अग्रिमों का समायोजन कर लिया गया था। उत्तर गलत है क्योंकि अग्रिम, निष्पादित कार्यों का मापन किये बिना एवं मैनुअल के प्राविधानों के विपरीत दिये गये थे। कम्पनी, लेखापरीक्षा को दिये गये आश्वासन को पूरा करने में भी विफल रही, परिणामस्वरूप उप-ठेकेदारों को सुरक्षित अग्रिम अवमुक्त करने की अनियमित प्रथा की निरन्तरता बनी रही।

2.3.18 सीवीसी दिशानिर्देशों (अक्टूबर 1997 और अप्रैल 2007) के अनुसार, मोबिलाइजेशन अग्रिम (एमए) केवल विशिष्ट मामलों में, निविदा प्रपत्र में इसका स्पष्ट उल्लेख करते हुए, दिया जाना चाहिए एवं अग्रिम, ब्याज सहित होना चाहिए ताकि ठेकेदार अवांछित लाभ न उठा सके।

ब्याज रहित अग्रिम अवमुक्त करने से ₹ 24.79 लाख के ब्याज की हानि हुई

वरुणा नदी के तटीकरण एवं विकास कार्यों की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि सीवीसी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए, परियोजना प्रबंधक (इकाई-3 वाराणसी) द्वारा मेसर्स एपको इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड (उप-ठेकेदार) को निविदा आमंत्रण नोटिस (एनआईटी) एवं उप-ठेकेदार से किए गए अनुबंध में बिना किसी प्राविधान के बावजूद ₹ 23.50 करोड़ का ब्याज रहित मोबिलाइजेशन अग्रिम जारी (27 जुलाई 2016) किया गया। यही नहीं, उप-ठेकेदार से इस अग्रिम के सापेक्ष कोई बैंक गारण्टी भी नहीं ली गयी थी। इस प्रकार, ब्याज रहित मोबिलाइजेशन अग्रिम जारी करने से शासकीय कोष को ब्याज हानि एवं उप-ठेकेदार को ₹ 24.79 लाख⁵¹ का अवांछित लाभ पहुँचा।

इसके अतिरिक्त, उप-ठेकेदार को उसके द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर, कार्यस्थल पर सामग्री की प्राप्ति एवं उसके मापन से सम्बन्धित प्रपत्रों के बिना ₹ 38.00 करोड़⁵² के सुरक्षित अग्रिम भी अवमुक्त किये गये थे।

प्रबंधन ने कहा (फरवरी 2018) कि कार्य हेतु अग्रिम, सत्यापन के पश्चात कार्यस्थल पर संग्रहित सामग्री के मूल्य के सापेक्ष 75 प्रतिशत मूल्य तक एवं उप-ठेकेदार से क्षतिपूर्ति बॉण्ड प्राप्त करने के पश्चात अवमुक्त किये गये। उत्तर गलत है क्योंकि मोबिलाइजेशन अग्रिम उप-ठेकेदार द्वारा संसाधन जुटाने की प्रार्थना करने पर अवमुक्त किया गया था एवं दोनों ही प्रकरणों में अग्रिम, कार्यस्थल पर लायी गयी सामग्री एवं उसके मापन से सम्बन्धित कोई प्रपत्र प्राप्त किये बिना अवमुक्त किये गये थे।

इस प्रकार कम्पनी पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान दिये गये अपने आश्वासन पर कार्य करने में विफल रही एवं उप-ठेकेदारों को अनियमित अग्रिम अवमुक्त करने की प्रथा को जारी रखा।

⁵¹ पाँच प्रतिशत (सावधि जमा पर लागू ब्याज दर) की दर से 77 दिन के लिए 27 जुलाई 2016 से 13 अक्टूबर 2016 तक की अवधि, जो कि कार्य मापन के सापेक्ष समायोजन की तिथि थी

⁵² ₹ 18.00 करोड़ 14 अक्टूबर 2016 को एवं ₹ 20.00 करोड़ 19 दिसम्बर 2016 को

यह सुनिश्चित करने के लिये कि कार्यों पर किया गया व्यय प्राप्त धन/स्वीकृत लागत से अधिक नहीं है, वित्तीय प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है। अधिकतम फल प्राप्ति हेतु अधिशेष निधि को विवेकपूर्ण ढंग से निवेश करने की भी आवश्यकता है।

2.3.19 उपरोक्त संस्तुति के अनुसार, प्रबंधन को अपने व्ययों को स्वीकृत लागत/वास्तविक प्राप्त धनराशि तक सीमित रखने की आवश्यकता थी। इसे अधिशेष धनराशि का विवेकपूर्ण प्रबंधन भी करना था। इसके लिए मैनुअल में उल्लिखित सामान्यतः स्वीकृत वित्तीय नियमों का दृढ़ अनुपालन आवश्यक था। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रेक्षण पाए गए:

शासकीय निधि पर ब्याज

2.3.20 यह देखा गया कि कम्पनी के वार्षिक लेखाओं में वर्ष 2005-06 से 2010-11 की अवधि में अप्रयुक्त शासकीय निधि पर अर्जित ब्याज ₹ 119.09 करोड़ को दायित्व के रूप में दिखाया गया था। यह धनराशि कम्पनी के 31 मार्च 2016 (कम्पनी के अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार) को समाप्त होने वाले वर्ष के वार्षिक लेखों में बढ़ कर ₹ 293.08 करोड़ हो गयी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 16 दिसम्बर 2014 के आदेश द्वारा समस्त कार्यदायी सरकारी एजेन्सियों को निर्देशित किया कि वह शासकीय निधि पर अर्जित ब्याज को कोषागार में विशिष्ट शीर्ष के अन्तर्गत जमा करें। कम्पनी द्वारा सरकारी निर्देशों के अनुपालन में नवम्बर 2011 से अप्रैल 2018 की अवधि में ₹ 155.67 करोड़ की ब्याज आय को शासकीय कोषागार में जमा किया था। तथापि, कम्पनी ब्याज की शेष धनराशि ₹ 137.41 करोड़ कोषागार में जमा करना सुनिश्चित करने में विफल रही है।

लेखापरीक्षा प्रभाव

लेखापरीक्षा प्रेक्षण के अनुपालन में कम्पनी ने 31 मार्च 2016 तक कुल अर्जित ब्याज ₹ 293.08 करोड़ में से ₹ 155.67 करोड़ शासकीय कोषागार में प्रेषित किया।

प्राप्त निधि से अधिक व्यय

2.3.21 मैनुअल के अनुसार, निक्षेप कार्यों पर व्यय ग्राहकों से प्राप्त धनराशि तक सीमित होना चाहिये।

यह देखा गया (फरवरी/मार्च 2017) कि कम्पनी की इकाईयों ने उचित नियंत्रण अभिलेख जैसे कि कार्य रजिस्टर इत्यादि, नहीं रखे जिसकी अनुपस्थिति में इसके पास ऐसी कोई प्रणाली नहीं थी जिससे कि कार्यों पर व्यय को ग्राहक संस्थाओं से प्राप्त धन की सीमा तक सीमित रखा जा सके। परिणामस्वरूप, परियोजना प्रबंधकों द्वारा 55 कार्यों पर प्राप्त निधि ₹ 37.95 करोड़ के सापेक्ष ₹ 40.42 करोड़ का व्यय किया जो कि ₹ 2.47 करोड़ अधिक था।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2017) कि कुछ कार्य जैसे कि बाढ़ सुरक्षा कार्य एवं मिट्टी संबंधी कार्य सुरक्षित स्तर तक निष्पादित कराये गये। सरकारी निर्देशों के अनुसार जनहित से जुड़े कार्य भी कराये गये। प्रबंधन ने यह भी कहा (फरवरी 2018) कि ₹ 2.47 करोड़ के सापेक्ष, पाँच कार्यों से संबंधित ₹ 1.22 करोड़ का अधिक व्यय ही प्राप्त होना शेष है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सुरक्षित स्तर/बाढ़ सुरक्षा स्तर एवं मिट्टी संबंधी कार्य प्रारम्भिक अवस्था के कार्य थे जो कि उपलब्ध निधि से पहले ही कराये जा चुके थे। पुनः, प्रबंधन द्वारा अपने प्रत्युत्तर कि कार्य सरकारी आदेश पर निष्पादित गये थे, के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

कम्पनी द्वारा ग्राहक से प्राप्त निधि के सापेक्ष ₹ 2.47 करोड़ का अधिक व्यय किया गया

कम्पनी को अपने वित्तीय प्रबन्धन, कार्यों के निष्पादन, सामग्रियों के क्रय तथा आवश्यक नियंत्रण अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालियों को सुदृढ़ करना चाहिए।

2.3.22 पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कम्पनी में आन्तरिक नियंत्रण की अनुपस्थिति पर टिप्पणी की गयी थी। इस संबंध में प्रबंधन द्वारा अपने आश्वासनों को पूरा करने में असफलता के परिणामों के उदाहरणों की, जैसा कि वर्तमान अनुसरण लेखापरीक्षण के दौरान पाया गया, प्रस्तर 2.3.17, 2.3.18 एवं 2.3.21 में पहले ही चर्चा की गयी है। आगे के, परिणामों की चर्चा निम्नानुसार है:

मूल अभिलेखों का अनुचित रखरखाव

2.3.23 लेखापरीक्षा संस्तुति के आधार पर, परियोजना प्रबंधकों को निर्गत एवं वापस की गयी माप पुस्तिकाओं (एमबी) का वर्णन प्रदर्शित करने वाला अनुक्रमणिका रजिस्टर बनाना चाहिये था। दोहरे भुगतान एवं हेरफेर को रोकने के लिये एक कार्य से संबंधित समस्त मापों को एक ही एमबी में शामिल करना था एवं उनमें अभिलिखित विवरणों का मिलान कार्य रजिस्ट्रों से किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कम्पनी के परियोजना प्रबंधकों (इकाई-29 गोरखपुर को छोड़कर) ने एमबी की अनुक्रमणिका रजिस्टर बनाये बिना एक काम के मापों को कई एमबी में दर्ज किया। एक ही कार्य के लिए एमबी की बहुलता होने एवं कितनी एमबी अस्तित्व में है इसका अभिलेख न होने के कारण, लेखापरीक्षा द्वारा कार्यों से संबंधित प्रविष्टियों की सत्यता एवं पूर्णता को सत्यापित करना सम्भव नहीं था। न ही कम्पनी अपने अभिलेखों से कोई आश्वासन प्राप्त करने में समर्थ होगी। कुछ लेखापरीक्षा जांचे जो निष्पादित नहीं की जा सकीं, निम्नानुसार हैं:

- वास्तविक निष्पादित कार्य की कुल मात्रा की तुलना, प्राक्कलन में दी गयी बिल की मात्रा से नहीं की जा सकी।
- कम्पनी द्वारा कार्य के समापन व वर्ष के अन्त में सामग्री उपभोग प्रपत्र, जो मैनुअल के अनुसार आवश्यक है, नहीं बनाया जा सका। इसलिए, एक कार्य में हुये कुल सामग्री उपभोग की तुलना प्राक्कलन में प्रतिपादित उपभोग से नहीं की जा सकी।
- दोहरे भुगतान के प्रकरणों का आसानी से पता नहीं लगाया जा सका।
- एमबी के रखरखाव में कमियों के कारण एमबी में हेरफेर की सम्भावना हो सकती है।

समापन बैठक (नवम्बर 2017) में प्रबंधन एवं विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं सुधारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया।

निष्कर्ष

अनुसरण लेखापरीक्षा में यह परिलक्षित हुआ कि कम्पनी द्वारा संस्तुतियों को आंशिक रूप से लागू किया गया था। अनियन्त्रित रही सत्त कमियां निम्नलिखित हैं:

1. मैनुअल के प्रावधानों के उल्लंघन में, आवश्यक सामग्री क्रय करके तथा आवश्यक यंत्र एवं उपकरणों की व्यवस्था करके एवं श्रमिकों की पीस रेट कर्मियों के माध्यम से व्यवस्था करके, सीधे कम्पनी के तकनीकी एवं अन्य कर्मचारियों के माध्यम से निष्पादित करने के बजाय, 91.66 प्रतिशत कार्य उप-ठेकेदारों के माध्यम से कराए गए;
2. कम्पनी द्वारा कार्यों के निष्पादन, वास्तुविदों की नियुक्ति तथा वास्तुविद शुल्क के भुगतान में निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं किया गया एवं बिना प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग के वास्तुविदों की नियुक्ति जारी रखी गयी;

3. उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों के उल्लंघन में, ₹ 359.85 करोड़ मूल्य के 434 कार्यों के लिये तकनीकी स्वीकृति, अनियमित रूप से सीजीएम पद से नीचे के अधिकारियों यथा पी0एम0/जी0एम0 द्वारा दी गयी थी;
4. कम्पनी ने उप-ठेकेदारों को ₹ 65.27 करोड़ के अग्रिम अनियमित रूप से अवमुक्त किये; तथा
5. कम्पनी, वित्तीय प्रबन्धन, कार्यों के निष्पादन, एवं आवश्यक नियंत्रण अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित आन्तरिक नियन्त्रण तंत्र को सुदृढ़ करने में विफल रही।